Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ३० वां दिवस [संख्या २२

बृहस्पतिवार, दिनांक २५ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, सामान्य प्रशासन, अकाल सहायता, गृह, राजस्व, चिकित्सा, गृह निर्माण, उपनिवेशन व स्वायत्त शासन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री गिरधारीलाल व्यास।

खारी बांध से सिंचाई कार्य

५१०. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) खारी बांध से कृषि सिंचाई के लिये पानी किस आधार पर वितरित किया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि कमेटी ने इस वर्ष आसीन्द तहसील, जिला भीलवाड़ा के सभी कमान्ड के गांवों को पानी दिलाने का तय किया था ?

(३) क्या यह सही है कि कमेटी ने चनों की फसल को दो पानी व गेहूं को चार पानी देना तय किया था ? क्या इसकी सभी जगह पालना हुई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सही है कि आसीन्द ग्राम के काश्तकारों ने बाई नहर पर सूरिया रेल में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कहने से चने की काश्त की ओर अधिकारियों द्वारा उन्हें पानी देने का तय किया था ?

(५) क्या यह सही है कि सूरिया रेल के खेतों में बावजूद उपरोक्त शर्त के दूसरी

Page No 2

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

दफा पानी नहीं दिया गया जिससे उनके तमाम चने की फसल जल गई ?

(६) क्या यह सही है कि ओवर-सियर खारी ने तीसरा पानी मनमखसूद अपनी इच्छा से जिसको चाहा उसको दिया और भारी पक्षपात किया जिससे सूरिया रेल की करीब ४०० बीघा जमीन जो सिर्फ गरीब भीलों की थी, बिना दूसरी पिलाई के रह गई ?

(७) क्या यह सही है कि इसकी शिकायत काश्तकारों द्वारा कलेक्टर भील-वाड़ा को भी की गई, जिन्होंने एस० डी० एम० गुलाबपुरा को भेज कर इसकी जांच कराई व ओवरसियर को दोषी ठहराया ? जांच रिपोर्ट एस० डी० एम० गुलाबपुरा को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(८) क्या यह सही है कि इस प्रकार की ओवरसियर की मनमानी से काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है । इसकी क्षति इन काश्तकारों को दिलाने का सरकार इरादा रखती है व सरकार को जो नुकसान हुआ उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? व इन काश्त-कारों को अब भी पानी जल्द से जल्द दिलाने की व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) खारी बांध का पानी सिंचाई के लिये जल वितरण कमेटी द्वारा तैयार किये गये प्रोग्राम के आधार पर किया जाता है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां, किन्तु इसकी कहीं कहीं पालना नहीं हुई क्योंकि नहरों पर ऊपर के काश्तकारों ने निर्धारित रकबे ने अधिक को दिया और नीचे पानी बहुत कम पहुंचा ।

(४) जी नहीं ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(६) जी नहीं, सूरिया रेल ग्राम में कम पानी पहुंचने का कारण ऊपर वाले ग्रामों के लोगों द्वारा निर्धारित रकबे से अधिक रकबे में अनाधिकारी रूप से पानी ले लेना था ।

(७) जी हां, किन्तु रिपोर्ट के तथ्य सही नहीं थे जिनकी सूचना जिलाधीश महोदय को भेज दी थी ।

(८) जी नहीं, जल वितरण कमेटी के निर्णय के मुताबिक ओवरसियर व पट-वारी आदि को जल वितरण में हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं था ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि शामगढ़ गांव जो कमांड में पड़ता है, उसको चीफ इन्जीनियर और एग्जीक्युटिव इन्जीनियर, भीलवाड़ा की आज्ञा के विपरित पानी नहीं दिया गया ?

Page No 3

श्री दिनेशराय डांगी : जल वितरण कमेटी के अलावा कोई भी इरिगेशन विभाग का आदमी इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है । केवल जल वितरण कमेटी ही यह तय करती है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने तो यह पूछा कि शामगढ़ गांव जो कि कमांड में आता है उसको पानी क्यों नहीं दिया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : कमांड के अन्दर तो बहुत सारे गांव आते हैं, इस पर्टीक्युलर गांव की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि ओवरसियर ने कमेटी की राय के मुताबिक काम नहीं किया और न कमेटी को कॉन्ट्रीडेन्स में लिया, जिससे कमेटी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा ।

श्री दिनेशराय डांगी : ओवरसियर या पटवारी के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन कलेक्टर ने एस० डी० ओ० के द्वारा जांच करवाई । उन्होंने अपनी एन्क्वायरी में यह बताया कि इरिगेशन स्टाफ की गलती थी । जब कमेटी ही तय करती थी तो इरिगेशन स्टाफ को हस्तक्षेप नहीं कर सकता है तहसीलदार वगैरह इसके मेम्बर्स थे । पंचायत इलेक्शन्स हो रहे थे, सरपंच चुनाव में लगे हुए थे, इसलिये उन्होंने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, इसलिये गड़बड़ हुई ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं भी उसका मेम्बर हूं, प्रधान, विकास अधिकारी, तहसीलदार और सरपंच भी मेम्बर्स थे, पर किसी को भी नहीं बुलाया और अपनी मर्जी से पानी नहीं दिया । इसलिये चेयरमैन और दूसरे मेम्बर्स ने एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर को स्तीफा दे दिया । ओवरसियर ने अपनी मनमानी की है ।

श्री दिनेशराय डांगी : चेयरमैन आदि ने इस्तीफा दे दिया इसकी मुझे जानकारी नहीं । अगर आप विशेष जानकारी चाहें तो मैं जांच करूंगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि दूसरे काश्तकारों से पैसा लेकर उनको खूब पानी दिया और इस शामगढ़ के लिये स्वयं पाल पर बैठ कर पानी नहीं दिया ।

श्री दिनेशराय डांगी : पैसा लिया या नहीं लिया, यह मेरी जानकारी में नहीं है; लेकिन यदि वास्तव में पैसा लिया है तो जांच करने के बाद जो कुछ कार्यवाही नियमानुसार हो सकती है वह करके सूचित किया जायगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि वहां पर भीलों के ४०० बीघा के खेत वहां पर हैं, उनसे ऊपर और नीचे के खेतों को पानी दिया गया लेकिन भील जो गरीब काश्तकार हैं, उनके पास ४०० बीघा जमीन होते हुए भी उनको पानी नहीं दिया गया और इस कारण उनके चने जल गये ।

Page No 4

श्री दिनेशराय डांगी : इसकी जांच करा लूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या सरकार उचित समझती है कि उनको पानी नहीं मिलने से फसल खराब हो गई और उससे उनको जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उनको मिलेगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : यदि वास्तव में उनको पानी कम मिला है या नहीं मिला है और उन्होंने जल वितरण योजना के अनुसार फसल बोई है तो रूल्स में जैसा प्रावधान है उसके अनुसार रेमिशन मिल सकता है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या कम्पेन्सेशन मिल सकता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : कम्पेन्सेशन नहीं, बल्कि रेमिशन मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह जांच हो, उस समय आप (श्री गिरधारीलाल) स्वयं साथ में बैठ कर जांच करवा सकते हैं। यह मसला ऐसा है जिस पर सरकार अवश्य कुछ करेगी।

ग्राम डूंगरी में डाक घर की व्यवस्था

५११. **श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)** : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि ग्राम डूंगरी तहसील सांचोर जिला जालोर में अभी तक डाक घर नहीं खुला है और इस ग्राम के १५ मील के क्षेत्र के अन्दर कोई डाक घर नहीं है ?

(२) क्या सरकार इस ग्राम में शीघ्र ही डाक घर खुलवाने की व्यवस्था करेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) ग्राम डूंगरी, तहसील सांचोर में डाक घर नहीं है। इस ग्राम से १२ मील की दूरी पर ग्राम सरवाना में डाक घर है।

(२) डाइरेक्टर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ द्वारा ग्राम डूंगरी तहसील सांचोर में डाक घर खुलवाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक डाक घर खुलना सम्भव है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि दिनांक १४-११-६४ को पी० एं० टी० की एडवाइज़री कमेटी जिसके आप भी सदस्य हैं और मैं भी हूं बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि इसको रीएग्ज़ामिन कराया जाय। मैंने इन्सपेक्टर को लिखा था कि वहां पर मिडल स्कूल है और पोस्ट ऑफिस खुलना जरूरी है। वहां से यह रिपोर्ट आई कि यहां पर पोस्ट ऑफिस खोलना जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि इसमें लोस है। ५००) रुपए ज्यादा खर्च होते

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं इसलिये खोलने में असमर्थ हैं। हमने रिपोर्ट की थी कि दो ग्राम ऐसे हैं जिनको रीएग्ज़ामिन किया जाय, जिनमें डूंगरी भी एक है, माननीय सदस्य श्री उस समय मौजूद थे। हमने डाइरेक्टर को लिखा है, उस पर उन्होंने जोधपुर सर्कल के इन्चार्ज को टेलिग्राम दिया है कि वहां पर पोस्ट ऑफिस खोलना जस्टिफाइड है या नहीं। मैं आश्वासन दे रहा हूं कि आज ही मेरी डाइरेक्टर से बात हुई थी वे कह रहे थे कि इसको बेकवर्ड एरिया में लेकर पोस्ट ऑफिस खोलने के लिये प्रयत्न करेंगे।

जिला बांसवाड़ा में अकाल सहायता कार्य

५१२. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बांसवाड़ा में अकाल सहायता कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा, और कहां कहां प्राथमिकता दी जावेगी ?

उप-मंत्री अकाल सहायता (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : संवत् २०२१ की खरीफ फसल नष्ट होने के कारण राज्य सरकार ने बांसवाड़ा जिले के २७३ गांवों को जहां पर फसल को एक रुपये में आठ आने से अधिक नुकसान हुआ था, अभावग्रस्त घोषित कर दिये हैं। जिन जिन गांवों में टेस्ट कार्य आरम्भ किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। राज्य सरकार ने २५,०००) रुपए टेस्ट कार्य आरम्भ करने के लिये ३१-१२-६४ को स्वीकृत किये थे और १०,०००) रुपए की धनराशि दिनांक १५-३-६५ को कुओं की मरम्मत आदि कराने के लिए तथा २,०००) रुपए निःशुल्क सहायता के लिये दिनांक ५-३-६५ को स्वीकृत किये गये हैं, जहां पर अभाव की स्थिति घोषित की गई है अगर राहत कार्य आरम्भ करने के लिए जिला राहत कमेटी अथवा तहसील राहत कमेटी और जिलाधीश जिस गांव में राहत कार्य आरम्भ करना उचित समझेंगे, वहीं पर राहत कार्य आरम्भ किये जावेंगे। जिलाधीश अगर राहत कार्य आदि के लिए और धनराशि मांगेगा तो उस पर विचार किया जावेगा और आवश्यकतानुसार धनराशि स्वीकृत की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री हीराभाई : यहां पर कुल कितने ग्राम अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने उत्तर में बताया है, २७३ ग्राम।

श्री हीराभाई : वे अलग अलग कौनसी तहसील में हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो गांवों की सूची देख कर ही बताया जा सकता है लेकिन तहसील बागीडोरा है शायद और गढ़ी है, और भी हो तो तहकीक नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह आपने कहा कि आठ आना नुकसान

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हुआ है, यह किस चीज का नुकसान है और इसका नापमान कैसे किया जाता है? आठ आना या ६ आना नुकसान है. इसको कैसे बताया जाता है? इसको जानने के लिये कौनसा फॉर्मुला है? मैंने भी यह सवाल उठाया था लेकिन उत्तर नहीं दिया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां पर १) रुपए का प्रोडक्शन होना चाहिये उसमें से फसल कितनी खराब है उसको देख कर बतलाया जाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उत्तर साफ नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आपका आशय समझ रहा हूं, इसके बारे में सूचना निकालेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ऐसा होता है कि कहीं पर १० बीघा काश्त के लिये जमीन होती है लेकिन उसमें से २ बीघा जमीन पर ही काश्त कर पाते हैं इसलिये. १० बीघा में कितनी खराब है, इसका अन्दाज सही नहीं बैठता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यही कह रहा था कि खरीफ के लिये तो यह बात नहीं कह सकता, लेकिन रबी के बारे में कहा जा सकता है; लेकिन रबी के सम्बन्ध में इन्स्ट्रक्शन्स निकालेंगे। फेमिन कोड की तहत एग्ज़ामिन करवा रहे हैं। कुओं में पानी कम होने से आमतौर पर खेती कम करते हैं; १० बीघा के बजाय १ बीघा में खेती करते हैं और रियल पोजीशन का पता नहीं लग सकता है; इसलिये इसकी छानबीन करके सूचना देंगे।

श्री हीराभाई : २०० गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २७३।

श्री हीराभाई : २७३ गांवों में कितने मजदूरों को रिलीफ दी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मजदूरों में रिलीफ कितनों को दी, इसकी टोटल मेरे पास नहीं है लेकिन आपको लिस्ट दी है उसमें लिखा हुआ है।

श्री हीराभाई : उसमें क्या लिखा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो राहत कार्य प्रारम्भ किये हैं, उसमें मजदूरों की संख्या लिखी हुई है।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : अब तक कितने गांवों में राहत कार्य किया गया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बताने में तो समय लगेगा।

श्री मानिकचंद सुराणा : समय किस बात का लगेगा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारे गांवों में कितने आदमी काम कर रहे हैं।

Page No 7

श्री हीराभाई : कितने गांवों में रिलीफ कार्य शुरू किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने बतलाया है कि वहां पर टेस्ट काम हो रहा है, रिलीफ काम बाद में शुरू होगा।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, रिलीफ काम हुआ है वह बताया है। उसमें यह भी बताया है कि पुलिस का भवन भी बन रहा है। गये साल से पुलिस बिल्डिंग बन रही है, इसका अकाल सहायता से क्या मतलब है ? इसके अलावा यह बताया कि कुशलगढ़ में नर्सरी है....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने जो रकम मंजूर की है टेस्ट काम के लिये उसको बताया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने दो तरह के काम बताये हैं। एक तो तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में, जो राहत-कार्य अब भी प्रोग्रेस में है उनको बताया है और दूसरा तहसील बागीडोरा में बताया है। जहां यह बताया है कि जो रकम हमारी मंजूर हुई थी उसकी तहत -कार्य किया गया उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स के पुराने वर्क्स है उनकी तहत भी काम शुरू किया गया है जिसका राहत की रकम से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन भवन और पथ निर्माण विभाग के जो काम शुरू किये गये हैं वे इन एडीशन टू देट है। राहत कार्य के लिये तो रकम मंजूर की गई है ही और वे काम तो किये ही गये हैं लेकिन उसके अलावा २ डिपार्टमेंट्स ने बड़े काम और शुरू किये हैं जिनसे भी दोनों को मिलाकर राहत मिल सकती है।

श्री हीराभाई : जब आपने बताया कि बांसवाड़ा में नर्सरी है, यह कहीं है आपने देखी है क्या, पुलिस का भवन कहां बन रहा है, यह आपने देखा है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका सम्बन्ध इससे नहीं भी है, थोड़ी देर के लिये यह मान लें; लेकिन जो रुपया मंजूर किया गया गढ़ी और बागीडोरा में, उससे काम जो शुरू किये गये उनका ब्योरा मैंने दिया है। दूसरे जो काम वहां पर हो रहे हैं वे तो इन एडीशन टू देट हैं। यदि उनमें से कोई काम आपके एरिया में पड़ता है तो अच्छी बात है और नहीं पड़ता है तो भी हानि नहीं है। मजदूरों के लिये यह जरूरी नहीं है कि जो गांव अभाव ग्रस्त हैं उन गांवों में ही काम हों। मजदूरों को दूर भी मजदूरी के लिये जाना पड़ेगा।

श्री हीराभाई : क्या यह सही है कि अकाल पीड़ितों के लिये ५ मील या १० मील के अन्दर काम शुरू होना चाहिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप इस काम को अकाल राहत का काम मत मानिये। जो रकम मंजूर हुई है उससे तो वहां पर काम हो ही रहा है। यह तो एडीशनल वर्क है, इनसे भी यदि कोई रिलीफ पाना चाहता है तो रास्ता खुला है और उसके जरिये लोगों ने काम पाया है चाहे आप कुछ भी कहें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि कितनी जगह अभी तक रिलीफ वर्क्स आपने शुरू किये हैं और अब तक आपने २७३ गांव अकाल ग्रस्त

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

डिक्लेयर किये हैं तो उनमें से कितने गांवों में अकाल सहायता विभाग के द्वारा कितनी धन-राशि खर्च की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो प्रश्न के जवाब में बताया था। वह यदि आप सुन लेते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। फाइनल रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद ही जो एक्शन लिये जाने हैं उन पर फैसला करेंगे। यह तो टेस्ट वर्क्स के लिये बताया है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि अकाल सहायता कमेटी ने जिस जिस एरिया में रिलीफ वर्क्स खोलने के लिए मांग की थी वहां वहां खोल दिये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो टेस्ट वर्क्स के लिए बता रहा हूं।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष, मैं भी उस कमेटी में था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस कमेटी के माननीय सदस्य मेम्बर हैं उन कमेटी के प्रपोजल्स तो कलेक्टर से टेलीफोन से बात की है तो उन्होंने बताया है कि वे रवाना कर रहे हैं। वे तो आज डाक से आ जावेंगे या कल आ जावेंगे। वह तो फाइनल रिपोर्ट है। पर्मानेन्ट तरीके से फेमीन के लिए जो काम करने थे, रकम मंजूर करनी थी वह तो अब होगी।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन पोस्टपोन किया जाय। ये रिलीफ वाले वर्क नहीं हैं। यह तो मंत्री महोदय की रोते को छाना रखने की बात है। आप क्लीयर रिपोर्ट दीजिये, विवरण पूरे तौर से दीजिये। आप कह दीजिये कि इस समय मेरे पास उत्तर नहीं है। किसी को अंधा बनाने के लिये ऐसी रिपोर्ट नहीं देनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, गोविन्दपुरा तालाब, कुश कोट. रपनाल, आमाजी, ताल पाट, आमला। इस प्रकार ६ जगह रिलीफ के काम हैं पांच वागीडोरा में, पांच गढ़ी में फेमीन के पैसे से फेमीन एरिया में शुरू किये हैं।

श्री हीराभाई : गये साल काम चलाया, यह बिल्कुल झूठ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनकम्पलीट को कम्पलीट इसी में से करेंगे।

श्री हीराभाई : गये साल की बात है।

श्री अध्यक्ष : गये साल के काम अब ही तो पूरे होंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख बता सकता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ६ वर्क्स पर ५७५ मजदूर काम कर रहे हैं जब कि २७३ गांव अकाल ग्रस्त हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २७३ गांवों में ही अकाल का काम नहीं हो सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे मालूम है, आपसे ज्यादा मालूम है क्योंकि हमारे एरिया में ज्यादा फेमीन पड़ते हैं। वे नियमों की बातें ज्यादा न कहें। फेमीन कोड के अनुसार टेस्ट वर्क्स कब शुरू होने चाहिये थे और कम्प्लीट रिपोर्ट आकर रेगुलर तरीके से कब शुरू हो जाने चाहिये थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका प्रश्न नहीं। मैंने टेलीफोन किया है। उन्होंने कहा कि फाइनल रिपोर्ट हम रवाना कर रहे हैं। वह आज या कल आ जायगी। फाइनल रिपोर्ट आ रही है, उस पर ३१ मार्च से पहले पहले डिसीजन ले लेंगे।

श्री हीराभाई : एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत प्रश्न बाकी रह जाते हैं।

प्रश्न संख्या ५१३

श्री विट्ठल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

डी. आई. आर. के तहत गिरफ्तारियां

५१४. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) आपत्कालीन स्थिति घोषित होने के बाद राजस्थान में कितने लोग डी. आई. आर. के तहत पकड़े गये ?

(२) इनमें से कितने देशद्रोह के कारण, कितने मुनाफाखोरी के कारण एवं कितने तस्करी व्यापार के कारण पकड़े गये ?

(३) उपरोक्त नियमों के तहत पकड़े गये लोगों में से कितने लोग जनता द्वारा चुने गये लोग हैं एवं किस किस पद पर हैं ? नाम सहित बतायें।

(४) क्या उपरोक्त जनता द्वारा चुने हुए लोगों को जिनमें प्रधान, सरपंच एवं पंच भी सम्मिलित हैं, डी. आई. आर. में पकड़ने के पश्चात् उनके पदों से हटा दिया गया ? यदि हां, तो किस किस को ? नाम सहित बतावें। जिनको नहीं हटाया गया उनके नाम बतायें और साथ ही नहीं हटाये जाने का कारण भी बतायें ?

उप-मंत्री, गृह (**श्री निरंजननाथ आचार्य**) : (१) आपत्-कालीन स्थिति घोषित होने के पश्चात् ता० ३१-१-६५ तक ७५५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये एवं ६८ व्यक्ति नजरबन्द किये गये।

(२) गिरफ्तार किये व्यक्तियों में से २३ व्यक्तियों की देश-द्रोह के कारण, १३१ को मुनाफा खोरी के कारण, एवं ३५३ व्यक्तियों को तस्कर व्यापार एवं आवश्यक पदार्थों के अनाधिकृत आयात एवं निर्यात करने के कारण गिरफ्तार किये गये। नजरबन्द किये गये व्यक्तियों में से ४६ व्यक्तियों को तस्कर व्यापार एवं डाकुओं से साठ गांठ

Page No 10

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रखने के कारण एवं ५२ व्यक्तियों को देश द्रोह के कारण गिरफ्तार किया गया।

(३) उपरोक्त ८५३ व्यक्तियों में से १८ जनता द्वारा चुने गये लोग हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(४) जो व्यक्ति नजरबन्द हैं, उनके बारे में पदों से हटाने का प्रावधान कानून में नहीं है, किन्तु जिनके विरुद्ध अदालत द्वारा कार्यवाही चल रही है; उनके विरुद्ध सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जिन लोगों को आपने नजरबन्द किया है उन्हें पुलिस कारणों से या उनके खिलाफ कोई ठोस कारण हैं जिनके आधार पर या वैसे ही जनरल तौर पर नजरबन्द किया हैं या गिरफ्तार किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिनको नजरबन्द किया गया है, अध्यक्ष महोदय, वे ठोस आधारों पर ही किये जाते रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन २३ आदमियों को आपने देश-द्रोह के कारण गिरफ्तार करना बताया उनके खिलाफ देश-द्रोह के कौन से ठोस तथ्य आपके पास मौजूद हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यहां इस सदन के आंगन पर निवेदन करना उचित नहीं समझूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इन देशद्रोही व्यक्तियों का चालान कोर्ट में किया या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने "डिटेन्शन" शब्द कहा है, "चालान" शब्द नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप देश-द्रोह में पकड़े लोगों का देश-द्रोह साबित करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए तैयार हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जनहित में अहितकर है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : २३ सदस्यों में से एक मोहरसिंह एक्स एम. एल. ए. भी हैं।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत प्रश्न न पूछे जावें। सामान्य नीति के बारे में ही प्रश्न पूछे जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन २३ आदमियों की देश-द्रोह की बात करते हैं उन व्यक्तियों के निजी तौर पर उनके खिलाफ, उनके व्यक्तिगत कोई आरोप हैं या किसी दल से सम्बन्धित होने के कारण उस दल की कोई घोषित नीति के कारण उनको गिरफ्तार किया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जनहित की दृष्टि से मैं आरोपों के सम्बन्ध में कोई विश्लेषण नहीं करूंगा।

Page No 11

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब इस बात की पार्लियामेन्ट में चर्चा हुई श्वेत-पत्र निकाल दिया उसमें कौनसी बात खुफिया रहती है ? मैं समझता हूं सरकार के पास कोई तथ्य नहीं है, ठोस आधार नहीं है, छिपाना चाहती है, इसलिए नहीं कहना चाहती है। जब आपने उस बिना पर गिरफ्तार कर लिया, जो लेफ्ट कम्युनिस्ट है उनको आपने इस बिना पर गिरफ्तार कर लिया तो आपके पास कोई ठोस तथ्य हैं तो बताइये ? उससे उल्टा जनता को कॉन्फिडेन्स में ला सकेंगे बर्ना आप उसको गिरफ्तार ही रखना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया जितने आधार हैं और मैंने पहले ही प्रिविलेज क्लेम किया है इस सम्बन्ध में। देशद्रोह आपकी दृष्टि में नहीं है, सामान्य आधार और जनहित की दृष्टि से उनको डिटेन्शन में लिया गया है। इस सम्बन्ध में विश्लेषण करना जनहित में नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : पार्लियामेन्ट में भी माननीय गुलजारीलाल नन्दा ने भी स्टेटमेन्ट दिया है। हिन्दुस्तान के बड़े बड़े लोग पकड़े गये हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। जहां तक राजस्थान का सवाल है एक्स एम.एलए. भी हैं, प्रेजेन्ट एम.एल.ए. भी हैं और पंच और सरपंच वगैरह भी है। इस लिए उनके विषय में लगाये गये आरोपों की थोड़ी बहुत भी जानकारी हो सके कि राजस्थान में इन लोगों ने क्या षड़यन्त्र किया था। राजस्थान की दृष्टि ही बता दीजिये ?

श्री निरंजननथा आचार्य : ऐसा विश्लेषण माननीय होम मिनिस्टर साहब ने किया है; पार्लियामेन्ट में यह कहा गया, लेकिन ऐसा विश्लेषण तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। यह मेटर ऑफओपीनियन है, अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने कुछ कह दिया हो और विश्लेपण कर दिया हो तब भी मैं कहूंगा कि मैं यहां इसका विश्लेषण करना जनहित की दृष्टि से उचित नहीं समझता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन २३ व्यक्तियों में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जिन्होंने चीनी आक्रमण के समय इन्दिरा गांधी, मुरारजी देसाई और पं० जवाहरलाल नेहरू को चांदी और रुपयों से तोलने के लिये अथक प्रयत्न किया था और लाखों रुपया वसूल किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके विचारों में तथ्य है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, आपको हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमको पूर्ण रूप से जानकारी है। इसमें जो कुछ लोग पकड़े गये हैं उन्होंने चीनी आक्रमण के समय पचास हजार रुपये गंगानगर जिले से इकट्ठे करवाये, उसकी जानकारी मन्त्री महोदय को होनी चाहिये। उसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो इस विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। उनके फोटो इसी प्रकार के हैं जिनमें एक तरफ नेहरूजी हैं और पास में यानी साथ में वे खड़े हैं। ऐसी कितनी ही फोटोज़ हैं। इस बारे में एक दम मंत्री महोदय द्वारा कह देना, यह तथ्य नहीं है, यह सदन के सदस्य की जानकारी हो सकती है, उचित नहीं है। मैं यह जानना

Page No 12

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहता हूं कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनके लिये जिस प्रकार से भारत सरकार ने श्वेत पत्र निकाला है क्या उसी तरह का श्वेतपत्र राजस्थान सरकार निकालने के लिये तैयार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं है तो क्यों नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कारण मैं पहले मूल प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भारत सरकार श्वेत पत्र निकाल सकती है तो राजस्थान सरकार को श्वेत पत्र निकालने में क्या आपत्ति है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपत्ति का जिक्र मैं कर चुका हूं, जनहित की दृष्टि से उचित नहीं है।

श्री केसरीसिंह (पाली) : जनहित की जो बात कही जाती है वास्तव में वह ठीक है। हमने यह देखा है, जहां पर लोगों को पकड़ लिया जाता है और कारण नहीं बताये जाते हैं वहां पर आम आदमियों का यह ख्याल हो जाता है कि सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है। केरल में २६ आदमी जो जेल में थे उनको लोगों ने चुना। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि आप कारण नहीं बताते हैं तो आप जनता में ऐसी भावना पैदा करना चाहते हैं कि सरकार दमन कर रही है। यह आप जनहित में समझते हैं तो यह आपकी बलिहारी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : केरल की स्थिति दूसरी है, वहां के चुनाव की स्थिति दूसरी है।

एक माननीय सदस्य : क्या वह हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनका डिटेन्शन हुआ है उसका असर जनता में किसी प्रकार का नहीं है। उससे आप और हम अवगत हैं। जनता में किसी प्रकार की विरोधी भावना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के अनुमान के अनुसार जिन कारणों को लेकर इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया वे कारण प्रगट किये जायं तो जनता की प्रतिक्रिया सरकार के विरोध में होगी, इस प्रकार की सम्भावना है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is a matter of opinion. मैं किसी प्रकार भी असेसमेंट नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आपने यह असेसमेंट कैसे कर लिया कि कारणों को जनहित में न बताया जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विशाल जन-समूह के बारे में मैं अपनी ओपीनियन क्या दे सकता हूं ?

श्री भैरोंसिंह : जिन कारणों को लेकर इनको गिरफ्तार किया गया है उन कारणों को निश्चित रूप से जनता के सामने लाया जाय तो बाकी के लोगों पर इस बात का असर पड़ेगा कि अमुक कारणों से इनको गिरफ्तार किया है, अतः हमें भी इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रश्न को कभी भी इस रूप से एग्जामिन नहीं किया गया। यह मेटर ऑफ ओपीनियन है। यह मुमकिन नहीं, मैं अपनी ओपीनियन जनता के बारे में एक्सप्रेस कर सकूं; इसलिये मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह उचित नहीं होगा जिनको आप कहते हैं, देशद्रोह में गिरफ्तार किया गया है उन पर मुकदमा चलाया जाय ताकि राजस्थान की दो करोड़ जनता उनको देखे और उस पर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय? अगर देशद्रोह नहीं किया है तो मुक्त किया जाय, आप इसके लिये तैयार हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कतई नहीं। डिटेन्शन में लिया है। हम इन देशद्रोही कीड़ों को नहीं फैलाना चाहते, एक जगह ही नष्ट करना चाहते हैं। इनके साथ मिलने वाले रिश्तेदारों को भी हम अपनी निगाहों के नीचे मिलने देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : गिरफ्तारी के कारण गिरफ्तार किये हुए व्यक्तियों को तो बताया गया है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : प्रोसीजर के माफिक सब किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जब आपने उन व्यक्तियों को कारण बताया है और पब्लिक डॉक्यूमेन्ट्स हैं तो वैसी हालत में पब्लिक में बताने में क्या एतराज है ?

श्री निरन्जनाथ आचार्य : डिटेन्शन जिन लोगों का किया गया है वह कारण बाहर लीकेज नहीं होना चाहिये। हम तो उनसे मिलने के प्रश्न पर भी बड़े सतर्क हैं।

श्री भैरोंसिंह : नियमानुसार सरकार ने उनको कारण प्रगट कर दिये, वे उनसे मिलने वालों को बता सकते हैं तो फिर वह विधान सभा को बताने में क्या आपत्ति है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये अणु परमाणु नहीं फैलने चाहिये। ये निवास-स्थान पर ही बने रहें। बातचीत ही हमारे सामने होने देते हैं, तो उसके बाहर फैलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : जनहित का सवाल है, उसका कारण आपने उनको बता दिया जो गिरफ्तार हुए हैं, वे दूसरों को बता सकते हैं अपने वकील को बता सकते हैं और उनके जरिये पब्लिक में आ सकता है; तो विधान सभा में वह आप बताने में क्यों हिचकिचाते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देना चाहता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, नन्दाजी ने श्वेतपत्र प्रकाशित

Page No 14

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

किया और उसमें उनको गिरफ्तारी के कारण बताये । क्या राजस्थान सरकार ने भी अपने यहां पर वामपन्थी कम्यूनिस्टों को गिरफ्तार किया है उन्हीं कारणों के आधार पर किया है; उसमें राजस्थान के वामपन्थी कम्युनिस्ट इन्क्लूडेड है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह व्हाइट पेपर मुझे देखने को नहीं मिला ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सरकार ने जिन लोगों को डिटेन्शन में लिया है उनके सम्बंध में निकट भविष्य में कोई ओपन ट्रायल करने की व्यवस्था पर विचार रखती है या कतई नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं रखती; निश्चित रूप से नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कहने पर उनकी नीति के अनुसार गिरफ्तार किया है, उन गिरफ्तारी के आधारों को व्हाइट पेपर में बताया गया है उसके अलावा भी राजस्थान सरकार ने अपने आप अपने इनीशियेटिव पर गिरफ्तार किया है या अलग कारणों पर किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कारण तो जैसा मैंने निवेदन किया एन्टी नेशनल एक्टीविटीज हैं; जो सारे हिन्दुस्तान के लिए कारण है उसमें भेदभाव नहीं । रहा सवाल हमारी नीति के अनुसार गिरफ्तार करने का, उसके बारे में हम किसी से पूछताछ नहीं करते । प्रोवीज़न फॉर लॉ एप्लीकेबल है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑल इन्डिया लेवल पर उन्हीं आरोपों के आधार पर यहां गिरफ्तार किया गया, उसी प्रकार केरल में भी गिरफ्तार किया गया । जो गिरफ्तार किये गये उन्होंने इस बात की चुनौती दी कि इसके बारे में पब्लिक ओपीनियन जाहिर कर सकती है । वहां पब्लिक ने अपनी ओपीनियन जाहिर कर दी और २६ आदमियों को चुनकर भेजा है । तो ऐसी हालत में क्या सरकार बुनियादी तौर पर इस फैसले को रिव्यू करेगी कि सरकार के आरोप गलत थे; दुर्भावना के आधार पर गिरफ्तार किया गया ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : राज्य सरकार यह बताये कि जब भारत सरकार का होम मिनिस्टर श्वेतपत्र जारी कर सकता है तो राज्य सरकार उसके लिए क्यों तैयार नहीं है ?

प्रश्न संख्या ५१५

श्री अध्यक्ष: श्री उमरावसिंह ढाबरिया

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास ।

सिटी बस सर्विस की बस से एक्सीडेन्ट में छात्र की मृत्यु

५१६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या गृह-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

Page No 15

(श्री मुरलीधर व्यास)

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में ४-२-६५ को सिटी बस सर्विस से एक्सीडेन्ट होने से इन्जीनियरिंग में पढ़ने वाले एक छात्र की मृत्यु हो गई ?

(२) यदि हां, तो एक्सीडेन्ट कैसे हुआ ?

(३) क्या जिस ड्राइवर ने दुर्घटना की उसको मौके पर ही गिरफ्तार कर चालान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। दुर्घटना दिनांक ४-२-६५ को सायं ४.३० बजे हुई तथा छात्र दिनेशचन्द्र की मृत्यु दिनांक ७-२-६५ को अस्पताल में हुई।

(२) एक्सीडेन्ट कैसे हुआ अथवा किन कारणों से हुआ, मामला अदालत में विचाराधीन है।

(३) अन्वेषणकर्ता मुख्य आरक्षी थाना अशोकनगर, श्री लक्ष्मणसिंह बस चालक को घटनास्थल से अपने साथ थाना अशोकनगर ले गये तथा जरूरी तफतीश तथा उससे पूछताछ के बाद रात्रि को ६ बजे उसे गिरफ्तार किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस ने इन्क्वायरी की होगी; पुलिस की क्या रिपोर्ट है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चालान हुआ है; मुकदमा दफा २७९,३३७ में चालान हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

बन्दूक की गोलियों से घायल व्यक्तियों संबंधी घटना की जांच

५१७. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि किशनचन्द पुत्र खिलन्दाराम और प्रेमचन्द पुत्र बिशनराम, साकिन ऊटवाल, तहसील अलवर अलेग्जेन्ड्रा अस्पताल अलवर में तारीख १३-२-६४ को भर्ती हुए ?

(२) क्या यह सही है कि इन दोनों को बन्दूक की गोलियां लगी हुई थीं और दाखिल होने समय गोलियां उनके शरीर में थी।

(३) क्या यह सही है कि इन दोनों मरीजों से मेडिकल जुरिस्ट ने १२ रु० फीस मेडिकल एक्जामिनेशन के चार्ज कर लिये ?

(४) क्या यह सही है कि उनके रिश्तेदार सुखदेव ने इस सम्बन्ध में तारीख १६-२-६४ को पी० एम० एण्ड० एच० ओ० अलवर से लिखित में शिकायत की थी ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(५) क्या यह सही है कि गत ३-३-६४ को डा० एम० एम० शर्मा ने वार्ड में जाकर मरीज प्रेमचन्द से एक लिखित बयान पर अंगूठा कराया और आसपास के मरीजों से भी अंगूठे करा लिए ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त मरीज प्रेमचन्द ने शिकायत की है कि उससे वैसे ही अंगूठा करा लिया गया है ?

(७) क्या इस सारी घटना की निष्पक्ष जांच की गई है? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) भरती होने के बाद जांच करने पर मालूम हुआ कि इन दोनों व्यक्तियों के शरीर में छरे थे।

(३) जी नहीं। इनसे पांच पांच रुपये चार्ज किये गये क्योंकि वे पुलिस द्वारा रेफर नहीं किये गये एवं निजी तौर से फीस चुकाकर मुबायना करवाया था।

(४) जी हां। शिकायत सुखदेव ने की थी परन्तु वह मरीज का रिश्तेदार नहीं बताया जाता।

(५) डा० एम० एम० शर्मा ने पी० एम० एन्ड एच० ओ० द्वारा इस विषय में जांच करने के आदेश मिलने पर अपने जांच दौरान में श्री प्रेमचन्द के बयान लिये थे। श्री प्रेमचन्द पढ़ना नहीं जानते थे इसलिये उनके बयानों पर उनके अंगूठे की निशानी ली गई तथा उसी वार्ड के एक बीमार के रिश्तेदार से उसके बयान को पुष्टि कराई गई।

(६) जी नहीं।

(७) जी हां, जांच कराने पर शिकायत निराधार सिद्ध हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या जब उससे अंगूठा कराया गया था तो वह कागज पहले उसको पढ़ कर सुनाया गया था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अंगूठा लगाया जाता है तो पढ़ कर सुनाया जाता है; यह तो सामान्य बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रीपोजीशन और कन्जंक्शन में उत्तर मत दीजिये। या तो आप कहिये कि मालूम नहीं; साफ कहिये हां या ना में।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जब तक इसके विपरीत कुछ नहीं मिलता तब तक तो यही समझा जायेगा कि सुनाया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहता हूं पहले पढ़ कर नहीं सुनाया गया और वैसे ही अंगूठा करा लिया गया।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसा जांच कराने पर सिद्ध नहीं हुआ।

Page No 17

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसकी जांच की गई कि पढ़ कर सुनाया गया या नहीं अंगूठा कराने से पहले ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जिन मुद्दों पर जांच की गई उनमें यह भी था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसका स्पेसिफिक उत्तर चाहता हूं कि आया अंगूठा कराने से पहले पढ़ कर सुनाया गया या नहीं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने बतलाया कि हरेक मुद्दे पर जांच की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इसका उत्तर अवोइड कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : भाग (६) में आपने यही प्रश्न पूछा था और उत्तर मिला। जांच कराने पर शिकायत निराधार सिद्ध हुई, तो इसका मतलब है इसकी भी जांच हो गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात की जांच हुई कि नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आपके प्रश्न में यह लिखा है और उसके उत्तर में कहा गया कि जांच की गई और निराधार पाई गई।

राज्य में डकैतियां

५१८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में सन् ६४ से अब तक कुल कितनी डकैतियां किस किस जिले में कितनी कितनी हुई तथा इनमें कितना माल गया ?

(२) इन डकैतियों में अपहरण तथा कत्ल की संख्या कितनी है ?

(३) इन डकैतियों के लिये हर जिले में कितने अपराधी गिरफ्तार किये गये ?

उप मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) १ जनवरी, ६४ से ३१ जनवरी, ६५ तक राज्य में कुल ८४ डकैतियां हुई जिनमें दो डकैतियां सन् ६५ की भी हैं। जिनमें कुल २,३६,६६४)८३ पैसे के मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई। जिलेवार सूची संलग्न है।

(२) इन डकैतियों में कुल तीन व्यक्तियों का अपहरण किया गया और कोई कत्ल नहीं हुआ।

(३) इन डकैतियों में अब तक कुल ४१८ अभियुक्त गिरफ्तार हो पाये हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : इसमें से बरामद कितना हुआ माल ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुल ६१,५६६) रुपये की।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में गृह तथा स्लम क्लियरेन्स के लिये निर्धारित धनराशि

५१६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में गृह निर्माण तथा स्लम क्लियरेन्स के लिये कितना धन निर्धारित किया गया था ? इसमें किस किस वर्ष में कितनी कितनी धनराशि भारत सरकार से मिली तथा मिलने वाली है ?

(२) इस कार्य का इस योजना में प्रत्येक वर्ष के लिये निर्धारित कार्यक्रम क्या निश्चित किया गया था ?

(३) इस कार्यक्रम तथा योजना के अन्तर्गत किस किस जिले में अब तक कितनी कितनी धनराशि खर्च हुई है और कितनी कितनी शेष है ?

उप मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में गृह निर्माण तथा स्लम क्लियरेन्स के लिये निम्नलिखित धनराशि निर्धारित की गई थी ।

रुपये लाख में

१.	अल्प आय गृह निर्माण योजना	२१५
२.	सब्सीडाइज्ड औद्योगिक गृह निर्माण योजना	७०
३.	ग्राम गृह निर्माण योजना	१२५
४.	स्लम क्लियरेन्स योजना	१०
	जोड़	४२०

इसके अतिरिक्त ५० प्रतिशत ऋण और २५ प्रतिशत अनुदान के हिसाब से ३० लाख रुपया स्लम क्लियरेन्स के लिये भारत सरकार से मिलना था ।

जो धन-राशि भारत सरकार से मिली अथवा मिलने वाली है उसका ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(२) तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्लम क्लियरेन्स के लिये प्रति वर्ष निम्न प्रकार से भावी कार्यक्रम निश्चित किया गया था ।

रकम (लाख रुपयों में)

साल	राज्य सरकार द्वारा	भारत सरकार द्वारा	योग	मकान संख्या
६१-६२	१-००	३-००	४-००	१२०
६२-६३	३-००	९-००	१२-००	३६०
६३-६४	२-००	६-००	८-००	२४०
६४-६५	२-००	६-००	८-००	२४०
६५-६६	२-००	६-००	८-००	२४०
योग	१०-००	३०-००	४०-००	१२००

(३) उक्त कार्यक्रम के अनुसार स्लम क्लियरेन्स के अन्तर्गत निम्न प्रकार से जिलेवार खर्च हुआ है ।

(श्री परसराम मदेरणा)

जयपुर	२,५०,८००)
अलवर	२,६४,०००)
उदयपुर	७४,७६६)
	५,८६,५६६)
शेष	३४,१०,४०१)

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : ४० में से ३४ लाख शेष रहने का कारण क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसके नीचे दो जगह से स्कीम हमारे पास आई एक जयपुर से और दूसरी कोटा से। पर बाद में कोटा वालों और जयपुर वालों ने भी मना कर दिया कि नहीं बना सकते। भारत सरकार पहले हायर पर्चेज़ पर खरीदने को और सब्सिडाइज्ड रेट पर तैयार नहीं थी। इसलिये खर्चा नहीं हो सका और एमर्जेंसी के बाद में स्कीमें आई हुई नहीं थीं इसलिये जो पहले की स्कीमें हाथ में ली गई थीं, उन्हीं को एग्ज़ीक्यूट किया।

श्री भैरोंसिंह : जब स्कीम नहीं थी तो आपने भारत सरकार से इतना कर्जा क्यों लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो आवश्यकता के हिसाब से लिया।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास दो स्कीमें आई और दोनों रिजेक्ट हो गई तो आवश्यकता कहां रही ?

श्री परसराम मदेरणा : यह स्कीम का रुपया नगरपालिका के थ्रू खर्च होता है। दूसरी बात यह है कि यह स्कीम पॉपूलर नहीं हो सकी। यू. आई. बी. ने तो यह लिख दिया कि इससे तो हरिजनों को कन्सेशन रेट पर प्लॉट देंगे जो ज्यादा सहूलियत होगी।

श्री भैरोंसिंह : यह तो सही है कि स्कीमें विथ्ड्रॉ हो गईं। तो क्या इन दो ही स्कीमों में ३४ लाख खर्च हो जाता ?

श्री परसराम मदेरणा : नहीं। पर्सपेक्टिव प्लानिंग में अन्दाज लगाना चाहते थे जैसे उदयपुर में दूसरी योजना में स्कीम ली इसलिए स्लम क्लियरेन्स जरूरी है इसलिये प्रोवीजन रखा था। पर यह स्कीम पापूलर नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत सरकार सहकारिता द्वारा हायर पर्चेज़ पर देना चाहती थी और सहकारिता में यह पॉपूलर नहीं हुई इसलिये हम इसको पॉपूलर बनाने के ख्याल से भारत सरकार से इसमें परिवर्तन करने के लिये लिखापढ़ी करते रहे। इन्डिविजुअल टीनामेंट बनाते हैं उसको हायर पर्चेज़ पर देने की आज्ञा हो तो पॉपूलर हो सकती है यह स्कीम। अब भारत सरकार ने इस पर एग्री कर लिया है दो महीने पहले। अब जो स्कीम बनेगी वह सिर्फ इन्डिविजुअल तौर पर स्लम ड्वैलर लेना चाहेगा तो हायर पर्चेज़ पर खरीद सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि अब पॉपूलर होने की पोसिबिलिटी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध की सूचना कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने इन्डी-

Page No 20

(श्री भैरोंसिंह)

विजुअल बेसिस पर हायर पर्चेज के सिस्टम को स्वीकार कर लिया है आपने विभिन्न नगरपालिका और नगर विकास मण्डलों को दे दी है ?

श्री परसराम मदेरणा : दी जानी चाहिए रूटिन कोर्स में, मैं ऐसा समझता हूं। मैं डेफीनिट नहीं कह सकता। पूरी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार का विचार है कि यह शेष धनराशि एक वर्ष के अन्दर खर्च कर दी जाये ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न नहीं उठता एक साल में खर्च करने का।

श्री भैरोंसिंह : फिर बची हुई रकम कहां जायेगी ? आपने स्लम क्लियरेन्स के लिए लोन दे दिया और उसके बाद में ५ वर्ष में ५ लाख रुपया आप खर्च कर पाये और ३४ लाख रुपया खर्च नहीं कर पाये जब कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर; अजमेर, कोटा आदि सारे सिटीज बार बार मांग करते हैं कि स्लम की समस्या बन रही है और इसके लिए रुपया खर्च कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और है। बाकी के अल्प आय गृह निर्माण, सब्सीडाइज्ड इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम, स्लम क्लियरेन्स स्कीम और रूरल हाउसिंग स्कीम को छोड़कर बाकी की जो धनराशि है वह कितनी शेष है इस समय ?

श्री परसराम मदेरणा : १९६४-६५ के जो एस्टीमेट्स हैं....

श्री भैरोंसिंह : एस्टीमेट्स नहीं पूछता। अब तक जो आपको धनराशि मिल चुकी और जो आपने निर्धारित की है इन आइटम्स में उसमें से कितनी खर्च हुई और कितनी शेष है ?

श्री परसराम मदेरणा : एल० आई० जी० एच० में ८५ लाख ४० हजार १९६४-६५ में तो एक्चुअली हमारे पास एक्सपेन्डीचर कितना हुआ है वह एलोकेशन कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : अब तक ४ वर्ष निकल चुके उसमें तो।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय यही कह रहे हैं कि इस वर्ष के अन्त तक इतना रुपया अनुमानतः खर्च कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो ४ वर्ष का पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इस साल के अन्त तक मतलब अभी जो साल चल रहा है; जो पैसा बांट दिया है और अब कितना बचा है, वही बता रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा मतलब कहने का यही था कि जो फोर्थ ईयर है १९६४-६५ का एल० आई० जी०. एच० में ८५ लाख ४० हजार, सब्सीडाइज्ड इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम में ४३ लाख २४ हजार, रूरल हाउसिंग के अन्दर ३३ लाख ४० हजार रुपया और स्लम क्लियरेन्स के अन्दर ५ लाख ९० हजार रुपया।

श्री भैरोंसिंह : हाउसिंग में भी क्या कोई समस्या थी कि आप २१५ लाख में से ८५ लाख खर्च कर पाये, ७० में से ४३ कर पाये और १२५ में से ३३ लाख खर्च कर पाये इसके अन्दर भी क्या कोई समस्या थी ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : क्या थी ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐमर्जेन्सी की समस्या थी । ये चारों स्कीम जो मैंने रखी हैं यह विद इन प्लान सीलिंग इन दी प्रावीजन रहती हैं और एमर्जेन्सी की वजह से-दूसरे मुद्दों पर या प्रायोरिटी के बेसस पर यह उसमें नहीं आ सकी टाप प्रायोरिटी में इसलिए इसमें कट हुआ और एमर्जेन्सी के समय जितने दूसरे मद थे उसमें खर्च ज्यादा हुआ । इसलिए इसके एड्जसमेन्ट करने की वजह से हाउसिंग के ऊपर ज्यादा पैसा नहीं रख सके ।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि कोर ऑफ प्लान में जितनी रकम निर्धारित की थी वह खर्च हो गई ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रायोरिटी का सवाल आता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुराणा

श्री परसराम मदेरणा : कोर ऑफ दी प्लान में जो कट हुआ उसमें अकार्डिंगली इसमें कट नहीं हुआ लेकिन एमर्जेन्सी जब लागू हुई तो उस समय जो प्रायोरिटी फिक्स की....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कोर ऑफ दी प्लान एमर्जेन्सी के बाद ही हमने डिटर्मिन किया है इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि इस वर्ष इन अलग अलग मुद्दों में कितना रुपया इस वर्ष खर्च करना चाहते हैं, इस बात का राज्य सरकार ने क्या निर्णय किया ? रूरल हाउसिंग में, स्लम क्लियरेन्स में इस वर्ष कितना रुपया खर्च करना चाहते हैं, यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : एल० आई० जी० एच० में १० लाख, सब्सीडाइज्ड इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम में ५ लाख ५० हजार, रूरल हाउसिंग में २ लाख ५० हजार और स्लम क्लियरेन्स में २ लाख रुपया ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ५२०

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सांवलियाराम ।

ग्राम अरोंदा के बांध का पानी

५२१. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास-मु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील नदबई के ग्राम अरोंदा का बांध का पानी अरोंदा ग्राम में भर जाता है और यदि इस बंध को और बढ़ा दिया जाये तो १५००

(श्री सांवलियाराम)

बीघा जमीन की अतिरिक्त सिंचाई हो सकती है?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां, पानी अरौंदा ग्राम के नीचे भागों में भर जाता है किन्तु इस बांध को ऊंचा करने से अतिरिक्त सिंचाई हो सकती है या नहीं सर्वेक्षण होने के उपरान्त ही पता चल सकता है।

(२) जी हां, आवश्यक सर्वेक्षण कराने की कार्यवाही जल्दी शुरू की जायेगी।

श्री सांवलियाराम : अध्यक्ष महोदय, गांव ही सारा निचले भाग में बसा हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपने सर्वेक्षण कराने के लिए कहा है तो इसको आप कब तक शुरू करा रहे हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह बांध तो ऊंचा करने का है ही। सर्वेक्षण तो जल्दी ही शुरू करा दिया जायेगा। अब इसका सवाल आया है तो जल्दी करा दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या ५२२

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार खां।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

पंचायत समिति जमुवारामगढ़ के सहायक निरीक्षक के साथ मारपीट

५२३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति जमुवारामगढ़ के श्री ज्ञानचन्द सहायक निरीक्षक सहकारी समितियों को किसी सार्वजनिक कुण्ड में स्नान करने पर पीटा गया ? यदि हां, तो कौन से गांव में ?

(२) क्या यह सच है कि पंचायत समिति ने इस छूआछूत पूर्ण दुर्व्यवहार पर खेद प्रकट कर एक प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार के पास भेज कर उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सच है कि उस गांव के पंचायत के सरपंच ने उक्त व्यक्ति से कुण्ड को साफ कराने के लिए ११) रु० जुर्माना लिया है ? यदि हां, तो अब तक उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) ग्राम टोडामीना में श्री ज्ञानचन्द सहायक निरीक्षक पर केवल हमला किया गया था किन्तु मारपीट नहीं की गई थी।

(२) जी हां, प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।

Page No 23

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(३) जी नहीं, जुर्माना लगाने या वसूल करने का कोई प्रमाण अनुसंधान से नहीं मिला। हमला करने वाले समस्त ६ वों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ३,४ एवं १२ छूआछूत एक्ट के अधीन चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : अब क्या हो रहा है उस चालान में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चालान में कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राजस्थान नहर क्षेत्र में बस्तियां तथा मंडियों के निर्माण पर व्यय

५२४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या उपनिवेशन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नहर क्षेत्र में कितनी एवं कहां कहां बस्तियां तथा मंडियां बसाने का इरादा है तथा इसमें कुल कितना खर्चा होगा ?

(२) उक्त खर्चे के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उप-मंत्री, उपनिवेशन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राजस्थान नहर क्षेत्र में ३० मंडियां बनाने की योजना है। यह मंडिया इन स्थानों पर होंगी :—

(१) सूरतगढ़ 'अ' श्रेणी

(२) रावतसर 'ब' श्रेणी

(३) अनूपगढ़ 'सी' श्रेणी

इन मंडियों पर १८०.०० लाख रु० का खर्चा होने का अनुमान है।

(२) राजस्थान कैनाल के भविष्य के प्रश्न पर राज्य सरकार व भारत सरकार में बातचीत चल रही है और उस विषय में अन्तिम निर्णय होने पर ही उसके अनुसार कार्यवाही हो सकेगी।

श्री भीमसेन : भारत सरकार से बातचीत क्या चल रही है ? सूरतगढ़ की जो मण्डी बनाना चाहते हैं क्या उसे नहीं बना रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारी पॉलिसी कालोनाइजेशन की और राजस्थान कैनाल के कन्सट्रक्शन की बातचीत चल रही है।

प्रश्न संख्या ५२५

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दयाचन्द सोन।

Page No 24

बारां की नई मण्डी में काश्तकारों को सुविधायें

५२६. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि बारां की नई मण्डी में काश्तकारों के विश्राम व उनके मवेशी बांधने व पानी पिलाने का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

(२) यदि हां, तो कब तक इसका प्रबन्ध हो जायेगा ?

(३) यह मंडी कब से वहां कायम है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) नई मण्डी में मवेशियों को पानी पिलाने के लिए २ कुंए तथा ८ खेलियां व एक हैण्ड पम्प की व्यवस्था है। काश्तकारों के विश्राम के लिए शेड बनाने हेतु टीन की चद्दरें प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है।

(२) विश्राम का प्रबन्ध चद्दरों का कोटा प्राप्त होने पर शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जायेगा। दो हैण्ड पम्पों के अलावा ६ हैंड पम्प फिक्सड मण्डी में लगाये जा रहे हैं।

(३) मण्डी २१-१२-६४ से कायम है।

श्री दयाचन्द सोन : आपने बताया कि २ कुए वहां पर मौजूद हैं और वहां पर जब टिनें मिल जायेंगी तो छाया कर दी जायेगी लेकिन टिनें यदि साल भर तक नहीं मिलीं, तो काश्तकार कहां उठेंगे और कहां बैठेंगे ? समस्या तो अभी है, ४ दिन बाद धूप पड़ेगी तो काश्तकार क्या करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां के लिए हम चद्दरें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कष्ट हो ऐसी बात नहीं है। छाया वगैरह वहां सब है।

श्री दयाचन्द सोन : आप सदन को बिल्कुल गलत सूचना दे रहे है। मैं वहां रहता हूं और उस इलाके के ४ सदस्य हैं और रात दिन मण्डियों में अनाज लेकर आते हैं, वहां छाया की और विश्राम करने की कोई सुविधा नहीं है।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वहां के लिए आपका स्थगन-प्रस्ताव भी आया था उसके बारे में पूरी जानकारी करली है और इस मण्डी कमेटी में ज्यादातर किसानों के ही प्रतिनिधिगण हैं और वहीं इन प्रतिनिधियों का और यार्ड का मेनेजमेंट है और उनको संतोष है।

श्री दयाचन्द सोन : आपको ऐसी क्या दिक्कत पैदा हो गई कि दो-चार दिन में आपने मण्डी को हटा दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राज्य के कायदे-कानून इसी सदन में बनाये, उसी के नीचे काम करना जरूरी था।

(१२. मध्यान्ह)

श्री दयाचन्द सोन : आप तो यहां बैठे बैठे आराम से सो रहे हैं।

Page No 25

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपसे ज्यादा जानकारी रखता हूं ।

श्री दयाचन्द सोन : कोई जानकारी नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बारां में किसानों को बैठने के लिए छाया है । वहां कोई स्थान बैठने के लिए नहीं है, गर्मी के मौसम में बड़ी दिक्कत होती है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस मंडी को डेवलप करने से काश्तकारों को एक साल में ३ लाख रुपये का लाभ हुआ है । इसलिए कुछ दिनों के लिए धूप को बरदाश्त भी करना पड़े तो वे तैयार रहें ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : अगर दो महीने के बाद शेड्स बना लेते तो क्या होता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जल्दी से जल्दी किसानों को फायदा हो, इसलिए जल्दी की ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बिड़ला और टाटा को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ है । इसलिए इस राज्य में कानून बनना चाहिए कि उनको धूप में खड़ा रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कहा है कि टीन की व्यवस्था जल्दी की जायगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : धीरे धीरे पानी का, छाया का, दरख्त का सब का इंतजाम किया जायगा और किसान तो धूप खाने का आदी है । खेत में १२ घंटे, १४ घंटे खड़ा रहता है, धूप में खड़ा रहता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसान धूप खाने का आदी है और आप घूंस खाने के आदी हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके अक्ल की क्या सराहना करूं, दुनिया जानती है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरा एक प्रश्न संख्या ५३६ है ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : मेरा प्रश्न संख्या ५२८ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल ।

तहसील सिकराय क्षेत्र का सैटलमेंट

५२८. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय—सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय क्षेत्र का सैटलमेंट संवत् २०२२ की साल तक का हुआ है ?

(२) क्या अब इसका सेटलमेंट सरकार कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

(३) क्या जिन गांवों का एकीकरण का कार्य नहीं हुआ है उनका कार्य सरकार अब कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(३) इस संबंध में पंचायत समिति सिकराय की सहमति प्राप्त होने पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है और इसके लिए पंचायत समिति को लिखा जा चुका है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : अब क्योंकि वह कन्सोलीडेशन का समाप्त हो रहा है तो क्या सरकार आगे बंदोबस्त करवाने के लिए विचार रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि अभी उसका पीरियड समाप्त नहीं हुआ है। होगा २०२२ के अंत तक और उसके बाद में जो राजस्थान का कार्यक्रम है, उसके हिसाब से उसका नंबर आयेगा। तब हम कर सकेंगे। अब राजस्थान में करीब तीस हजार स्क्वायर माइल्स का रिवीजन ड्यू है, सब एक साथ नहीं ले सकते। इसलिये फेज्ड प्रोग्राम के अनुसार लेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : एकीकरण के जो चक हैं वे पंचायत समितियों को संभलाए नहीं गए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सिकराय में एकीकरण चाहते हैं; पता नहीं, आप किस तहसील की बात करते हैं ?

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल : जो तहसील सिकराय में फॉर्म्स हैं उसमें जितने बंदोबस्त हुए हैं, उसके बाद में परिवर्तन हुए हैं, तो न तो एकीकरण हुआ है, न आगे आशा है। जो जागीर के जमाने में............

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि एकीकरण करने के लिए हम तैयार हैं बशर्ते कि पंचायत स्वीकृति दे दे। सरकार ने फैसला किया है कि प्रस्ताव पंचायत समिति पेश करे, कह दे कि हमारे क्षेत्र में कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाय तो हम करते हैं। आपकी यदि इतनी इच्छा है तो पंचायत समिति प्रस्ताव भेजे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

डॉ० टी० पी० भारद्वाज की नियुक्ति

५३६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि डॉक्टर टी० पी० भारद्वाज हैड ऑफ पैथॉलोजी विभाग, एस० एम० एस० मेडीकल कॉलेज

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जयपुर, यहां पर नियुक्त होने से पूर्व बम्बई में एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित मेडिकल कॉलिज में लेक्चरार थे ?

(२) क्या यह सही है कि डॉ० भारद्वाज एस० एम० एस० कॉलेज में नियुक्त होने से पहले अपनी बम्बई की पूर्व सेवाओं से मुक्त नहीं हुए थे ?

(३) क्या यह सही है कि डॉ० भारद्वाज बम्बई के म्युनिसिपल कार्पोरेशन द्वारा बर्ख्वास्त किये गए थे ? और उन्होंने आज तक यह तथ्य सरकार से छिपाया है ? कृपया डॉ० भारद्वाज के नियुक्ति के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र और उनकी नियुक्ति की आज्ञा को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप-मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे मिली है, वह अपर्याप्त है इसलिए संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में मैं नहीं हूं । इसको ६ तारीख तक के लिए पोस्टपोन किया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी सूचना विभाग में आ चुकी है फिर क्यों नहीं देतीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैं माननीय सदस्य को पूरा संतोष दिलाऊं इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही संतोषजनक उत्तर दे सकती हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न ५२७ के उत्तर में दोनों एग्रीमेंट्स, प्रोवीज़नल और फाइनल, की कॉपीज़ सदन की मेज पर रखी जायं ।

श्री अध्यक्ष : आप केवल देख सकते हैं ।

प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट देखिये) ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सुखनिया बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

५१३. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।—

(१) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा, तहसील बांसवाड़ा में सुखनिया बांध की डूब में आनेवाली भूमि के किसानों में से अभी तक कई लोगों को न तो मुआवजा मिला न उनको दूसरी जमीन मिली है ?

(२) यदि हां, तो ऐसे कितने किसान है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) करीब १४५ किसान है ।

रेवेन्यू एकाउन्टेंट, नायब तहसीलदार तथा सदर कानूनगो की वेतन शृंखला

५१५. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) तहसील रेवेन्यू अकाउन्टेन्ट की कोई पोस्ट है ? अगर हां, तो उसकी १९६१ से पूर्व क्या ग्रेड थी ?

(२) क्या इस ग्रेड में कोई कमी की गई है ? अगर हां तो क्यों और कब से ?

(३) क्या नायब तहसीलदार की ग्रेड व रेवेन्यू अकाउन्टेन्ट की ग्रेड पहले एक ही थी अगर हां, तो क्या इनमें फर्क किया गया है ?यदि हां, तो क्यों ?

(४) सदर कानूनगो की ग्रेड पहले क्या थी और अब क्या कर दी गई है ?

(५) इस परिवर्तन का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी, हां ।

१९६१ से पूर्व ग्रेड ११०-५-१३५-१० २२५ थी ।

(२) जी, नहीं ।

आगे प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जी, हां ।

जी, हां ।

क्योंकि—

(१) नायब तहसीलदार के पद राजस्थान तहसीलदार सेवा में होने के कारण पुनरीक्षित वेतन नियम, १९६१ द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा के लिये निर्धारित वेतन शृंखला १५५-१०-२८५-१५-४३५-२५-४८५ में आ गये । तथा तहसील रेवेन्यू अकाउन्टेन्ट का संवर्ग पृथक उत्तर होने से उनका स्केल अलग ही रहा ।

(२) नायब तहसीलदार पदोन्नति राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमों के अन्तर्गत होती है जिसमें तत्संबंधी उचित प्रावधान है जब कि तहसील रेवेन्यू अकाउन्टेन्ट के विषय में ऐसे सेवा नियम नहीं हैं ।

(३) दोनों तरह के पदों पर नियुक्ति के आधार तथा उनके सेवाकार्य में भिन्नता है ?

(४) पहले ग्रेड १००-७।।-१६० थी । अब ग्रेड १५५-१०-२८५-१५-४३५-२५ ४८५ है ।

(५) कार्यभार ।

कामां में बाढ़ से हानि

५२०. श्री रामकिशन (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) इस वर्ष बाढ़ के पानी से कामां (भरतपुर) में कितनी क्षति हुई है, कितने गांव डूबे हैं और कितने एकड़ खेती तथा खाली रकबा गरकी में आ गया है ?

(श्री रामकिशन)

(२) क्या इस बाढ़ में पशुधन की भी हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(३) लगातार कई वर्षों से इस क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त रहने के कारण क्या सरकार इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इस कमी वाले क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं दी जावेंगी ?

उत्तर

(१) इस वर्ष बाढ़ के पानी से कामां तहसील के १४५ गांवों में क्षति हुई है। २२०६४ एकड़ फसल खरीफ में नुकसान हुआ है तथा करीब २०५१६ एकड़ रकबा गरकी में रह जावेगा।

(२) पशु-धन की कोई हानि नहीं हुई।

(३) अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है परन्तु मतालबा फसल खरीफ २०२१ थाम रखा जा रहा है। इस क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिये तकावी ऋण स्वीकार किया है जो वितरित किया जा रहा है मकानों के लिये ८५,००० रु० कुओं की सफाई के लिये १ लाख रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता के लिये ८००० रु. तथा ग्रेचुटस रिलिफ के लिये १५ हजार रुपये प्रदान किये हैं जिनका वितरण नकद तथा गेहूं के रूप में किया गया है। सस्ते अनाज की दूकानें भी खोली गई हैं। जिले से अभाव स्थिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिये जिलाधीश को लिखा गया है कि उनकी ओर से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही सरकार उस पर विचार करेगी और आवश्यकता हुई तो अभाव स्थिति घोषित की जायगी।

चरागाह की भूमि

५२२. श्री अब्दुलजब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बेंगू पंचायत क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ में मवेशियों के चरने की चरागाह कितनी है तथा वह किसके कब्जे में है ?

उत्तर

ग्राम बेंगू और पूनी बेंगू दोनों मिले हुए हैं जो पंचायतें बेंगू में हैं। इन दोनों गावों में चरागाह कायम करने के लिये बिला नाम भूमि उपलब्ध न होने से चरागाह कायम नहीं हुए हैं।

फरार औरत की खोज

५२५. श्री अमरसिंह (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 30

(श्री अमरसिंह)

(१) क्या यह सच है कि थाना फुलेरा में ५-३-६३ को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि ग्राम बाघास से एक औरत ग्राम सेवक व कुछ अन्य लोगों द्वारा फरार कर दी गई ?

(२) यदि हां, तो इस विषय में पुलिस ने आज तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) जी हां !

(२) स्थानीय पुलिस को श्रीमती भागीरथी का पता नहीं लग सका अतः उन्होंने अदम पता में अन्तिम निर्णय दिया, तत्पश्चात् सी० आई० डी० अधिकारी की जांच से यह ज्ञात होने पर कि प्रसारण का अनुसंधान उचित रूप से नहीं हुआ, अतः अब अनुसंधान सी० आई० डी० ने आरम्भ कर दिया है।

अतारांकित प्रश्नोतर

धौलपुर में डकैतियां और स्त्रियों के अपहरण के मामले

२१. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) १९५७ से १९६४ तक धौलपुर में कितनी डकैतियां व औरतों को भगाने तथा बेचने के केसेज हुए ?

(२) उपरोक्त केसेज में से कितनों के चालान हुये ?

(३) कितने केसेज में सजा हुई तथा कितने केसेज में अभियुक्त बरी हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) डकैतियां ५४ और औरतों को भगाने के ६६ केस हुए। इनमें ८७ औरतें भगाई गई जिनमें से ३६ बेचने के लिए थीं।

(२) डकैती के ३० केसों का चालान हुआ एवं ११ केस में धारा ५१२ भा० दं० सं० की कार्यवाही की गई। औरतों के भगाने के ३६ केसों का चालान हुआ तथा ५ में धारा ५१२ भा० दं० सं० की कार्यवाही की गई।

(३) डकैती के १४ केस में सजा हुई तथा ३ में अभियुक्त बरी हुए। औरतों के भगाने के १५ केस में सजा हुई तथा ११ में अभियुक्त बरी हुये। इन ४३ केसों की वर्षवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

तहसील टोडाभीम में चरागाह भूमि के अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्तें

२२. लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कदमखुण्डी की छारा भूमि तहसील टोडाभीम को चरा-

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

गाह में परिणित करने की दर्ख्वास्त उस ग्राम के निवासियों ने करीब २-३ साल पूर्व से ही कर रखी है ?

(२) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित ग्राम में चरागाह भूमि कम है और उन ग्रामों के पशु इस भूमि में ही हमेशा से चरते आए हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को अलॉट कराने हेतु भी १-२ व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं ?

(४) तहसील आज तक इसका निर्णय बावजूद दर्ख्वास्तों के क्यों नहीं कर सकी है ?

(५) क्या सरकार यह भूमि चरागाह हेतु देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां। तीन चार भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र पेश हुये परन्तु सरपंच की राय के अनुसार प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिये गये।

(४) तहसील में कार्यवाही जारी है परन्तु अभी जिलाधीश कार्यालय में स्वीकृति हेतु पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है।

(५) इस पर निर्णय शीघ्र ले लिया जावेगा।

तहसील प्रतापगढ़ में चोरियों के मामले

२३. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में सन् १९६२ से १९६४ तक कुल कितनी चोरियां हुई हैं और कितनी चोरियां बरामद हुई ?

(२) कितनी चोरियां अभी तक बरामद नहीं हुई हैं और चोरियों के कितने मामलों में चालान हुए हैं ?

उत्तर

(१) सन् १९६२ से १९६४ तक तहसील प्रतापगढ़ में कुल ११२ चोरियां हुई जिनमें से ६१ बरामद हुई।

(२) अभी तक ४१ चोरियों के मामले अदम पता रहे। ६० का चालान हुआ, ३ में अन्वेषण हो रहा है तथा ७ में धारा १५७ (ब) भा० दं० सं० के अनुसार अन्वेषण नहीं किया गया एवं एक अदम सुबूत रहा।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि-हीन काश्तकारों को भूमि का अलॉटमेंट

२४. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नहर क्षेत्र में स्थायी एवं अस्थायी काश्त के लिये भूमि अलॉट

(श्री भीमसेन)

करने सम्बन्धी सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या सरकार भूमिहीन काश्तकारों को उक्त क्षेत्र में काश्त के लिये भूमि देने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(१) राजस्थान नहर क्षेत्र में स्थाई काश्त के लिये भूमि आवंटन सम्बन्धित नियम निम्न प्रकार से पारित हुए हैं :—

(क) भूतपूर्व जागीरदारों के लिए—दी राजस्थान लैण्ड रिफोर्मर्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (कन्सेशन्स फोर खुदकाश्त इन राजस्थान कैनाल एरिया) रूल्स, १९६३ ।

(ख) नेफा व लद्दाख के मोर्चों पर वीरगति प्राप्त हुए सैनिकों के आश्रितों व अपंग हुए सैनिकों के लिये—राजस्थान स्पेशल एसिस्टेन्स टू दी डिसएबल्ड एक्स सर्विसमैन एण्ड डिपेन्डेन्ट्स ऑफ डिसीज्ड पर्सोनल (एलॉटमेंट ऑफ लैण्ड) रूल्स, १९६३ ।

इनके सिवाय पुख्ता आवंटन व इसी प्रकार के अन्य तत्सम्बन्धी नियम अभी तक विचाराधीन हैं।

(२) चूंकि राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में सारा मामला राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के बीच में चल रहा है। जिसमें अन्तिम निर्णय होने पर ही निर्णय अनुसार कार्यवाही हो सकेगी।

चम्बल क्षेत्र में सीपेज की समस्या

२५. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल क्षेत्र में राइट व लेफ्ट केनाल व अन्य ब्रांचों व माइनरों से सीपेज की समस्या बढ़ती जा रही है ?

(२) यदि हां, तो अब तक कुल कितने एकड़ भूमि राइट केनाल व उससे सम्बन्धित ब्रांच व माइनर एवं कितनी एकड़ भूमि लेफ्ट केनाल ब्रांच व माइनरों की सीपेज के कारण बेकार हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि सीपेज के कारण आम सड़कों व रास्तों में पानी भर जाने से जाने-आने के रास्ते बन्द हो गये हैं और किसानों को बैलगाड़ियों से जाने में परेशानी होती है ?

(४) अब तक कुल कितने किसानों को कितना मुआवजा नहरों से होने वाले नुकसान के फलस्वरूप चम्बल क्षेत्र में दिया गया है ? ग्रामवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) व (२) सीपेज की समस्या है उसमें राइट या लेफ्ट कैनाल तथा उनसे सम्बन्धित ब्रांचों व माइनरों पर क्रमशः १०३० व २५०० एकड़ भूमि प्रत्यक्ष झरन से प्रभावित हुई है।

Page No 33

(श्री सिंचाई मंत्री)

(३) जी नहीं । सीपेज के रास्ते बन्द नहीं हुए हैं अपितु सीपेज का पानी नालों में भरने में बैलगाड़ियों को पार करने में अवश्य तकलीफ होती है ।

(४) क्या इन नहरों से होने वाले नुकसान के फलस्वरूप मुआवजा निम्न प्रकार से दिया गया है :—

(१) राइट कैनाल के ३७२ किसानों को २८,५६७-३० रु०

(२) लैफ्ट कैनाल के १३० किसानों को १७,६८८-८५ रु० दिये हुए मुआवजे की रकम की ग्रामवार तालिका संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूतपूर्व राजस्थान विधान सभा सदस्य, श्री संग्रामसिंह, के देहावसान पर श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : मुझे सूचना मिली है कि २० मार्च, १६६५ को श्री संग्रामसिंह देवगढ़, मदारिया (मेवाड़) का देहावसान हो गया है । श्री संग्रामसिंह प्रथम राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे । उनका निर्वाचन क्षेत्र भीम था । वे नगर विकास समिति, उदयपुर और राजस्थान क्षेत्रीय महासभा, उदयपुर शाखा के अध्यक्ष रह चुके थे । उनको खेती-बाड़ी, मुर्गी-पालन, शिकार, घुड़सवारी, मोटर चलाना आदि में रुचि थी । उन्हें अध्ययन करने का भी शौक था और वे अपना अतिरिक्त समय अधिकतर इसी में व्यतीत करते थे ।

मैं अपनी ओर से और माननीय सदस्यों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संवेदना प्रकट करता हूं । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट के लिए खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की)

(१२. १० म० प०)

स्थगन-प्रस्ताव

(क) स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर उन्हें निलम्बित न करने विषयक

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है कि अभी हाल में हैल्थ विभाग के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्हें निलम्बित नहीं किया है । सरकार से ऐसी सूचना मिली है कि उन्हें निलम्बित करने की कार्यवाही चल रही है । उसमें शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

(ख) केरल में चुनी हुई विधान सभा के भंग करने व राष्ट्रपति शासन लागू करने विषयक

माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है ।

Page No 34

(श्री अध्यक्ष)

जिसमें लिखा है कि केरल में चुनी हुई विधान सभा के भंग होने से और राष्ट्रपति के शासन के लागू होने से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे पार्लियामेन्ट्री जनतन्त्र के उद्देश्य को कुछ खतरा, इत्यादि इत्यादि बातों का उल्लेख किया है। माननीय सदस्य स्वयं स्वीकार करेंगे कि यह हमारी विधान सभा की कार्य-परिधि के बाहर है। अतः इसके बारे में कुछ ऐसी कार्यवाही करना उचित नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में सिर्फ इसलिये यह प्रस्ताव नहीं दिया है कि राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू हो गया है। मैंने प्रस्ताव के देने में साफ तौर से यह लिखा है कि वहां पर चूंकि ऐसा किया गया है जो कि पार्लियामेन्ट्री, डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा कुठाराघात है और वह राजस्थान की विधान सभा, यह भी चूंकि उस पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी की प्रतीक है और जो पार्लियामेन्ट्री जनतन्त्र पर कुठाराघात हो रहा है उसका असर अपनी विधान सभा पर भी आज नहीं तो कल पड़ सकता है। इसलिये इस तरह की परिस्थिति है इस पर बहस करने के लिए मैं समझता हूं कि इस सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाय और सारे प्रश्न पर विचार किया जाय, तो देश में जनतन्त्र पर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों को रोका जा सके। अन्यथा, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि केरल में जिस तरह से विधान सभा भंग हुई है, एक समय ऐसा आ सकता है जब भी राजस्थान में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सन् ६७ में राजस्थान में सम्भवतः कोई दल स्पष्ट बहुमत नहीं ला सके और ऐसी परिस्थिति में यदि यह एक उदाहरण बन जाये कि विधान सभा जो चुनी हुई है उसको भंग कर दिया जाय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी विधान सभाई चाहे इस तरफ बैठे हों चाहे उस तरफ बैठे हों, निश्चयपूर्वक यह कहने कि स्थिति में हों, कि हम हमेशा 'हां' पक्ष में रहेंगे या बहुमत में रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुनी हुई विधान सभा को भंग कर दें और मिलने का वहां प्रयत्न न करें और मेजोरिटी पार्टी को इन्फोर्म न करें सरकार बनाने के लिए, ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो सारे जनतन्त्र के लिए घातक ही नहीं, बल्कि हमारे देश में जो कुछ भी प्लान्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी – इन सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है कि सारी विधान सभाओं में इस पर बहस की जानी चाहिए और सारी विधान सभाओं का मत जाना जाना बहुत आवश्यक है। पार्लियामेंट में जो टन्टा हुआ और पार्लियामेंट में जो चर्चा इस वक्त की जा रही है उससे सारे देश में एक विचार बना है, और मैं समझता हूं कि हमारे यहां भी इस पर विचार करने की अनुमति प्रदान करें, तो प्रजातन्त्र का बहुत बड़ा भला हो सकता है; अन्यथा इस देश के अन्दर पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के दिन बहुत गिने-चुने हैं, और कहीं ऐसा न हो कि हिन्दुस्तान में भी पाकिस्तान की तरह कोई

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अयूबशाही कायम होने की स्थिति पैदा न हो जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह प्रश्न जो कि श्री मानिकचन्द सुराणा ने प्रस्तुत किया है यह हमारी विधान सभा में विचार करने के योग्य है और साथ ही हमारी विधान सभा में इस प्रकार की परम्परा भी रही है कि जो इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनका सम्बन्ध सीधा या टेक्निकली चाहे हमारे जुरिस्डिक्शन में भी न आता हो, तब भी चूंकि उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है इसलिये उस पर हमने विचार किया है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में जो हमारे राष्ट्रपतिजी को ऐसी स्थिति में जब कि किसी एक स्टेट में किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो या कोई स्टेबल गवर्नमेंट न बना सकें तो उसमें एमर्जेन्सी पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टीट्यूशन को सस्पेंड करके और गवर्नर के हाथ में सत्ता सौंपने का, इस प्रश्न में जिस प्रकार केरल में इस सत्ता का उपयोग किया गया है यह हर प्रान्त के लिए, हर प्रान्त की विधान सभा के लिए विचारणीय विषय है कि राष्ट्रपति महोदय, उन पॉवर्स का जो संविधान के तहत उनको दी गई है, वह किन परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल करें आया कि वहां पर वे स्थितियां पैदा हो गई थीं कि जिसके कारण वहां कॉन्स्टीट्यूशन को सस्पेंड करके उन पॉवर्स का इस्तेमाल किया जाता या वह स्थिति वहां पर नहीं थी; आया कि वहां पर जो बहुमत दल था, वह अपनी गवर्नमेंट बनाने की हालत में था या वहां पर अवसर देने के बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं बना सके थे । सवाल यह है अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर जो बहुमत दल था उसको गवर्नर ने हुकूमत बनाने का अवसर प्राप्त नहीं करवाया ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : बहुमत दल कौन सा था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो सबसे बड़ा दल था, उसको अवसर नहीं प्रदान किया । उसके लोगों को नजरबन्दी से नहीं छोड़ा गया, उनको दूसरे दलों से मिलकर...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस पर व्यवस्था दे चुके है, उसके बाद एडजोर्नमेंट मोशन पर बहस शुरू हो जाती है, मैं समझता हूं, इसके ऊपर आवश्यक व्यवस्था देंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, बहुमत दल कैसे बना है ? वह बहुमत दल नहीं है. उनकी ४० सीटें ही कुल ज्यादे से ज्यादा आई हैं और कह रहे हैं कि बहुमत दल बना रहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने पहले भी जब यू० पी० में इस प्रकार से संविधान के सम्बन्ध में वहां पर लेजिस्लेचर और हाईकोर्ट के बीच विवाद चला तो उसके बारे में डिस्कशन इस सदन में किया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): पोइंट ऑफ आॅर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, सवाल तो इस बात पर जाता है कि आपने व्यवस्था दी है उसके मुताबिक हम उसको डिस्कस कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं यह कहूंगा चूंकि इस पर इतनी बहस हुई है वह भी एक्सपन्ज की जाय और इसका पोलिटिकल वह नहीं बनने दिया जाय। सवाल तो यह है कि एडजर्नमेंट मोशन को आपने जो रिजेक्ट किया है तो उसका मकसद क्या निकलता है इसके बाद ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी बोल चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस पर हमने अपनी राय जाहिर की है।

(राज्य-पक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो विचार रखें वह इस संदर्भ में कहे जाना उचित नहीं होता है। चूंकि मैंने व्यवस्था दे दी थी कि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है और संविधान के अन्तर्गत कोई कार्यवाही हो उसके लिए कहना कि जनतन्त्र के लिए घातक है तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, और जो भी परिस्थिति है उस पर सदन में इस प्रकार से इस समय कुछ विचार नहीं कर सकते। अतः इस पर विचार समाप्त किया जाता है और जो आगे निर्दिष्ट कार्यवाही है उस पर विचार किया जाना चाहिए।

(ग) अन्य स्थगन-प्रस्ताव विषयक

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ....

श्री अध्यक्ष : पहले मुझे सूचना दें इसके बारे में कि क्या कहना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सूचना नहीं भेजी है। पहले सूचना लिखित में दे देते तो संभवत: कुछ समय देता।

श्री मुरलीधर व्यास : ....

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने कहा है उसको कार्यवाही से निरस्त किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने एक सूचना दी थी स्थगन-प्रस्ताव की, अलवर के बारे में ?

श्री अध्यक्ष : उस पर ध्यान आकर्षण प्रश्न के रूप में मंत्रीजी का जब टर्न आयेगा तब विचार रखेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब ?

श्री अध्यक्ष :उनका जब टर्न हो और वह भी सम्बन्धित मंत्री महोदय, यहां होंगे उस समय लिया जायेगा।

(१२. १६. म. प.)

मांग संख्या १८,१९ एवं ३९–कृषि पशुपालन एवं कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-- कृषि के संबंध में ३१मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५६,८८,-००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-- पशु पालन के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,९७,५७,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ९५- कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १८,०५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

मांग संख्या १८

श्री विजयसिंह झाला (१) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार कृषि उत्पादन में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए।)।

(२) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (कृषि संबंधी सपरिक्षायें और अन्वेषण पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १९

(३) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में पशुओं की नस्ल सुधारने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(४) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशु महामारी उन्मूलन योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा-सु०):—(५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००)रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये)।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

मांग संख्या १६

(६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था ठीक तरह से न किये जाने तथा पशु-धन के सुधारने के प्रति विभाग के गलत रुख पर चर्चा के लिये)।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : (७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशु-पालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में पशुओं की नस्ल सुधारने में विशेष ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री जुझारसिंह (चेचट) : (८) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषकों को कृषि की उचित शिक्षा नहीं देने से कृषि उत्पादन में गिरावट पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में मवेशियों की नस्ल व उपयोगिता बढ़ाने में संतोषप्रद प्रगति नहीं कर सकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): (१०) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के कृषि अधिकारियों द्वारा नमक में रगद मिलाने से हुई हानियों पर चर्चा के लिये)।

(११) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन के संबंध में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(१२) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(१३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जैसलमेर में उद्योगपतियों को भेड़ पालन के नाम से अनेक सुविधायें देने तथा उनके दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

(१४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की भेड़ पालन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री गंगासिंह (हिन्डौली) : (१५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा अधिक उत्पादन नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : (१६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री श्रवणलाल)

जाय (कृषि के परवेक्षण पर अप व्यय पर चर्चा के लिये) ।

(१७) मांग संख्या १८,मुख्य शीर्षक३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील हिन्डौन में किसानों को समय पर तकावी देने में अधिकारियों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

(१८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय(ऊंट सुधार योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)

(१६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशु महामारी उन्मूलन योजना की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

(२०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले के पशु मेलों को प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये) ।

(२१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुओं की बीमारियों को रोकने पर असफलता व समय पर उपचार नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३६

(२२) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५–कृषि उन्नति और अन्वेषण कीयोजनाओं ओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय नल कूपों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

(२३) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नल कूपों को गहरा करवाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : (२४) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन में रुचि पैदा करने वाले साधन शीघ्र उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : (२५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काश्तकारों को तकावी दिये जाने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(२६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा रसायनिक खाद वितरण की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

(२७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मालवी नस्ल की गाएं व बैलों

(श्री गोविन्दसिंह)

की चिकित्सा की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(२८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में घोड़े घोड़ियों की बीमारी में राज्य सरकार द्वारा पूरा प्रयत्न नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

(२६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (झालरापाटन के मेले को स्टेट फेयर में ले लेने से जनता में असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : (३०) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (यह सरकार कृषि की उपज बढ़ाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(३१) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

(३२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुओं की खरीद में की गई अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(३३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(३४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग में प्रमोशन देने में पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : (३५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन की तहसील जमवारामगढ़ में पूर्ण न होने पर चर्चा के लिये) ।

(३६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (खेती की पैदावार कम होने और इस महकमे की बदइन्तजामी पर चर्चा के लिये) ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (३७) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा काश्तकारों को दी जाने वाली तकावी की चर्चा के लिये) ।

(३८) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग भीलवाड़ा द्वारा सन् ५७-५८ में भोज महुवा सहकारी समिति को दिये गये बीज तथा खाद्य की बकाया पर चर्चा के लिये) ।

Page No 41

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

(३६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं के पश्चात् भी कृषि उत्पादन में गिरावट पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(४०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुओं के लिए चलते-फिरते चिकित्सालय और खोलने पर चर्चा के लिये)।

(४१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन के लिए पंचायत समितियों को दी जाने वाली रकम के अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) (४२) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि के पर्यवेक्षण पर अपव्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(४३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशु महामारी उन्मूलन योजना द्वारा सुचारू रूप से कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

(४४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ऊंट सुधार योजना की ओर विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(४५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर डिविजन में जो गायों की नस्ल गीर को मान्यता दी गई है इस पर चर्चा के लिये)।

(४६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिरोही में होने वाली नारी गायों की नस्ल में अवश्यक सुधार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : (४७) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बूंदी जिले की पाटन तहसील में भू-संरक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(४८) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में चम्बल व मेज नदी के दरडों बरडों को काबिल काश्त बनाने के लिये कृषि विभाग द्वारा सहयोग देने पर चर्चा के लिये)।

(४६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कृषि फार्मों पर व्यय के अनुपात में सघन खेती न होने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(५०) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (कृषि प्रशिक्षण के नाम पर अनावश्यक खर्च पर चर्चा के लिये)।

(५१) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गन्ने की फसल को बीमारी से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(५२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बूंदी जिले के कापरेन ग्राम में पशु मेलों को प्रोत्साहन नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

(५३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुओं की बीमारियों को रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद): (५४) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (कृषि में आयोजन व्यय अपर्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(५५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री दुर्गालाल आढ़दार (हवामहल, जयपुर):

(५६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन के नवीन उपकरण किसानों तक पहुंचने में सरकार विफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

(५७) मांग संख्या १८ मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १०० रु० कम कर दिया जाय (कृषि कार्य में खाद्यान्न के उत्पादन करने में राज्य सरकार ने उदासीनता बरती है, पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(५८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कर्मचारियों द्वारा उपयुक्त नियन्त्रण के अभाव में भेड़-ऊन क्रय में रुपये का दुरुपयोग हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

(५९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गौ पालने हेतु सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(६०) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन में गिरावट पर चर्चा के लिये)।

(६१) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान अन्डरग्राउन्ड वर्क बोर्ड में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १९

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा): (६२) मांग संख्या १९ मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दौसा पंचायत समिति में पशुओं पर जो धन खर्च किया जाता है उसके दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): (६३) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभागीय राजपत्रित अधिकारियों को समय पर वेतन न मिलने व प्रमोशन कमेटी न बिठाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १९

(६४) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सूअर विकास योजना की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): (६५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सहकारी कृषि को बढ़ावा दे सकने में असमर्थ रहे, इस पर चर्चा के लिये)।

(६६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर में ट्यूबवेल के निर्माण व सर्वे में ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

(६७) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(६८) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के क्रैश प्रोग्राम की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १९

(६९) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) कम कर दिया जाय (राज्य में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(७०) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (घुमक्कड़ पशुपालकों को बसाने की असमर्थता व अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): (७१) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(अन्न उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(७२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नस्ल सुधार साधनों की ओर विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): (७३) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गंगापुर में मूंगफली की फसल कीड़ों की वजह से प्रतिवर्ष नष्ट होती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़): (७४) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से, १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषकों को चद्दर, सीमेंट के वितरण में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(७५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा खाद व बीज समय पर नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(७६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीज को बाढ़ी पर देने पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): (७७) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले असफल प्रयत्नों पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): (७८) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार के गलत कृषि साधनों के उपयोग के कारण प्रति एकड़ पर पैदावार में लगातार कमी पर चर्चा के लिये)।

(७६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में, विशेषतौर से गंग केनाल इलाके में प्रति एकड़ पैदावार में लगातार कमी को रोकने में सरकार पर्याप्त कदम उठा नहीं सकी, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) (८०) मांग संख्या १८ शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आसीन्द पंचायत समिति में कोटन पेकेज प्रोग्राम की विभाग द्वारा पूरी व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(८१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन के क्षेत्र में दवाओं के अभाव से पशुओं के मरने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

मांग संख्या ३६

(८२) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुओं को गहरा कराने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) :

मांग संख्या १८

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०) : (८३) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा में कृषि के लिये समय पर बीज नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयपाल (डूंगरपुर-सु०) : (८४) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर तहसील, पंचायत समिति सीमलवाड़ा में खाद वितरण में अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : (८५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य की खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये उचित साधन उपलब्ध करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(८६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डॉक्टरों की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): (८७) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि कार्य पर अधिक धन खर्च करने के बावजूद भी अधिक अन्न-उपज न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(८८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा पशु-पालन में धन खर्च करने के बावजूद भी पशुओं की नस्ल सुधार में उन्नति नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (८९) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(९०) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा उचित भावों पर किसानों को बीज देने में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) : (९१) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीजों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

श्री जयलाल (डग) : (९२) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि कार्य के लिए तकावियों में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

(९३) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किसानों की फसल में लगी हुई बीमारी की रोकथाम नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : (९४) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सांगानेर व बस्सी के ग्रामों में ओले पड़ जाने से जो बकाया बीज व फर्टीलाइजर की हो उसको छूट में छोड़ने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १९

(९५) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३—पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति चाकसू के पशु-चिकित्सालय में समय पर पशुओं का इलाज न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : (९६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि उन्नति पर कम व्यय पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १९

(९७) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पशुपालन के लिए सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री अमरसिंह (दूदू) : (९८) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील दूदू में कृषि उन्नति के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (सादड़ी) : (९९) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि की पैदावार नहीं बढ़ रही है इस पर चर्चा के लिये)।

(१००) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१—कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है; पंचायत समितियों के कृषि प्रसार अधिकारी की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १९

(१०१) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशु-पालन में नस्ल सुधार के कार्य की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : (१०२) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिकराय क्षेत्र में कृषि विभाग की तरफ से कोई प्रगति नहीं हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(१०३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशु विभाग की तरफ से पशु चिकित्सा के अभाव होने में पशु चिकित्सालय और खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा-सु०) : (१०४) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आदिवासियों को कूओं का निर्माण कराने पर उचित सहायता दिलाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री दलपालसिंह (आबू) : (१०५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रेवदा तहसील नदियां गहरी किये जाने से कुओं के पानी में कमी के कारण कम पीवत होने से पैदावार में कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : (१०६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले के कृषि विभाग की जीपों का जिले के बाहर व जिले के अन्दर दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : (१०७) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार ने चूरू तहसील के दक्षिणी हिस्से के गांवों में सिंचाई हेतु कूप -निर्माण के लिये कोई व्यवस्था नहीं की, इस पर चर्चा के लिये)।

(१०८) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार ने चूरू जिले में कृषि विकास के लिये कोई योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बनाई, इस पर चर्चा के लिये)।

(१०६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार ने चूरू जिले में एक्सप्लेनेटरी ट्यूबवैल्स नहीं बनवाये, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

(११०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ऊंट पालन केन्द्र स्थापित करने में सरकार की लापरवाही से ऊंटों की नस्ल नष्टप्राय हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिराम घारू (सिवाना) : (१११) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३ पशुपालन में से १००)रु० कम कर दिया जाय (सूअरों की नस्ल सुधारने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : (११२) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-सु०) : (११३) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटड़ा एवं गोगुन्दा पहाड़ी क्षेत्र की कृषि का विकास नहीं हो रहा, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : (११४) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छोटे काश्तकारों को कृषि सम्बन्धी आवश्यक सुविधा नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

(११५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (असिंचित क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कृषि पैदावार बढ़ाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : (११६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (किसानों को उचित प्रशिक्षण न मिलने से उपज की कमी पर चर्चा के लिये) ।

(११७) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुओं पर बिजली नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

(११८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३– पशुपालन में से १००) रु. कम कर दिया जाय (राजपत्रित अधिकारियों की सीनियोरिटी लिस्ट अभी तक नहीं बनने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३६

(११६) मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६५–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नलकूपों को गहरा करने के लिये पर्याप्त साधन जुटाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १८

श्री माधोलाल (अटरू) : (१२०) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रसायनिक खाद्य का ठीक प्रकार वितरण न किए जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु०) : (१२१) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा कृषि में उन्नति न हो सकी, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

(१२२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार पशु-धन को अच्छा चारा देने में असमर्थ रह कर पशुओं की नस्ल का विकास न कर सकी, इस पर चर्चा के लिये) ।

Page No 49

मांग संख्या १८

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): (१२३) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान कृषि की खामियों के कारण उत्पादन में गिरावट पर चर्चा के लिये)।

(१२४) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक जिले में कृषि संबंधी कार्यों में कमियों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १९

(१२५) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३- पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुओं की नस्ल सुधार में कोई प्रगति नहीं हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर): (१२६) मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशु-पालन विभाग में थर पार कर व कांकरेल गायों की नस्ल को बढ़ावा देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १८

श्री हरिकिशन (राजगढ़): (१२७) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज-स्थान में वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए किसानों को पंचायत समिति स्तर पर टैंक निकलराय प्रशिक्षण देने के लिए समु-चित कार्यक्रम की व्यवस्था करने की आव-श्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१२८) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा प्रगतिशील किसानों के लिए प्रान्तीय स्तर व जिला स्तर पर कृषि अध्ययन केन्द्र खोले जाकर कम से कम एक माह का प्रशिक्षण मुफ्त दिये जाने का कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१२९) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा उन्नत कृषि पद्धति व तरीकों का अध्ययन करने के लिए प्रगतिशील किसानों का बैचे हर साल विदेशों में भेजने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१३०) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में किसानों के कृषि विकास व अधिक अन्न उत्पादन करने के प्रोत्साहन के लिए अधिक बिजली का कोटा दिलाने व बिजली की रेटों में उद्योगों के समान अधिक रियायत दिलाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(१३१) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१- कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में अधिक अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को मुफ्त कृषि सुविधा व प्रोत्साहन के लिए पारितोषक दिये जाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

(१३२) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया

(श्री हरिकिशन)

जाय (राजस्थान में स्टेट ट्यूबवैल का निर्माण होकर सरकार द्वारा शीघ्र अधिक धन राशि निर्धारित की जाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

(१३३) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर जिले में भूमि अधिक उपजाऊ होने के कारण सरकार द्वारा कृषि पैकेज प्रोग्राम चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१३४) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा राजगढ़ (अलवर) में कृषि विभाग द्वारा कोल्ड स्टोरेज किसानों की उपज (पैरीशेवल कमोडिटिज) को सुरक्षित रखने के लिये बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१३५) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा राजगढ़ व रैनी में किसानों की पैदावार, अनाज आदि सुरक्षित रूप से रखे जाने के लिये वेयर हउसेज बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१३६) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजगढ़ व रैनी पंचायत समिति क्षेत्र में कृषि विकास के लिए बिजली किसानों को दिये जाने की योजना सरकार द्वारा बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(१३७) मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१– कृषि में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति राजगढ़ व रैनी, जिला अलवर में सरकारी पाताल तोड़ कुए अभी तक राजकीय बजट सन् १९६४–६५ में निर्धारित धन-राशि होते हुए भी नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री नाथूराम (बागीडौरा): (१३८): मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशु पालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पशुओं की उचित चिकित्सा नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): (१३६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पशुपालन के क्षेत्र में हमारा प्रान्त काफी पिछड़ा हुआ है, उसकी नस्ल सुधार तथा रखने के तौर-तरीकों में सुधार लाने की योजनाएं आनी चाहिये और बहुत कम राशि इस हैड में खर्च के लिए रखी गई है, वह बढ़ाई जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया): (१४०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशुपालन में से १००)रु० कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में पशु-धन के सुधार निमित्त कोई कार्य नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री सागरमल (फुलेरा) : (१४१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३ पशु पालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय पंचायत समिति जोबनेर, जिला जयपुर के ग्राम वदाल में पशुओं का इलाज करने के लिये पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रावतराम (सादुलपुर) : (१४२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशु-पालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिन काश्तकारों के पास दुधारू पशु नहीं हैं उन्हें सरकार कर्ज पर दुधारू पशु मुहैया करे, पर चर्चा के लिये) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (१४३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३-पशु-पालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी क्षेत्र के पशुपालकों तथा उनकी सहकारी समितियों सेंट्रल बैंक द्वारा तथा विभाग द्वारा उदारता से ऋण दिया जाय उसकी व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(१४४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय, (घुम्मकड़ पशपालकों के दूध को इकट्ठा करके बीकानेर, जयपुर, दिल्ली आदि स्थानों पर दूध सप्लाई करने हेतु योजना को स्वीकृति देने पर चर्चा के लिये) ।

(१४५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३३–पशुपालन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर तहसील के ऐसे गांवों को जहां के लोग मुख्यत: पशुपालन पर निर्भर हैं तथा जो अकाल एवं अभाव के कारण इधर उधर घूमते रहते हैं, घुम्मकड़ पशुपालन योजना के अन्तर्गत लेने पर चर्चा के लिये) ।]

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदी-कुई) : माननीय अध्यक्षजी, कृषि व पशु-पालन की मांग पर कटौती प्रस्ताव के जरिये इस सदन के समक्ष, मैं इस विभाग में हो रही अव्यवस्था व अपव्यय के सम्बन्ध में प्रकाश डालना चाहूंगा । जिस प्रकार मैंने अन्य विभागों के लिए सदन के अन्दर विचार रखे थे, उसी प्रकार इस विभाग के सम्बन्ध में रखूंगा । कृषि विभाग जो कि राजस्थान के उत्थान के लिये, राजस्थान के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये आवश्यक विभाग है, जिसकी प्रोडक्शन की कमी के कारण आज राजस्थान के अन्दर खाद्यान्नों की स्थिति संकटमय मानी गई है, जिसके सुचारु रूप से नहीं चलने के कारण फसल की कमी आज राजस्थान में मानी जाती है, उन कारणों की तरफ अगर हम विचार करें तो मैं समझता हूं कि जो कृषि विभाग की सीड्स एण्ड फर्टीलाइजर्स के प्रति नीति है वह अजीब है । लोन दे देना और सदन को व जनता को बता देना कि हम इतना लोन देते हैं और उसके जरिये बड़ा उत्थान होता है । वस्तुस्थिति देखें तो यह है कि आज राजस्थान के अन्दर सीड्स एण्ड फर्टी-लाइजर्स के लोन दिये जाते हैं तो इसके कोई हिसाबात नहीं रखे जाते, यह नहीं

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

देखा जाता कि जिस काम के लिये सीड्स एण्ड फर्टीलाइजर्स के लिये लोन दिया गया, उस लोन का उस काम में उपयोग हुआ या नहीं, वास्तव में उसका उपयोग उस काम के लिये नहीं होता। यह मैं ही नहीं कहता, जब ऑडिट हुआ, ऑडिट पार्टी के द्वारा इसके हिसाबात मांगे गये तो राजस्थान सरकार की तरफ से जनवरी, १६६४ तक हिसाब नहीं दिये गये। यह शर्मनाक बात है कि गवर्नमेंट के पास इन सब का कोई हिसाब नहीं है कि सीड्स एण्ड फर्टीलाइजर्स का लोन कितना किस किस को दिया गया। अजीब बात है, करोड़ों, लाखों की तादाद में रुपया दे दें और उसका हिसाब नहीं रखा जाय।

उसी तरह से बताऊं कि सीड्स एण्ड फर्टीलाइजर्स के लिये रुपया दिया गया, वह थोड़ा बहुत रुपया नहीं दिया गया, २०४.२५ लाख रुपया सीड्स एण्ड फर्टीलाइजर्स के लिये लोन के रूप में दिया गया, ६१ तक दिया गया, जनवरी, १६६४ तक रिकवरी के लिये कोई कार्यवाही नहीं। २०४.२५ लाख रुपया इस तरह लोन के रूप में दिया गया उसका उपयोग हुआ या नहीं। इसकी कोई देख रेख नहीं, कोई हिसाब नहीं, वसूली की तरफ कोई प्रयास नहीं। अजीब दयनीय स्थिति यह विभाग हमारे सामने प्रस्तुत करता है और मन्त्री महोदय, इन मांगों को हमसे स्वीकार कराना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या जवाब है आपका इसके लिये कि आप हिसाब नहीं रख सकते, रिकवरीज नहीं कर सकते ? खाद्यान्नों की कमी को जनता महसूस करती है, इसी कारण भाव बढ़ते हैं और हमें आवश्यक चीजें नहीं मिलतीं। यह हाल इस कृषि विभाग का है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं अर्ज करूंगा कि २० जिलों में राजस्थान में सीड्स का वितरण हुआ, वह भी वहां जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा प्रोक्योर किया गया, एक्सेस प्रोक्योर किया गया और उस एक्सेस प्रोक्योर करने का नतीजा यह हुआ कि युटिलाइज नहीं हुआ तो बाजार में पब्लिक ऑक्शन की तरह बेचा गया और बेचने के बाद ३.८५ लाख का गवर्नमेंट को रेट्स में लोस हुआ। आप एक तरफ सीड्स के लिये लोन दें, प्रोक्योर करें तो एक्सेस में लिया जाय और इस तरह से लाखों का नुकसान हो सरकार को, यह हालत है आपके विभाग की। यह स्थिति है सीड्स एण्ड फर्टीलाइजर्स के बारे में, राजस्थान के इस कृषि विभाग की।

सीड्स एण्ड फर्टीलाइजर्स के बारे में मैं एक बात और भी अर्ज करना चाहूंगा। वह यह है कि पंचायत समितियों को ५६ के बाद वितरण के लिये सीड दिया गया। पंचायत समितियों की तरफ से सीड्स के वितरण का आपका अभिप्राय यह होता है कि अच्छी किस्म का बीज किसानों को मिले ताकि हमारे यहां अच्छी पैदावार हो। पर आज वस्तुस्थिति यह है कि अच्छी किस्म का सीड आप दे नहीं सकते, कभी वेगन्स की कमी बताते हैं, कभी कोई और कारण बताते हैं और इसका रिजल्ट यह होता है कि पंचायत

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

समितियां अपने ही आदमियों से, व्यापारियों से लेकर सीड्स का वितरण कर देती हैं और इस तरह से राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन में नुकसान होता है। तो, मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि सूरतगढ़ फार्म का अच्छी किस्म का बीज पैदा होता है वह तो दूसरे प्रोविन्सेज को भेज देते हैं, जिसके लिये राजस्थान घमण्ड कर सकता है कि सूरतगढ़ जैसा फार्म हमारे यहां है; उसका बीज तो बाहर भेज देते हैं और हमारे यहां अच्छा बीज देने का रखा है यह काश्तकारों से भी नहीं अपनी मर्जी के व्यापारियों से एक्सटेन्शन ऑफिसर और आपके दूसरे अधिकारी मिल कर खरीद लेते है, जैसा भी हो व्यापारी लोगों से खरीद लेते हैं, तो किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ सकता है खाद्यान्नों का, यह सोचने की बात है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे। जिस तरह उन्होंने सिंचाई के बारे में कहा कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, यह बना दिया, वह बना दिया; इस तरह से नहीं, वस्तुस्थिति पर प्रकाश डालेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि आपके विभाग द्वारा इस प्रकार खर्च करने का इम्पैक्ट क्या है, उस खर्च के रिटर्न्स क्या हैं, सीड्स एण्ड फर्टीलाइजर्स के वितरण के लिये जो इतना पैसा खर्च किया, इनके वितरण से राजस्थान को क्या फायदा हुआ? फर्टीलाइजर्स के लिये, जो पंचायत समितियों को फर्टीलाइजर दिया, उसके लिये पंचायत समितियों ने शिकायतें की है, जिला परिषद् में भी यह सवाल उठा है कि फर्टीलाइजर घटिया किस्म का आ गया या इस किस्म का तेज था कि किसानों ने लेने से इन्कार कर दिया, एक बैग भी पूरी तहसील में नहीं उठा, लोगों ने कह दिया कि यह बिलकुल खराब है। तो फर्टीलाइजर आप लाखों का लाये और जो बीज का वितरण किया गया, उसकी यह स्थिति है। इस विभाग की इस स्थिति की ओर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

कृषि का जो आवश्यक अंग है वह एनीमल हस्बेन्डरी है। उसकी स्थिति को देखें तो पता चलेगा कि वह बड़ी अजीब दयनीय स्थिति में चल रहा है। वह विभाग तो, ऐसा लगता है कि एक ही विभाग में लोगों को भारी तादाद में एम्प्लोय करने का साधन बना रखा है; उसी का एक अंग है गोशाला। उसी तरह से इसे बना रखा हैं। इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को उसमें एम्प्लोय कर लेना और उस विभाग में ४८-४८ जीपें रख लेना, भारी तादाद में लोगों को एम्प्लोय कर लेना, इसके अलावा और कोई रिजल्ट इसका नजर नहीं आता। जिस वक्त यह विभाग कृषि विभाग में था उस वक्त इस विभाग के प्रशासन का खर्चा ६.१६ लाख था और आज इस विभाग का १.८० लाख खर्चा है...

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री): कितना?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: ६.१६ इसका शुरू में खर्चा था, अब वह बढ़ते बढ़ते १ लाख ८० हजार हो गया है। और इसका अगर अनुपात देखा जाय तो शुरू से लेकर अब तक इसका खर्चा तीस गुना हो गया है।

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

थर्टी टाइम्स इस विभाग का खर्चा बढ़ चुका है। इन योजनाओं की तरफ देखें तो यह देखने को मिलेगा कि इस विभाग के कर्मचारी सारी पंचायत समितियों में एक्सटेन्शन ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं लेकिन इस विभाग के द्वारा सेंसस नहीं होती है और इनका यह विभाग जो पशुधन के फिगर्स देता है या जो इसने छापे हैं वे फिगर्स किसके हैं ? वे राजस्व विभाग के तैयार किये हुए, पटवारियों के तैयार किये हुए हैं जो रेवेन्यू वोर्ड से लेकर आपने बता दिये है कि हमारे यहां पशुधन की स्थिति यह है। आपके इस विभाग पर इतना लम्बा-चौड़ा खर्चा हो, लेकिन फिर जो जिन योजनाओं को आप लेना चाहते हैं उनके बारे में आपकी वेरीफाइड की हुई कोई सूचियां नहीं हैं आज और इस तरह जब आपके पास आपकी वेरीफाइड सूचियां नहीं हैं तो उसके आधार पर आप क्यों स्कीम बनाते हैं। इसके साथ ही मैं अर्ज करूंगा कि आपके पास यह नहीं है। साथ ही विभाग की तरफ से इस विभाग के जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको देखा जाय तो उनकी संख्या दो-एक आदमी मिलेगी, वर्ना इस विभाग का हैड ऑफिस जयपुर में है। आखिर जो पशुधन राजस्थान के विभिन्न भागों में है, कहीं कोई ब्रीड इम्प्रूव की जा रही है, कोई ब्रीड नागौर में है, कोई ब्रीड बीकानेर में है और कोई ब्रीड उदयपुर में है। लेकिन उसका हैड ऑफिस और डाइरेक्टोरेट है वह जयपुर में है। और जो सबोर्डिनेट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं-वे डिस्ट्रिक्ट में फैला रखे हैं, वह या तो फिगर्स देते हैं या जीप में बैठ कर मौज करते हैं। इसके सिवाय उनके पास कोई काम नहीं है। आखिर आप उन जगहों की ब्रीड को बढ़ाना चाहते हैं तो पूरा स्टाफ उन जगहों पर क्यों नहीं रखते हैं। आप अपने विभाग का डिसेन्ट्रलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं जिससे उन जगहों पर जो ब्रीड है उसका उत्थान हो सके।

इसी तरह आप देखेंगे कि इसका जो मूल अंग है-पशु प्रजनन क्षेत्र और गर्भाधान योजनायें। इनको देखा जाय तो आज फिगर्स बताने के लिए यह बताया जाता है कि इतने हमारे सेन्टर्स हैं। उन सेन्टर्स में से एक कुम्हेर है। वहां आज तक इन्होंने कितने सांड वगैरह वितरित किए ? वहां पर दफ्तर का खर्चा हो रहा है, पूरा स्टाफ है, जीप भी है लेकिन वहां इम्प्रूव्ड ब्रीड के सांड वितरित नहीं किये और जहां वितरित भी किये हैं तो वहां के डिपार्टमेंट के पास में फिगर्स नहीं हैं जिनसे यह मालूम किया जा सके कि आपने जो सांड दिये थे उनसे कितनी अच्छी ब्रीड उस इलाके के अन्दर पैदा हुई। आपके जो एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं उनके पास भी यह सूचना नहीं है। वे तो केवल इस बात से सांत्वना कर लेते हैं कि दो सांड फलां जगह दे दिये हैं, एक सांड वहां दे दिया है। लेकिन उनसे कितनी ब्रीड इम्प्रूव हुई या उसी गांव के जो अच्छे सांड थे उनसे ही नस्ल इम्प्रूव हुई है-इस प्रकार के फिगर्स आपके विभाग के पास नहीं है। इतने वर्षों से इतना लम्बा-चौड़ा डिपार्टमेंट लेकर चल रहे हैं लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं वे आपके पास नहीं हैं जिनसे यह मालूम हो सके कि इस विभाग के इतने लम्बे खर्चे के रिटर्न्स क्या हैं, उसकी उपयोगिता क्या है।

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

इसी तरह से आज जो ग्राम आधार योजनायें हैं और जो गऊशालायें है उन पर विचार करें, तो वहां भी एक अजीब स्थिति है। जहां आधार ग्राम योजनायें हैं, वे ऐसे मुकाम पर खुली हुई हैं, ऐसी जगह केन्द्र खुले हुए हैं, जहां उस ब्रीड का कोई सवाल ही नहीं है। इसके विपरीत जहां ऐसी ब्रीड हैं, जिसका राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में भी उस ब्रोड का नाम है उस मुकाम के ऊपर आधार ग्राम योजनायें नहीं हैं, उस जगह पर केन्द्र नहीं है, बल्कि उन स्थानों पर केन्द्र हैं जहां पर ब्रीड का कोई ताल्लुक नहीं है। केवल कुछ शहर या डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन को देखते हुए वहां ये योजनायें बना दी हैं और वहां पर स्टाफ रख दिया हैं। वहां पर प्रशासन का लम्बा चौड़ा खर्च होता है। अगर इनके अन्दरूनी रूप में जाया जाय, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए मैंने मोटी-मोटी बातों पर और नीतियों के ऊपर प्रकाश डाला है।

इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहता हूं, यह हैकैटल फेअर। यह सही है कि राजस्थान में कैटल फेअर ने इतना नाम पाया हुआ है कि सिर्फ राजस्थान के ही हजारों की तादाद में लोग उनमें नहीं आते हैं बल्कि दूसरे प्रांत वाले भी यहां पर हजारों की तादाद में हर वर्ष आते हैं और लाखों की तादाद में यहां से मवेशियों को खरीद कर ले जाते हैं और उन मवेशियों के जरिये अपने अपने क्षेत्र को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन यहां पर उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है-इसकी तरफ कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। इन मेलों पर काफी लम्बा-चौड़ा खर्चा होता है और आमदनी भी उनसे काफी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही उनको जिस तरह चलाया जाता है उनसे भी इनका प्रचार बढ़ रहा है लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के सामने जो कठिनाई आती है रास्ते में उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो परबतसर का मेला होता है उसमें दूर दूर के लोग आते हैं उनसे मवेशियों का टैक्स लेते हैं और उसका उनको रवन्ना देते हैं। लेकिन रास्ते में जितनी पंचायत या म्युनिसिपल कमेटी आती हैं वहां पर प्रत्येक मवेशी वाले से कहीं पर पड़ाव टैक्स के नाम से, कहीं पर अपनी हद में घुसने के टैक्स के नाम से काफी रुपया ले लिया जाता है। इसके अलावा पुलिस, वाले हैं वे उनके मवेशियों की चोरियां नहीं हों, इसका इन्तजाम करने के लिए फी मवेशी कुछ रुपया ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि जहां पर मेले की व्यवस्था करें वहां पर बिजली का, पानी का इन्तजाम करने के लिए या चौकीदारी के लिए कुछ पैसा ले लिया जाय तो वाजिब है। लेकिन जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर क्यों हमारी हद में घुसे हैं इसलिए टैक्स ले लें और फिर दूसरी हद आती है पांच सात मील के ऊपर तो वहां भी टैक्स ले लें। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपको अपने मेलों को परबतसर वगैरह जैसे स्थानों पर लगाने की व्यवस्था करनी है तो नीतियों पर अच्छी

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

तरह से विचार करें। लेकिन जो रास्ते में पड़ने वाली परेशानी हैं, जो उन लोगों को परेशान करने वाली चीजें हैं उनके विषय में राज्य सरकार की नीति बननी चाहिए और ऐसी हालत में उनसे टैक्स या फीस ले सकती है। जब उनके लिए कहीं पर व्यवस्था है नहीं और उनसे फीस ले ली जाय और इतनी ले ली जाय मैं आपको सही कह सकता हूं कि जो मवेशियों की कीमत होती है उसका चौथाई हिस्सा तो उसको इन विभिन्न जगहों पर टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो मैं इन कैटल फेअर्स की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा कि इन परेशानियों को दूर करने के लिए वह व्यवस्था करें।

इसके साथ साथ आज गऊ शालाए हैं उनकी स्थिति की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले आपका ध्यान दिलाया कि अपनी नीति के अनुसार कई ब्रीड्स में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपके द्वारा वितरित किए हुए जो सांड हैं, उनसे कितकी ब्रीड इम्प्रूव हुई है, इसके फिगर्स इकट्ठे करके आपको देखना चाहिए लेकिन वह व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से जो आपने गऊ शालाओं के चार्ज दिये हैं या जो फिगर्स दिये हैं, लेकिन जो रुपया इनमें खर्च होता है, उसकी व्यवस्था क्या है ? आप उनको केवल रुपया दे दें गऊ शालाओं को और वह भी अपनी मर्जी से और कभी कोई उसका आधार नहीं होता है। किसी का एप्रोच हो तो उसको दे देते हैं या जिसको देने की आपकी मर्जी हो। आखिर आप उनको देते तो सालाना बजट देख कर व्यवस्थित रूप में रुपया दिया जाना चाहिये। यह भी देखना चाहिए कि जिन मवेशियों की व्यवस्थित रूप से व्यवस्था करने के लिए रुपया देते हैं उनका भरण पोषण होता है या नहीं। इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, सिवाय इसके कि फलां गऊ शाला को तीन हजार दे दिये, फिर किसी को पांच सौ दे दिये और बाद में उसको दो हजार दे दिये। यह तो ऐसा ही है जैसे कि पुण्यशाला की तरफ से दान दिया हो। जिस प्रकार कि देवस्थान विभाग के अन्दर कि अगर किसी मंदिर को रुपया मिलता है तो उसको जितना रुपया मिलता है वह सालाना मिलता है। लेकिन गऊशालाओं की व्यवस्था यह कि सालाना बजट वगैरह को देखते हुए कोई व्यवस्थित रूप में चीज नहीं दी जाती है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए जब इतना बड़ा विभाग खोले हुए हैं और इतना लम्बा-चौड़ा स्टाफ रखे हुए बैठे हैं तो आखिर रुपया देने का कोई आधार होना चाहिये, रूल्स होने चाहियें। साथ ही जब उनको रुपया देते हैं और इतना खर्चा करते हैं तो यह आवश्यक है कि गऊ शालाओं का उत्थान हो। जिन कस्बों के अन्दर गऊ शाला चलती है उनके अन्दर कोई डेअरी भी चले और डेअरी को तरीके से चला कर उसके द्वारा दूध का भी वितरण हो, जिससे जनता को भी फायदा हो। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये लेकिन आज तक इस पर विचार नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि जो गऊ शाला चल रही हैं, उनको आप रुपया देते हैं, उनके अन्दर डेअरी खोली जाय और उनको इम्प्रूव किया जाय इसकी तरफ

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

आपके पास इतना अधिक स्टाफ है वह ध्यान नहीं देता है। उनके द्वारा कस्बे वालों को दूध वितरित हो इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह से यहां पर अभी जो जयपुर की आपकी मिल्क स्कीम है, जिसमें आपका इतना लम्बा खर्चा हुआ है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज तो आप यह कह सकते हैं कि गये साल से कुछ कार्य रूप से काम हुआ है और जगह जगह सेन्टर खुले है मगर इस विभाग में घाटा क्यों हुआ ? इस बात को आपने क्या मन्त्री महोदय से कहूंगा कि आपने देखा। इसमें घाटा होने का कारण यह था कि मशीनें खाली पड़ी रहीं, मकान, जीपें और उन तीन तीन जीपों के ड्राइवर, चपरासी और आखिर दो तीन वर्षों तक उसके एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा क्यों किया गया और जिस अधिकारी ने आंखें बन्द करके यह खर्चा किया और आँखें बन्द रखीं, उसके लिये आपने क्या एक्शन लिया ? इस प्रकार आपके कुम्हेर का पंचायत क्षेत्र है, काम नहीं होता है। स्टाफ यों ही रखा है, कभी काम नहीं किया और आपने उसका आज तक कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं किया कि आपने जीप का ड्राइवर क्यों रखा, रसोइया क्यों रखा गया, आखिर इसमें भी रुपया खर्च किया गया, इसका क्या कारण है ?

इसी तरह से आप देखेंगे कि आपके यहां कुक्कुटखाना चलता है। आप केवल रिज़र्व रखते हैं। मैं यह कहूंगा कि आज इस सरकार में यह बीमारी आ गई कि किसी ने भी नया आइडिया दिया तो डिपार्टमेंट ने नया मकान ले लिया और रिज़र्व स्टाफ ले लिया रिसर्च करने के लिये। मगर मैं यह कहूंगा कि यह कोई देखने वाला नहीं है कि रिसर्च हो रहा है या नहीं और जो काम हो रहा है उसका वर्क लोड कितना है और वाकई में क्या वर्क किया गया है ? आखिर कोई इसकी स्क्रूटनी करने वाला नहीं है ? सरकार को केवल किसी का आइडिया मिलना चाहिये। सरकार पैसा खर्च कर देती है। आपने सीड्स के लिये ५६ हजार का खर्चा कुक्कुट खाने के लिये रखा। आपने कभी यह नहीं देखा कि आया इतने दाने की आवश्यकता है या नहीं और उनसे आपको क्या रिटंन मिलेगा, कितने एग्ज़ प्रोड्यूस होंगे ? अगर आप इन फिगर्स को देखेंगे तो मैं यह कहूंगा कि डिपार्टमेंट के पास कोई रेकॉर्ड नहीं और डिपार्टमेंट स्वयं इस बात को मानता है कि उनके पास फिगर्स नहीं कि कितने बच्चे हुए और कितने एग्ज़ आये। विभाग ने जो फिगर्स दिये हैं उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं बैठता और अगर माननीय मन्त्री इसमें किसी प्रकार की शंका करते हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि वे स्वयं देखें कि जो फिगर्स उनके विभाग ने दिये हैं, वे आपस में ताल-मेल नहीं खाते। शुरू से आखिर तक के फिगर्स को आप देखें, आपको मालूम होगा कि वे तालमेल नहीं खाते। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आपकी टोटल है वह तालमेल नहीं खाती और इसके लिये विभाग वाले कहते हैं कि कुछ गलती रह गई है और फिर देख लेंगे, यह तो कोई उचित बात नहीं है। इसलिये मैं यह कहना

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

चाहता हूं कि यह आपके प्रोडक्शन की हालत है।

यदि आपके विभाग का खर्चा बजट से देखे तो मालूम होगा कि ३८ प्रतिशत खर्चा केवल प्रशासन पर लगता है। आप ३८ पर्सेन्ट खर्चा केवल एक मात्र प्रशासन पर करते हैं। और आप ३८ पर्सेन्ट खर्चा प्रशासन पर करने के बाद भी वे फिगर्स नहीं रख सकते ठीक तरह से, यह आपके विभाग की दयनीय स्थिति है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, पशु पालन और कृषि विभाग की ओर आपके द्वारा मैंने जो रोशनी डाली है हम आशा करते हैं कि जिन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया गया है उसमें इम्प्रूमेंट करेंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी बता दूं कि सूरतगढ़ की गवर्नमेंट की नीति के बारे में भी प्रकाश डालना चाहता हूं। आपने क्रय विक्रय संघ को ८८ हजार मन अनाज सीड के लिये दिये। मगर उन्होंने नहीं खरीदा और कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर ने उनको ले लिया। वह ६॥ हजार मन अनाज वर्षा में पड़ा रहने से खराब हो गया और जब यह प्रश्न आया कि यह लाएबिलिटी किसकी है तो क्रय विक्रय संघ ने कहा कि हमारी इसमें कोई लाएबिलिटी नहीं क्योंकि उस अनाज को हमारे किसी आदमी को डिलीवरी नहीं दी। आप लोस उठाइये, यह मामला कई वर्षों से सरकार के सामने पड़ा है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं होता है कि उन लाखों रुपयों के लिये वह क्रय विक्रय संघ जिम्मेदार है या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर, जिसने गलत तरीके से संघ को लोस से बचाने के लिये ले ली। उसके डिलीवरी लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। संघ वालों ने इसलिये डिलिवरी नहीं ली कि हमको तो पैसा देंगे तो देंगे। उन्होंने उस गाड़ी को डेमरेज से बचाने के लिये डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने डिलीवरी ले ली और उस कारण जून और जुलाई की वर्षा में नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी किस पर, हो यह सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार बूंदी का १.८० लाख रुपये सीड्स का। लेकिन इसकी जिम्मेदारी और हिसाब अभी तक नहीं किया और सरकार के सामने काफी समय में पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक सरकार कोई इस सम्बन्ध में फैसला नहीं कर पाई कि किसकी जिम्मेदारी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा जो कट मोशन मैंने प्रस्तुत किए हैं उन पर ध्यान दिया जावे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आज जो दो डिमान्डों पर बहस चल रही है वे दोनों विभाग किसानों से जहां तक सम्बन्धित हैं, बड़ा महत्व रखते हैं। मैं समझता हूं और साथ ही साथ सरकार की आमदनी होती है उसके दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि इन गये सालों में इन विभाग के जरिये से सरकार की आमदनी बढ़ी हो, लेकिन जहां तक किसानों और उत्पादन का प्रश्न है, जहां तक किसानों की आर्थिक स्थिति का प्रश्न है,

(श्री विजयसिंह झाला)

उसमें बराबर गिरावट हुई है और हमारे दूसरे देश हैं, दूसरे जितने भी भारतवर्ष के राज्य हैं उनके मुकाबले में किसानों की स्थिति और उनके उत्पादन की स्थिति ज्यादा खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के समक्ष आर्थिक दृष्टिकोण से एक किसान का स्टेन्डर्ड किस प्रकार का होना चाहिए उसकी कोई रूप रेखा नहीं है। उसकी रूप रेखा हमारी सरकार के पास नहीं होने के कारण हमारे देश में जितने खेत हैं उन खेतों पर कितना किसानों का कुटुम्ब सही रूप से गेट अप कायम कर सकता है उसके बारे में सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मैं यह कहूंगा कि दुनिया के जितने भी देश आगे बढ़े हैं और जिन्होंने उन्नति की है वहां खेती करनेवालों की संख्या बढ़ी है और उनके ऊपर ही वह देश ऊपर बढ़ा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे यहां और भारतवर्ष में ८० पर्सेन्ट और ८३ पर्सेन्ट लोग खेती करते हैं और खेती पर निर्भर हैं। उनका भविष्य में जाकर किस प्रकार का आर्थिक ढांचा होगा, किस प्रकार का उनका स्टेटस होगा, कितनी उनकी आय होनी चाहिये और हमारे राजस्थान में कितने किसानों के कुटुम्ब केवल कृषि पर निर्भर रहे हैं; उसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा।

आज इसका नतीजा है कि जहां जर्मनी में ३७ प्रतिशत लोग वहां की सारी जनता को अन्न उपजा कर खिलाते हैं, ब्रिटेन में ३६ प्रतिशत लोग खिलाते है; अमेरिका में १५ प्रतिशत लोग खेती करके वहां के लोगों को खिलाते हैं और अफसोस इस बात का है कि हमारे देश के ८३ प्रतिशत लोग खेती करते हैं या खेती के धंधे पर निर्भर रह कर भी अपना स्वयं का पालन नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं, अध्यक्ष महोदय। सबसे बड़ा कारण आज राजस्थान में और भारत में है वह मुख्य है किसान के दिमाग में असंतुलन। उनके दिमाग पर जो आर्थिक भार पड़ा है, सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार के कानून बने हैं उनसे किसान का जमीन पर मालिकाना हक कायम नहीं रहेगा इस प्रकार की शंका पैदा हो रही है। इस शंका को जब तक नहीं मिटायेगे, जब तक किसान को यह मालूम नहीं होगा कि देर असल में जिस पर वह खेती करता है वह उसकी जमीन है, जितनी मेहनत वह करेगा, जितना ज्यादा उत्पादन वह बढ़ायेगा उसका फायदा उसी को मिलेगा। जब तक किसान की यह शंका नहीं मिटेगी, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता। आज आप सहकारी कृषि किसान पर लगाना चाहते हैं, मैं उदयपुर को अलग नहीं करना चाहता लेकिन सहकारी खेती न तो सफल हुई है और न भविष्य में सफल होने वाली है। सहकारी खेती का जब से आपने रवैया बनाया है तब से उत्पादन गिरा है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ जो आपकी सिंचाई की स्कीम है, जो आपकी खाद की स्कीम है, जो आपकी बीज की स्कीम है और दूसरी स्कीमें चल रही हैं, उनमें भी कई प्रकार की दूषित प्रवृत्तियां हैं, उनको हटाना पड़ेगा।

मैं इसके पूर्व कि इस बारे में जिक्र करूं हमारे राजस्थान में उत्पादन पर एकड़ अन्य

Page No 60

(श्री विजयसिंह झाला)

स्टेटों के मुकाबले में सबसे कम है उसके आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रोस वेल्यू है एक एकड़ पर वह केरल में एक एकड़ पर ग्रोस वेल्यू, ग्रोस आउट पुट ५२१. ५६ है। मध्यप्रदेश में १२५. २९ है...

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह है क्या ? क्या होता है ?

श्री विजयसिंह झाला : ग्रोस वेल्यू ऑफ पर एकड़ आउटपुट।

श्री नाथूराम मिर्धा : है क्या ? फिगर्स क्या होते है ?

श्री विजयसिंह झाला : रुपीज में वेल्यू है वह बता रहा हूं पर एकड़।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : अब तो आप समझ गये ?

श्री विजयसिंह झाला : पर एकड़ वेल्यू रुपयों में है, वह आपके राजस्थान में ८४. ४१ पैसे हैं, वह केरल में ५२१.५६ नये पैसे और मध्यप्रदेश जो आपका पड़ोसी राज्य है वहां पर १२५.२९ है, पंजाब में १७५.८३ है, दिल्ली में १८७.५ है और आसाम में ३३७ है। इसी प्रकार आपकी नेट इन्कम हैं; पर एकड़ रुपयों में बता रहा हूं, मनों में नहीं। जो राजस्थान में कम है ७३. ३४ है ग्रोस वेल्यू पर एकड़ राजस्थान में भारत के सभी स्टेट्स से कम है और अब जो खर्चा होता है पर एकड़ वह राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में वेल्यू पर एकड़ सबसे कम आती है और खर्चा पर एकड़ सबसे अधिक होता है। इसका पर्सेन्टेज ग्रोस वेल्यू पर है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ऐसी ज्योग्राफी में पैदा क्यों हुए ?

श्री विजयसिंह झाला : इसलिये कि आप जैसे कृषि मंत्री राजस्थान में पैदा हुए ?

मैं समझता हूं, हमारे पड़ौसी राज्यों की ज्योग्राफी में और राजस्थान की ज्योग्राफी में ज्यादा फर्क नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं सीधा अंगूर की बेलों पर आ जाऊं। अंगूर आप राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्री विदेश गये और हैदराबाद और मैसूर में कुछ अंगूर के फार्म्स देखे और उसके बाद यहां आये और सदन में आपने भाषण दिया कि यदि उसी प्रकार राजस्थान में अंगूर की खेती की जाय तो ३ एकड़ भूमि में ३०,०००) रुपये के अंगूर पैदा हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राजस्थान में दो आदर्श फार्म्स हैं, जहां अंगूर की खेती की गई है; एक तो कृषि मंत्रीजी का और दूसरा मुख्य मंत्रीजी का। जहां पर सरकारी सारे साधन लगे हैं। अंगूर की खेती बढ़ाने के लिये सारी दवाइयां और दूसरी चीजों का वहां पर उपयोग हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप गलत कहते हैं। बिना आधार के बात मत करियेगा।

श्री विजयसिंह झाला : वहां पर सरकारी साधन लगे हुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : इतने मीठे अंगूर हैं !

श्री विजयसिंह झाला : आप खट्टे ही समझ लीजिये । कृषि मंत्रीजी उत्पादन करते हैं वे खट्टे ही होंगे क्योंकि हमारे काम नहीं आते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप एक दिन यहां पर अंगूरों का गुच्छा लेकर आयेंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपके लिये खट्टे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : आपको नहीं मिलने वाले हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : लोमड़ी के लिये अंगूर खट्टे होते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : लोमड़िया तो उधर रह गईं । लोमड़ियों के राजा हैं दो तीन, जो इधर बैठते हैं। मैं यह कह रहा था कि जो अनुभव कृषि मंत्रीजी करके आये हैं हैदराबाद में और मैसूर में, वह परीक्षण आपने अपने आदर्श फार्म पर किया । इन आदर्श फार्मों को भी देखा है। सारे सरकारी साधन जुटाने के पश्चात् भी वे सफल नहीं हुए । मुख्य मंत्रीजी के आदर्श फार्म में सारी की सारी बेलड़ियों सूख गईं और कृषि मंत्रीजी के वहां खत्म होने वाली हैं...

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : क्या सूख गईं ?

श्री विजयसिंह झाला : आप तो समझते हैं नहीं अंगूर की बेल में।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो खेजड़ी और बेर में समझते हैं, चलो तो आपको खिलादूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चौमू के बेर लगवाइये ।

श्री मथुरादास माथुर : पेमजी बोर ।

श्री विजयसिंह झाला : आज जो पर एकड़ ग्रोस वेल्यू हमारी बढ़नी चाहिये और जिन आधारों पर हमारे कृषि मंत्रीजी राजस्थान में इस प्रकार की योजना बनाना चाहते हैं, उनमें स्वयं ही फेल हुए हैं, तो हम कैसे कह सकते है कि आगे जाकर वे तरक्की की योजना बनायेंगे....

श्री मथुरादास माथुर : मुख्य मंत्रीजी के वहां अंगूर की बेलें जल गई बताते हैं, मैं भी वहां जाकर आया हूं....

श्री विजयसिंह झाला : कब गये थे ?

श्री मथुरादास माथुर : ५-७ दिन पहले।

श्री विजयसिंह झाला : मैं गया हूं, दो-तीन दिन पहले ही ।

श्री मथुरादास माथुर : अंगूरों में आप जब समझते नहीं हैं तो क्यों मुंह मारते हैं ?

Page No 62

श्री विजयसिंह झाला : अंगूर का आपको बहुत शौक है, इसलिये अंगूर का विभाग अलग करवा लीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे जानकारी दीजिये कि मुख्य मंत्रीजी की अंगूर की बेल मौसम की वजह से सूख गई या आहों से सूख गई ?

श्री मथुरादास माथुर : आपकी आहों नहीं, दुआओं से सूख गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सूख तो गई ?

श्री मथुरादास माथुर : लगी हैं।

श्री विजयसिंह झाला : अंगूरों को छोड़िये। मैं यह कह रहा था कि आपका अनुभव विदेशों में जाकर बढ़ा और हैदराबाद और मैसूर के आस-पास चक्कर काटने के बाद आपको जो अनुभव हुआ, उसे आप राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं, लेकिन उसमें आप फेल हुए। किसान को यहां पर मेहनत अधिक करनी पड़ती है, उनको जो रिटर्न मिलता है, वह दूसरे प्रदेशों की बनिस्पत राजस्थान में कम है। तो मेहनत ज्यादा करे, ग्रोस रिटर्न कम आवे और खर्चा खेती पर ज्यादा हो; भारत के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में इन्कम उनकी कम है। नेट इन्कम ऑफ पर वर्कर पंजाब में ८६१) रु० है, पश्चिम बंगाल में ८२४ है, दिल्ली में ६२० है और राजस्थान में ३४३ है....

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका क्या मतलब है ?

श्री विजयसिंह झाला : एक वर्कर साल में जितनी मेहनत करता है उसका रिटर्न बताया है, केरल में एक आदमी की नेट इन्कम १५६०) रुपये होती है और राजस्थान में ३४३ रु० होती है....

(१. म. प.)

श्री नाथूराम मिर्धा : केरल में पैदा क्या होना है ?

श्री विजयसिंह झाला : सबसे ज्यादा होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्या होता है, असम में क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है ? अपने आपको कन्फ्यूज मत कीजिए। कन्फ्यूज करने से क्या लाभ है ?

श्री विजयसिंह झाला : मैंने सारे स्ट्रक्चर को बताया। आप कन्फ्यूजन में हो। पर एकड़ रिटर्न राजस्थान में सबसे कम होता है। पर एकड़ खर्चा राजस्थान में सबसे ज्यादा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी थीसिस समझ में आ गई।

श्री विजयसिंह झाला : तो बैठ जाइए। तो मैं कह रहा था कि राजस्थान की कृषि के सम्बन्ध में जो नीति है वह काश्तकारों को फायदा देने वाली नहीं। खेती का उत्पादन बढ़ाये के लिए जो सिंचाई सम्बन्धी साधन किसानों को जुटाए गए, उसके द्वारा किसानों की क्या आमदनी बढ़ी है, उस पर ध्यान दिया जाय। जहां सिंचाई

(श्री विजयसिंह झाला)

के द्वारा खेती हो रही है उसमें उत्पादन गिरा है। साधन जो आप वितरित करते हैं, उस बारे में आपकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। आपने जितने भी साधन किसानों को पंचायत समितियों के मार्फत वितरित किए हैं उनमें एक एरिया में भी सफलता नहीं मिली है। आप छोटे छोटे ट्रैक्टर राजस्थान में लेते ताकि राजस्थान के किसानों का भला होता, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि आज से बहुत समय पहले ५०० होर्स पॉवर के छोटे ट्रैक्टर राजस्थान में लाते, जिनके आधार पर ज्यादा सफलता मिल सकती थी।

कई बार सदन में कहा गया कि जो साहित्य खेती के बारे में निकलता है वह ग्रामीण भाषा में होना चाहिए ताकि उसे किसान पढ़ सके, लेकिन आज तक कोई साहित्य ग्रामीण भाषा में किसान को पहुंचने की कोशिश नहीं की। जो इम्प्लीमेंट्स आपने किसानों को बांटे उनमें खराबियां हो गई हैं, उन खराबियों को निकालने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं मिलता।

जहां तक खाद का सवाल है उसको अपने ग्राम सेवक लेबिल पर बांटा। प्रोडक्शन के आंकड़े बढ़ा दिए, लेकिन किसान को फायदा नहीं मिला। जहां कहीं किसानों को थोड़ी सफलता मिली उससे इन्कार नहीं करता लेकिन इसमें बड़ी भारी खामी है, वह यह है कि एक ही तरह का खाद सब क्षेत्रों में सफल नहीं हो सकता। आपने बगैर सोइल टैस्ट किये खाद का वितरण किया उसका बुरा परिणाम हुआ। जो खाद आपने दी वह उस जमीन के लिए उपयुक्त नहीं थी, उसका परिणाम यह हुआ कि उदयपुर जिले में कम से कम आपकी नई खाद से लोग डर गए। होना यह चाहिए था कि सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके सारे ग्रामीण क्षेत्रों को इकट्ठा करके एक-दो फार्म गांवों में या पंचायत समितियों में डिमोन्सट्रेशन के लिए सही रूप से रखते और जितना भी खर्चा हो, वह सरकार उठाये तब तो किसान को फायदा हो सकता है।

जहां तक बीज का प्रश्न है वह जितना भी आता है वह जिस क्षेत्र में दिया जाता है उस क्षेत्र में वह बीज वहां की जलवायु को सूट नहीं करता, उससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। किसानों को समय पर बीज नहीं मिलता, सस्ता नहीं मिलता, सही नहीं मिलता और सहायता भी समय पर नहीं दी जाती। उत्पादन के बारे में जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती।

जहां तक पशु पालन विभाग का प्रश्न है, राजस्थान के अन्दर करीबन ३,००-२५ ००० पशु हैं, उनके बारे में जितनी विभिन्न प्रकार की योजनाएं अपनाई उनमें आपको सफलता नहीं मिली है; आप चाहे घास देने की योजना को देखें कितने क्षेत्रों में अच्छी घास का उपयोग हुआ है और राजस्थान के अन्दर जितने पशु रहते हैं, उनके लिए चराई की दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्र है या नहीं। इस बारे में आपके पास

(श्री विजयसिंह झाला)

कोई आंकड़ा नहीं है। जहां तक नस्ल सुधार का प्रश्न है, आप किसी भी गांव में चले जाइए वहां सब प्रकार के पशु मिलेंगे। क्या एक भी ऐसा राजस्थान में क्षेत्र है जहां नस्ल सुधार हुआ है या आपको सफलता मिली है? आपने इतना पैसा नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए रखा, गर्भाधान केन्द्र खोले लेकिन उसका प्रभाव किसी क्षेत्र में नहीं पड़ा है।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : आपको नजर नहीं आ रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : वह दूरबीन सिर्फ आपकी आंखों पर चढ़ी हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : (श्री हांडा के खड़े होने पर) आपकी कुर्सी के नीचे कोई स्प्रिंग लगा हुआ है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारा स्प्रिंग तो कायम है, लेकिन आपका टूट चुका है।

श्री विजयसिंह झाला : जहां तक डेयरी फार्म का प्रश्न है, आप राजस्थान में एक भी डेयरी फार्म बताइये जिससे किसी व्यक्ति को आमदनी हुई हो...

श्री मथुरादास माथुर : किसको फायदा नहीं हुआ?

श्री विजयसिंह झाला : एक भी बताइये जिसको फायदा हुआ हो।

श्री मथुरादास माथुर : सबको हो रहा है।

श्री जोरसिंह चौहान : एक भी डेयरी फार्म मुनाफे में नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : किसका हिसाब देखें, किसके आंकड़े देखें?

श्री विजयसिंह झाला : पंचायत समिति बारगांव, केसरीमल, फूलसिंह, हीरा डांगी, कन्हैयालाल, निरंजननाथ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : निरंजननाथ के पास डेयरी फार्म नहीं है, भेड़शाला है।

श्री विजयसिंह झाला : जो भी डेयरी फार्म आपने खोला उसमें सबमें आपको असफलता मिली है।

पंचायत समितियों से उल्टा उन्होंने तीन तीन हजार रुपया कर्जा लिया और डिपार्टमेंट के मार्फत गायें ठेठ नहीं आयीं तब तक मर गयीं। इसलिए जब तक जलवायु को न देख लें तब तक ऐसी नस्ल अमुक एरिया के लिए भेजना उल्टा परिणाम होता है।

एक बहुत ही एतराज का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। माथुर साहब खड़े होकर, केबिनेट में तो शायद उनकी चलती नहीं इसलिए उनको यहां विधान सभा में प्रोमिज़ करने का एक शौक हो गया है। गये साल उन्होंने एक प्रोमिज़ दिया था।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी चलती नहीं है तो आप उदयपुर के हो, सिफारिश करके चलवा दें। नाथद्वारा के हो।

श्री विजयसिंह झाला : आप बैठिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जब से बीकानेर वालों को केबिनेट में भेजा है तब से आपकी ज्यादा चलने लग गई है।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी सिफारिश है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उदयपुर वालों को बैलेन्स बनाना है। हमने बीकानेर वालों को भेजा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपने घिसी पिटी जेब में रख ली।

श्री अध्यक्ष : इतनी स्पष्टतया बात नहीं करनी चाहिये। केवल संकेत से ही।

श्री विजयसिंह झाला : जयसमुद्र में मछलियों के ठेके का सवाल था। एक कपूर साहब हैं, उनको एक्स रूलर उदयपुर ने ठेका दिया था जो चार साल पहले समाप्त हुआ था। सदन में जब इसका प्रश्न उठाया गया तो कहा गया कि अगले साल उसको नीलाम कर दिया जावेगा। मत्स्य सम्बन्धी एक विधेयक भी सदन में आया था और पास हुआ था। माथुर साहब मुख्य मन्त्री बनने की आशा में थे उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि इस साल ठेका हो जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो मच्छियों की बात नहीं करता, मगरमच्छ की बात करता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : मगरमच्छ तो कपूर हैं, उसके बिना आपकी चलती नहीं। वह बड़ा भारी मगरमच्छ है, उसको आप ठेका दिलाना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आपकी भी सेवा करता है।

श्री विजयसिंह झाला : हमारी सेवा नहीं करता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आपको बड़ी २ मच्छियां भेजता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ब्रेकफास्ट के लिये।

श्री विजयसिंह झाला : आप जब राजनगर आते हो तब गेस्ट हाउस में भेज देता होगा।

श्री जोधसिंह चौहान : कई कांग्रेसी मच्छियां गई हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऊंटों की सवारी।

श्री विजयसिंह झाला : ऊंटों की सवारी हो या गधे की सवारी हो, आपके लिए कौनसी चाहिये, यह मैं नहीं कह सकता।

तो अध्यक्ष महोदय, जो मच्छियों का ठेका होना चाहिये था दस साल का, हर

(श्री विजयसिंह झाला)

साल का वह नहीं होता है इस कारण सरकार की आमदनी को यह घाटा है।

इससे आगे कुछ न कह कर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किसानों की आर्थिक रूप-रेखा को पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिये और उसके आधार पर राजस्थान में कितने किसानों को हम जीविका दे सकते हैं, ऐसा नक्शा बना कर आगे बढ़ना चाहिये। किसी विश्वविद्यालय से आज लड़के निकलते हैं, एक भी लड़का ऐसा नहीं मिलता जो गांव में जाकर खेती करे ; या तो वे नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। कृषि की आप शिक्षा देते हैं तो उनको खेती के लिए साधन भी देने चाहिये। साधन नहीं देते हो और कृषि की शिक्षा भी देते हो, यह दोनों ही गलत हैं। एक एक विश्वविद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थी के पास आदर्श फार्म हों हर क्षेत्र में ताकि वह उसको बनाये जिससे देश में उत्पादन बढ़े और हम समृद्धशाली हों। लेकिन आप तो इस प्रकार सही रूप में खर्चा करके केवल आंकड़े बता देते हो जिसमे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री 'कालाबादल'।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : अध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक जिस क्षेत्र से यहां मेरा आने का सवाल है, मैं शुद्ध किसानों के द्वारा ही हमेशा यहां आया हूं। गांवों में भी दो-तीन तरह के किसान रहते हैं। एक शुद्ध और दूसरे अशुद्ध। गांवों में बड़े बड़े आदमी साधन सम्पन्न जो किसान का शोषण करके भी किसान बनते हैं कई दूसरे धन्धे करते हैं और सरकार को आमदनी बता कर धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हम कृषि में काफी तरक्की कर चुके है, वे अशुद्ध किसान हैं। मुझे बहुत पहले का समय याद है।

सन् ४०-४१ के बीच का समय होगा, चौधरी बलदेवरामजी आपके इधर मारवाड़ की तरफ के थे। एक किसान सम्मेलन कोटा में किया गया था गोपालपुरा में। किसानों को उस समय तकलीफें थीं और जिनको उनके सामने रखा गया तो उन्होंने एक ही शब्द में कहा था कि थोड़ा संतोष करिये, आपका भी समय आयगा, अभी अंग्रेजों तथा राजा महाराजाओं का राज है, अभी आपका समय नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उनको चैलेन्ज कर दो, अंग्रेजों को कह दो, राजा-महाराजा और जागीरदारों को यह कहना शुरू कर दो, उस समय मैं बच्चा था, मुझे मालूम है बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा और जागीरदार किसानों से अपने आपको अन्नदाता कहलाते थे, हालांकि ये बड़े बड़े लोग अन्नदाता नहीं हैं, अन्नदाता तो हम किसान हैं जो पैदा करके अन्न सबको खिला कर पेट पालते हैं, हाथों से हल चलाते हैं, खेत में अन्न पैदा करते हैं, वे हैं अन्नदाता तो। छोटे से पद में उन्होंने जो शब्द कहे थे वे यह हैं :

"करसा" थांका अन्दाता छै,
क्यों लाग्या धमकावाने।

(श्री भैंरवलाल 'कालाबादल')

जो थां यां सूं वैर करो तो,
मिले न टुकड़ो खावाने ।।''

उस समय वह महापुरुष कह गये किसानों से । संतों की वाणी अमर होती है, इसमें कोई शंका नहीं है । आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा । उस समय वे महान् नेता थे, उसके बाद मुझे तो वे मिले नहीं । उनके वचन सही जरूर हो गये । जो लोग किसानों के साथ जुल्म करते हैं, जो भोलेभाले किसानों को दबाते हैं, झूठे झांसे देते रहें अब वे दिन दूर नहीं । जब किसान की प्रगति होगी उस समय किसानों के प्रति इस प्रकार की भावना रखने वालों को खत्म कर देंगे । आज इस सरकार ने करोड़ों रुपया किसान की भलाई के लिए, उसकी प्रगति के लिये खर्च किया है । उत्पादन बढ़ाने के लिए बांध बनाये गये, नहरें खोदी गई और सरकार प्रयास कर रही है कि गांवों की हालत सुधरे । सरकार तो प्रयास करती है लेकिन विभाग के जो कर्मचारी हैं वे सरकार को असफल करने में लगे हुए हैं । हमारे यहां जिस समय अंग्रेजों का शासन था और हम स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए आन्दोलन करते थे; हम कभी सफल नहीं होते यदि सरकारी मशीनरी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होती । तो हम आजाद नहीं होते ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार आज भी हमको फेल करने के लिये सरकारी मशीनरी में ऐसे ऐसे कई लोग बैठे हैं जो सरकारी योजनाओं को लगातार असफल करते जा रहे हैं । जनता को लूटते हैं, कम नहीं करते । जब हम किसी अधिकारी के बारे में मन्त्रियों से कहते हैं तो उनकी इन्क्वायरी तो करा लिया करें । लेकिन जब हम किसी अधिकारी के लिये कहते हैं तो आप उनको बचाने के लिये कह देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, माननीय सदस्य गलत कहते हैं । इस तरह से जब आपकी तरफ से जवाब मिल जाता है तो वे फूल जाते हैं और यह मानने लग जाते हैं कि हम जो कुछ करते हैं सब ठीक है मन्त्री महोदय का आशीर्वाद है, विरोधी दल के कोई भी माननीय सदस्य बोलते हैं तो उनकी बातों को आप ज्यादा मानते हैं लेकिन हम आपके पक्ष के लोग कहते हैं तो उनकी कोई परवाह नहीं करते । हम रात-दिन सरकार की फेवर में रहते हैं उनकी फेवर में बोलते हैं, हमारे लिये तो कुछ नहीं । एक दिन भैरोंसिंहजी बोल रहे थे तो हमारे मिर्धा साहब ने कहा कि हम आपको अंगूर खिलायेंगे । विरोधी दल के लोग बोलेंगे तो अंगूर खिलायेंगे और हम सरकारी पक्ष वालों को कुछ नहीं देंगे ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): उनको तो अंगूर खिलायेंगे, आपको अंगूर का रस पिलायेंगे ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : विरोधी दल वालों को आप अंगूर खिलाते हैं लेकिन हम रात-दिन जो विरोधी दल का मुकाबला करते हैं, हमको भी जरा बढ़ावा मिल जाया करे तो हमारा भी हृदय फूल जाय, हमको भी उत्साह मिलता रहे । परन्तु हम यह भी देखते हैं कि हम कोई बात कहते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती, सेक्रेटेरिएट में जाते हैं

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करता और विरोधी दल के लोग बिना चिट्ठी दिये ही मिलने घुस जाते हैं। हम तो वहां बैठे समय की बाट देखते रहते हैं और विरोधी दल के लोग अपना काम करा कर वापिस भी चले जाते हैं, हमको मिलने का टाइम तक नहीं देते। मुझे तो यह डर लग रहा है अध्यक्ष महोदय, कि आपके सामने मैं कभी बोलने खड़ा नहीं होता हूं क्योंकि मुझे आपका डर लगता रहता है कहीं आप मुझे रोक न दें ऑर्डर ! ऑर्डर ! करके मुझे बैठा न दें। आज पहली दफा मैंने आपके सामने बोलने की हिम्मत की है। मैं जब कभी बोला हूं सभापति या उपाध्यक्ष महोदय के सामने बोला हूं।

अध्यक्ष महोदय, इधर सरकार कहती है कि किसानों की भलाई के लिये हमने लाखों-करोड़ों रुपये लगा करके बान्ध बनाये नहरें बनाईं। हमारे इलाके में भी नहर खोद दी गई, लेकिन जमीन का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं दिया। वे किसान हमारी योजनाओं के बारे में कहते हैं कि सरकार हमें परेशान कर रही है, पानी कब मिलेगा पता नहीं, पर पहले ही हमारी जमीन को बिगाड़ दिया। किसान जो हमारे प्रति विश्वास रख कर चलता है उसके लिए आपको चाहिये कि पहले आप उसको मुआवजा देते, बाद में नहरें खोदते। आज देखा यह जाता है कि नहरों में पानी भर जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता, फसलें गल जाती हैं, खेतों में पानी भरा रहता है। यदि विरोधी दल के कोई सदस्य यह कह देंगे तो जांच कर लेंगे। हम कहते हैं तो कह दिया जाता है कि गलत कहते होंगे, इसलिये सरकार की पक्ष के व्यक्ति को कोई मानता नहीं। कल ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय महाराजा झालावाड़ ने फर्माया था, मैंने पूछा था कि पुलिया टूट गई उसकी मरम्मत कब कराई जायगी। विरोधी दल की तरफ एक माननीय सदस्य से कहा गया 'कालाबादल' ज्यादा बरसता है इसलिये पुलिया टूट जाती है। तो एक ने पूछा क्या बजट तभी मन्जूर होता है जब बादल बरसता है; उस पर माननीय महाराजा साहब ने उत्तर दिया कि गर्जेगा तब पैसा मन्जूर होगा। हम तो घर के आदमी हैं, आप हमें गर्जने का आदेश देते हैं तो हम भी गर्जा करेंगे। कड़वा बोलने से ही काम होता है तो वह भी हम जानते हैं। परन्तु हम घर वालों के सामने गर्जना पसन्द नहीं करते। घर वालों को चाहिए कि हमारे बिना गर्जे ही काम पूरा कर दिया करें।

श्री मथुरादास माथुर : आप गर्जना भी साथ में बरसना भी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, आचार्य साहब और हरिभाऊजी के सामने भी कई बातें कहीं, कौल साहब के बारे में बोला नहीं। कौल साहब के बारे में मैंने देखा कि वे सच्चाई को छिपाना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मंत्री महोदय जो हमारे इलाके से आते हैं वे कहते हैं, जब गर्जेगा तब उसका काम होगा। हम गर्जना नहीं चाहते क्योंकि हमारी सरकार है। घर वालों का काम पहले हो, विरोधियों का भी काम हो उसके लिए मना नहीं करता।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

मैं कह रहा था आपने खेतों पर वेटरमेंट लेवी का प्रावधान लागू किया है। यह खुशहाली कर के नाम से कहा जाता है। खुशहाल हो जाये तो टैक्स लेना चाहिये इसके लिए मना नहीं करता। मगर ज्योंही खुशहाली करने की बात कही उधर अधिकारियों ने पर्चे पहुंचा दिये। तीन साल पहले ही इसे लागू कर दिया, पानी लेने से पहले ही पर्चे बांट दिये गये। विरोधी पक्ष वाले लोग जाकर उन लोगों को कहते हैं कि सरकार ने तुम्हारे खेतों में पानी तो दिया ही नहीं पहले ही खुशहाली कर लेने लग गये; आप लोग आन्दोलन करिये। इस प्रकार सम्मेलन कर करके लोगों को दबा रहे हैं। हम जाकर उनको कहते हैं तो वे हमारी मानते नहीं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो भी पॉलिसी आप तय करते हो, हम को तो पूछा करो। तीन साल बाद लेने की पॉलिसी तय करते हो, हमारे को तो कहा जाय ताकि हम लोग उनको समझा सकें। उनसे कहें कि पर्चे बंट गये हैं तो बंट जाने दो, सरकार गलत तरीके से वसूल नहीं करेगी। हम जो साधारण सदस्य हैं उनकी भावना को भी आप सुना करो। अध्यक्ष महोदय, मैं सही बात कहता हूं अदालतों में बैठे हुए हाकिम सदा आपस में ऑफिस में लड़ते हैं। यह आप जरूर सोचते होंगे कि 'कालाबादल' सरकारी पक्ष के साथ में बैठ कर सरकार की आलोचना करता है, अदालतों में हाकिम काम नहीं करते, आपस में लड़ते हैं, जनता परेशान होती है अध्यक्ष महोदय :

अदालतों में बैठे हाकिम,
गप-शप रोज लड़ाते हैं।
जनता के दुःख दर्दों को,
बेगार समझ कर करते हैं।।
वर्षों से दब रही फाइलें,
पूछें तो घुर्राते हैं।
चौड़े धाड़े रिश्वत मांगें,
नहीं किसी से डरते हैं।

मंत्रिगण आये दिन फिर उनको बढ़ावा देते हैं जिनके ऊपर सरकार चलती है।

भ्रष्टाचारी, ब्लैक खोरी करने वालों की झट फाइल मिल जाती है, लेकिन दूसरे लोग अपने काम के लिए जाते हैं तो उनको टरका देते हैं। भ्रष्टचारी और ब्लैक करने वालों को वे ऑफिसर लोग चाय भी पिलाते हैं और साथ में उनका काम भी झट कर देते हैं। सरकार के चलाने वाले मंत्री महोदय अच्छे हो सकते हैं। मैं समझता हूं उनके अधिकारियों के लिए यह ठीक होगा कि जन हित के लिए काम करें, सावधान रहना इन छिपे हुए गद्दारों से ये सरकारी मशीनरी में छिपे हुए गद्दार हैं, जनतन्त्र को खतरा पहुंचा रहे हैं इनको आप बढ़ावा मत दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सरकार के मंत्रियों के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अंग्रेजों के जमाने में हम कहा करते थे किसानों की दशा के बारे में।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

जोतां बोवां करां रूखाली,
इन्द्र आश लगावां रे।
नाज नाज तो थां चुग
जाओ, म्हें भुस खावां रे।
अब उड़ जाग्रो रे, अब उड़
जाओ रे, परदेशी पंछी
कृषक पुकारे रे ।।
अब उड़ जाओ रे।

आज किसान की हालत यह है कि नाज के दाने दाने के लिए किसान तरस रहा है। ज्वार के भुट्टे पर गुजर करता है, फिर भी आप कहते हैं कि किसान की हालत अच्छी है !

आज मैं अपने पंचायत क्षेत्र के बारे में निवेदन करूं। आज तकावी उन लोगों को मिलती है जिनके पास पहले से पैसा है, बैलों की तकाबी भी ऐसे ही लोगों को मिलेगी; पम्प की, कूओं की, सबकी तकावी उन्हीं को मिलेगी। सीधा-साधा किसान जो सर्दी में बिना कपड़े रातें गुजारते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, हाथ से हल चलाते हैं, उनकी हालत आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी।

सी सी करतां स्यालों काटां,
फिरे उघाड़ा रे ।
ऊनाला में फिरां उघाणा,
कोरा हाडां रे ।
अब मत लूटो रे, कलम कसाई,
खून मल लोही होग्यो रे ।।

तो ये शहरों के आये हुए लोगों की बातें हैं। इधर मुझे हराने के लिये भी कई तरह की बातें कीं। इधर के हों, चाहे उधर के किसानों में यह कहना शुरू किया कि 'कालाबादल' तो अब कोटा में रहने लग गया है। गांवों में रहता नहीं। वहां बंगला बना लिया है। और जब जाता हूं तो कहते हैं तुमने तो मीणा सम्मेलन कर लिया, जातिवाद पैदा करते हो।

अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गांवों में नहीं जाता होता तो चार बार विधान सभा में लगातार नहीं आता। मुख्य मन्त्री भी इसी तरह आते रहे हैं। तो मैं माना हुआ राजस्थान का व्यक्ति हूं कि जिसने चार बार इस विधान सभा में शपथ-ग्रहण की है। अब पांचवीं बार भी लूंगा अध्यक्ष महोदय, सच कहता हूं। कांग्रेस वाले ही टिकट ही नहीं दें तो बात दूसरी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं दें तो इधर से आना।

श्री अध्यक्ष : अब थोड़ा खेती-बाड़ी की बात कर लें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय, क्या किया सरकार ने? हमारे यहां पहले कुएं बने हुए थे, उनसे सिंचाई की रेट सरकार लेती थी, अब उधर नहर का पानी आ गया तो नहरी पानी की रेट अलग लेते हैं और उन कुओं से सिंचाई नहीं करते तब भी उनकी रेट भी पहले की तरह ले रहे हैं। यह ज्यादती है, बन्द होनी चाहिये।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हम गांवों से जब आते हैं तो कहते हैं हम गांवों के लोगों के सेवक हैं और हमें इसलिये वोट दीजिये। हम बेकारी मिटावेंगे, रोजगार पैदा करेंगे और और विकास करेंगे। भोले किसान उनकी बोली नहीं समझते, वे यहां आने के बाद उनको तो भूल जाते हैं और अपने भाई-भतीजों को ऊंचा उठाते हैं और उनकी बेरोजगारी मिटाते हैं। तो वे बड़े लोगों के इस रहस्य को गांव के लोग अब समझने लग गये हैं।

अब सरकार ने सीलिंग लगाई, उसमें भी सरकार को सीलिंग शुरू में ही लगा देनी थी। विनोबाजी ने कहा है कि धन और धरती बंट कर रहेगी, भूख और गरीबी मिट कर रहेगी।

धन और धरती बंटी जरूर, पर चम्बल में जब धरती बंटने लगी तो बेचारे भूमिहीन तो उस क्षेत्र के साधारण किसान तो भूमिहीन ही रह गये। सरकार ने भूमि की रेट इतनी ऊंची तय कर दी कि उनके बूते की बात नहीं रह गई। नीलाम पर भी देना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार गांधीजी के आश्रम में वर्धा गया। आदर्श गांव पर उन्होंने एक बार भाषण दिया था। तो शुरू में जिस समय माननीय माणिक्यलालजी वर्मा यहां फोर्मर राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बने तो मैंने उस आदर्श गांव के स्वप्न को साकार बनाने के लिये एक दर्ख्वास्त पेश की। मैं उस जमाने में चेचट तहसील में रहता था। मैंने सोचा कि पचास परिवारों को लेकर मैं सरावदा की बीड़ में आदर्श गांव बना कर, रहूं, उस गांव में सारे बच्चे एक से ड्रेस में हों, सबको अच्छा खाना, पहिनना और रहना मयस्सर हो। इस प्रकार के आदर्श गांव की स्कीम की मेरी दर्ख्वास्त थी। पर मुझे दुख है कोई जमीन मुझे नहीं दी गई और वह जमीन जो मैंने बताई किसी और को दे दी गई। इसके बाद फिर कुकड़ा मानपुर आदि तमाम स्थानों में जमीन पाने की कोशिश करता रहा, पर कहीं जमीन नहीं दी गई। तो मैं तो सारी जिन्दगी जमीन पाने की आशा से जगह बताता ही रहा। पर जमीन नहीं मिली और आज तक एक बिस्वा जमीन मेरे पास नहीं।

अध्यक्ष महोदय, सीलिंग आया, पर फार्मों को बहुत अच्छी बड़ी-बड़ी जमीनें दी गई। अब इन फार्मों में भी कौन आवेगा जिनके पास हजारों-लाखों रुपया होगा वह पूंजीपति आवेगा। भूमिहीन गरीब को भूमि नहीं मिलेगी।

(१.३५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने बड़ी हिम्मत करके अध्यक्ष महोदय के सामने बोलना शुरू किया था तो आप रोकें नहीं। मैं अपने आप रुक जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, खेती के औजार देने की हमारी सरकार की योजना है। वे भी बड़े बड़े लोग ले गये। आज गांवों में दो तरह के किसान हैं, एक तो सीधा

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

सादा गरीब किसान और दूसरा शोषक किसान । छोटे-छोटे गांवों में जिसका बड़ा मकान, सफेद मकान मिले वह है शोषक किसान का और जिसकी टूटी-फूटी झोंपड़ी हो वह है सही-सीधा किसान । इस सीधे सादे किसान की तरफ हमारी सरकार का तनिक भी ध्यान नहीं, गया. यह कहने में मैं संकोच नहीं करता ।

हम विधान सभा में गांव वालों के सेवक बन कर आते हैं मालिक बन कर नहीं आते । जब सेवक बनकर आते हैं तो हमें बनाने वाले हमसे बड़े हैं, कायदे कानून से भी मान लें तो जो हमें चुनकर वे भेजते हैं वे बड़े हैं और वे रहते हैं गांवों में । तो वे बड़े भाई हैं और हम छोटे भाई हैं । तो एक उदाहरण छोटा सा कहानी के रूप में मैं निवेदन, करना चाहता हूं । तो उपाध्यक्ष महोदय, एक चौधरी के दो लड़के थे; एक बड़ा एक छोटा । किसी समय चौधरी साहब के सौ वर्ष पूरे हुए तो दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगे कि बेटों आपस में मेरे जाने के बाद लड़ियो मत । हिल मिल कर रहिये मेरे पास जो जायदाद है उसका बंटवारा कर लीजो समझ में आवे वैसे । चौधरी के पास जायदाद ज्यादा नहीं थी । एक तो था कम्बल और एक थी भैंस । अब चौधरी नहीं रहे । पीछे से छोटा भाई यहां आ गया । बड़ा भाई गांव में रह गया । बड़े भाई से चौधरी ने कहा था कि छोटे को तकलीफ मत दीजो, छोटा कहे वैसा करना ।

इससे बड़े भाई ने यह समझ लिया कि जो छोटा करेगा वही ठीक है । तो उन दोनों भाइयों में एक दिन अनबन हो गई तो छोटे ने कह दिया कि दादा अपण तो पांती अलग अलग करलां । बड़े भाई ने कह दिया कि भाई जो तू करेगा वही मन्जूर है क्योंकि पिताजी ने कहा था कि दोनों भाई आपस में झगड़ना मत और जैसा छोटा भाई कहे वैसा ही कर लेना । तो छोटे भाई ने पांती की । छोटे भाई ने कहा दादा आपणे कणे एक तो भैंस है उसकी पांती कर लें और एक कम्बल है उसकी भी पांती कर लें । तो छोटा भाई बड़ा होशियार था कहने लगा कि दादा भैंस आधी आधी करां तो भैंस सारी ही बिगड़ जाये और इस तरह भैंस का बंटवारा नहीं हो सकता । तो छोटा भाई क्योंकि होशियार था उसने कहा कि दादा भैंस का अगला हिस्सा तो तुम्हारा और पीछे का हिस्सा मेरा । उपाध्यक्ष महो-दय, कितनी होशियारी से उसने बंटवारा किया । अब भैंस को बेचारा बड़ा भाई खाना खिलावे, पानी पिलावे और क्योंकि भैंस का पीछे वाला हिस्सा छोटे भाई के पांती आया तो वह तो दूध निकाले और छाणा थापे । इसी तरह से अब कम्बल का बंटवारा हुआ । तो छोटा भाई क्योंकि होशियार था तो उसने कहा दादा तुम तो बड़े हो और चौपाल में और बिरादरी में जाते रहते हो. तो तुम्हारी इज्जत रहेगी दिन में तो कम्बल को तुम्हारे पास रखा करो और रात को मेरे पास । तो उपाध्यक्ष महोदय, कम्बल दिन में तो बड़ो भाई ओढ़तो और रात ने जब सर्दी हो जाती तो छोटा भाई ओढ़तो ।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

एक दिन ऐसा हुआ उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरा जैसा आदमी उनके यहां पहुंच गया । अब गांवों में तो चौधरी साहब के यहां ही सब लोग ठहरते हैं तो उनके पास जब वह आदमी ठहरा तो उनके पास न तो खाने को और न ओढ़ने को । तो वह पंडित जो ठहरा । वह बड़े भाई के यहां ठहरा तो सारा मामला सामने आया । बड़े भाई ने कहा महाराज भैंस का आगे का हिस्सा मेरे पांती आया है इसलिये उसको चारा मुझे खिलाना होता है, पानी पिलाना होता है और दूध उसके पांती आता है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : छोटा भाई आचार्यजी जैसा होगा ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : उतरी हुई हांडी है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो जो पंडितजी उनके यहां ठहरे हुए थे उसने तरकीब बताई कि ४ बजे जब तू भैंस छोड़कर आये तो बांध कर मेरे पास आ जाना, उसने कहा कि जब छोटा भाई दूध दूहने लगे तो भैंस के मुंह पर दो-चार लाठियां मार देना ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो उपाध्यक्ष महोदय, जब छोटा भाई दूध दूहने लगा तो बड़े भाई ने दो लाठियां भैंस के मुंह पर मारी तो उसने दुल्लती लगाई और दूध वगैरह सब ढुला दिया । बस उसी दिन से छोटे भाई ने कहना शुरू कर दिया कि चलो दूध में आधी पांती कर लें । इसी तरह से कम्बल का हुआ...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

पंडितजी ने कह दिया । उपाध्यक्ष महोदय, यही तो दुख है कि जितने भी शहरों से चुन कर आने वाले माननीय सदस्य हैं यह गांव की भाषा में ही तो गांव के किसानों को प्रगति रिपोर्ट नहीं दें । जब मैं गांव की भाषा में बोल रहा हूं तो शहरी लोगों को दर्द हो रहा है । आप भी घन्टी बजा रहे हैं । गांव से चुनाव हुआ; एक मैं ही तो आता हूं शुद्ध किसान, और जो वेजीटेबल किसान आते हैं, वे तो बोलते रहते हैं । इसलिए गांव के किसानों की सुनना कौन चाहता है ?

उपाध्यक्षजी, कम्बल का बंटवारा इस तरह हुआ कि पंडितजी ने बड़े भाई से कहा कि जब तू कम्बल ४ बजे लेकर आये तो उसको भिगो कर रख देना । उस दिन शाम को जोरों की सर्दी पड़ी । तो छोटा भाई आया, उसने कहा दादा कम्बल दो बड़े भाई ने कह दिया वो रखा ले ले । उसने कहा दादा यो तो भीग्यो हुयो है । बड़े भाई ने कहा, मैंने तो दिन के ४ बजे भिगोया था रात को नहीं । तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब किसानों का सवाल आता है तो कोई परवाह नहीं करता । मैं आपको चैलेन्ज कर देना चाहता हूं कि एक समय वह आयेगा जब बड़े भाई की तरह इस प्रकार का जो आपने भेदभाव कर रखा है उसके लिए वह भी लाठी काम में लायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और पशु पालन की मांग पर आज सदन में बहस चल रही है। आज हम देखते हैं और राजस्थान के आस-पास के जो इलाके हैं, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र वगैरह हैं वे भी देखते हैं कि हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ देश है। पिछड़ा हुआ देश यह जरूर है, लेकिन यह कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान को कृषि प्रधान राज्य मानते हुए भी हमारे यहां पर कृषि का स्टेन्डर्ड गिर गया है और जैसा कि हम उत्पादन के द्वारा लोगों को अनाज देना चाहते हैं और उत्पादन की ओर जल्दी बढ़ने की बात कह रहे थे और इस तरह का नारा दे रहे थे, तो यह नारा खत्म करके हम सौ साल की दूरी पर जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि पहली बात तो हमारी सरकार ने नारा लगाना सीखा है और किसी तरह से लोगों का मुंह अपनी तरफ खींचकर अपने को देवता कहलाने की भावना पैदा करना चाहते हैं। आपने जो नारा लगाया उसको क्रियान्वित करने में दिलचस्पी लेते तो हमारी यह हालत नहीं होती कि २०-२० लाख टन बाहर से अनाज भी मंगाना पड़ता। उसका एक कारण है कि एक तरफ तो आबादी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो जमीनें थीं वह जमीनें जिनके पास पहले थीं उन्हीं के पास रहीं और पहले जब भारत आजाद हुआ तो उस समय बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को अपने काबू में करने के लिए क्या मालूम उनसे किस तरह से, जिस तरह कुत्ता दुम हिलाता है, उस तरह से उनके पैरों में पड़ कर राज्य अपने हाथ में कर लिया। हम भी उस समय चाहते थे कि कहीं विद्रोह न हो जाये। तो हम इस विश्वास पर चले कि हम सब मिल-जुलकर राज्य करेंगे।

आज हमारे यहां राजस्थान में ८३ परसेन्ट किसान हैं, लेकिन आज देखा जाये तो असली किसान वह है जिसके पास जमीन नहीं है और जो शुरू से खेती करते चले आ रहे हैं। उनके पास २-४-५ और १०-२० बीघा जमीन है वह भी आज ना के बराबर है। अगर आप उस किसान के घर के आदमियों को देखेंगे तो मालूम होगा कि उनके यहां ड्योढ़ी और दुगुनी फेमिली तक बढ़ चुकी है। जब पैदावार २-१ फेमिली के मार्फत २५ या ५० बीघे में होती थी, उसका बंटवारा होकर वह २-२, ३-३ बीघा जमीन हो गई हैं और उसके आधार पर २-३ फेमिलीज़ बन चुकी हैं और उनका खर्चा पूरा होना मुश्किल होगा। जो जमीन खुदकाश्त के नाम से किसी जागीरदार साहब या किसी राजा-महाराजा या नकली जागीरदार, जो कि आजकल कांग्रेस के नेता बन गये हैं, उन्होंने कब्जे में कर रखी है और उस पर खेती पूरी नहीं होती है। आज ५० परसेन्ट जमीन किसान के पास है। इससे उसका खर्चा पूरा नहीं होता है। पैदावार वही की वही रही है। उसमें कमी नहीं हुई है, लेकिन जमीनों का छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटवारा हो जाने के कारण कम मालूम पड़ती है। बरसों पहले राजा-महाराजाओं के पास तो जमीन थी ही और आज तक उनके कब्जे में चली आ रही है, बाकी की कुछ जमीन कांग्रेसी नेताओं ने कब्जे में कर

(श्री हीराभाई)

ली है। कांग्रेस की हुकूमत है और उसके लोग ऐसा कर सकते हैं तो जनसंघ वाले भी कर सकते है, सोश्यलिस्ट्स भी कर सकते हैं, और लोग भी कर सकते हैं, जो कि गालियां भी यहां देते हैं और साथ ही साथ यहां जमीन लेकर बैठे हैं। आज जिनके हाथ में हुकूमत है वह आदमी अपनी बुराई नहीं निकाल सकते हैं तो दूसरों की क्या बुराई निकालेंगे ? ५० परसेन्ट पर सही खेती होती है, बाकी जमीन नकली किसानों के हाथ में, छतरी किसानों के हाथ में है। छतरी किसान इसलिये कहते हैं कि छतरी लगाकर खेत पर जाते हैं और वहां पर खड़े होकर मजदूरों से खेती करवाते हैं। मजदूरों का वे शोषण करते हैं। उनको रुपया-बारह आने मजदूरी के देते है। वे छतरी किसान हैं, बाबू लोग हैं। वे खड़े होकर खेती करवाते हैं ताकि उनके पेन्ट में सल न पड़ें। ऐसे आदमी खेती नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में जमीन दे रखी है, इसलिये उत्पादन घट रहा है और दुनिया बढ़ रही है। उनको स्वप्न में भी खेती नहीं आती है। एक तरफ तो वे खेती नहीं कर सकते हैं और दूसरी तरफ इधर–उधर की आमदनी उनको आ जाती है तो उस आमदनी से वे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे कभी भी आकर खेतों में निनाई और खुदाई नहीं करेंगे। अगर आप यह मानते हों कि खेती उनके पास अगर रहेगी तो खेती करेंगे भविष्य में, लेकिन वे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास पूंजी है उसके आधार पर मजदूरों का शोषण करके ज्यादा आमदनी लेते हैं और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और मजदूर जहां का तहां कीचड़ में फंसता जा रहा है। उसकी फेमिली बढ़ रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ किसान और मजदूरों पर टैक्स लगातार होता चला जा रहा है। इसलिये खेती के उत्पादन में हमेशा घाटा रहेगा, आप कितना ही प्रयत्न कर लें। लेकिन जब तक असली बंटवारा न हो, किसान के पास नहीं आये जमीन और बाबू लोगों के पास है तो खेती नहीं हो सकती है। बाबू लोग खेती करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग खेती करने वाले हों, लेकिन वे भी नहीं हैं। मैं विश्वास करता था कि ज्यादा जमीन होगी तो ट्रैक्टर से खेती करेगा; जैसे रशिया या अमेरिका में खेती होती है वह करेगा। लेकिन एक भी नहीं देखा बड़ा जागीरदार, जिसने इतना उत्पादन कर दिया हो। वह नहीं हो सकता है क्योंकि वे दिल से नहीं करते हैं खेती। इसलिये बिना दिल वाले लोगों के हाथ में जमीन दे रखी है। वही हमारा दोष है कि कृषि में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। यह दोषी राजस्थान सरकार और उसके साथ साथ भारत सरकार तो है ही।

इसी तरह से खेती को बढ़ावा देने के लिए आपने तमाम गांवड़ों में कायम कर दिये हैं; कहीं सामुदायिक विकास खण्ड हैं, कहीं ब्लॉक कर दिये हैं, लेकिन वहां पर कौन हैं ? जितना खर्च किया जाता है, उतने ही नौकर हैं। वे नौकर कृषक प्रसार अधिकारी, ग्राम सेवक, बी० डी० ओ०, पशुपालन के डॉक्टर, वगैरह हैं। वे वहां के लोगों की बोली नहीं जानते हैं। वे यह भी नहीं जानते हैं कि उस जमीन पर क्या

(श्री हीराभाई)

उत्पादन होता है। न उसका कोई तजुर्बा है। कहीं साइकिल पर, कहीं मोटर से जाकर दोनों जेबों में हाथ रख कर लोगों से कहते हैं कि देखिये तुम्हारे लोगों के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुमने यह नहीं किया है। सिर्फ यही बताते हैं। अगर यह मशीनरी ट्रेनिंग पास की हुई होती और उससे मजबूती से काम करवाया होता तो हमारा उत्पादन अधिक हुआ होता। विकास खण्डों में जाकर देखिये कि जितनी खाद की थैलियां हैं वे गोदामों में भरी पड़ी हैं। किसी ने खाद डाला होगा तो तकावी कुएं की ली होगी तो उसी वक्त ले गया होगा और उसने उसको वैसे ही फेंक दिया होगा, क्योंकि वह किसान जानता नहीं है कि खाद कैसे डाला जाय और खाद डालने का तरीका वही है कि वह आदमी बतायेगा जो कि खुद नहीं जानता है, लेकिन ट्रेनिंग पास कर ली और मंत्री महोदय या किसी नेता की सिफारिश से नौकर हो गया। वह कुछ नहीं जानता है। खाद का उपयोग इसलिये नहीं हो रहा है। खाद डाल देता है परन्तु उसको मात्रा मालूम नहीं है; कम डाले या ज्यादा डाले। पानी गायब हो गया तो गया दूसरे साल के लिए। खेती सूख जाती है उस खाद से। अगर खाद को ढंग से डाला जाय, जितना वह बर्दाश्त करे, तब जाकर वह प्रोडक्शन बढ़ सकता है और फसल का अच्छा उत्पादन भी हो सकता है। लेकिन वह कोई जानता नहीं है। चाहे आप रूस से लाइये या अमेरिका से लाइये, लेकिन लाकर उसको खड्डे में डाल दें; उसका कोई उपयोग नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, बोलने वाले कम हैं।

तो इस तरह से, माननीय उपाध्यक्ष, एक तो ये जब तक स्थानीय किसानों को इस जमीन पर खेती करने के लिए रास्ता न बनायें तब तक बाबू लोग काम करने वाले नहीं हैं। यह पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी की गलती है। उसी ढंग से अब जमीन का जो सवाल है उसमें मैं तो यह सरकार से निवेदन करूंगा कि जमीन जिनके पास है वे ज्यादा से ज्यादा सीलिंग न करें तो न करें। आप आने वाले चुनावों तक नहीं करने वाले हैं यह मैं जानता हूं और अगर करेंगे तो १५० बीघा तक करेंगे, क्योंकि आपको फिर मिनिस्ट्री कायम करनी है। लेकिन लोगों को अधिकार तो दीजिये। हर मजदूर को जो फैक्ट्री में काम करता है उसको अधिकार है तो उसी तरह से लोगों को कम से कम शिकमी काश्तकार के रूप में खेती करने दें। प्लॉट के प्लॉट क्यों रख रखे हैं? उससे ठीक नहीं होगा। जितने लोगों के पास जमीन है उसका बराबर बंटवारा कर दें और किसानों में बांट दें और दूसरे लोग जो जमीदार हैं उनको मुआवजा दे दें, सीधी सी बात है। लेकिन जमीन देंगे तो सुखाड़िया साहब के रिश्तेदारों को, महिलाओं को, चार-चार साल की महिलाओं को, वसन्तकुमार को, रम्भादेवी को। वे

(श्री हीराभाई)

क्या हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, आप बता दें। मैं किसी को नहीं कहना चाहता हूं। एक शकुन्तला देवी हैं क्या वह हल चलाती हैं? आप एक तरफ तो यह ढिंढोरा पीटते हैं कि खुद खेती करने वाले को जमीन देते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को और छोटे बालकों को जमीनें देते हैं। एक घर में सात-सात मनुष्यों को जमीन दे दें।

(२ म० प०)

और उस तरीके से आप कहते हैं कि हम खेती का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो यह गलत है, यह नहीं हो सकता। भावों का यही रगड़ा है, गन्ने का यही रगड़ा है। गन्ना सूख जाता है, उनके लिये कोई उनके गन्ने को खपाने के साधन नहीं, कोई चर्खी का इन्तजाम नहीं करते, छोटे-छोटे किसान जो गन्ने की खेती करने वाले हैं वे गन्ना बोते हैं, उनका गन्ना यों ही बर्बाद हो जाता है, उनके गन्ने के लिये कोई सरकार की ओर से प्रावधान नहीं है, उनके लिये आप कुछ भी इन्तजाम नहीं करते, उनका गन्ना सूख जाता है और फिर वे लोग दूसरे साल गन्ना बोने का नाम तक नहीं लेते।

दूसरे, मेरा यह निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार भावों को ठीक तरह से नहीं जमा पाई है। पहले यह सरकार ढिंढोरा पीटती थी कि हम भावों को ठीक करेंगे पर यह भावों को बिल्कुल, कतई ठीक नहीं कर सकी। खाद्य मंत्रीजी ने हमारे इलाके के लिये कहा था कि जहां चाहोगे वहां मंडी खोल देंगे, पर हमारे बांसवाड़ा जिले में एक भी मंडी नहीं है। अब बेचारा किसान दो-तीन मन अनाज को कहां ले जा सकता है, वह तो सेठों के यहीं पर ले जायगा, दस रुपया मन, १२ रुपया मन जो भी भाव वह सेठ कहे उसी भाव पर बेचारे किसान को अपना अनाज सेठों को बेचना पड़ता है। इस तरह से आपने किसानों को मिट्टी में मिला दिया है, भाव तय करने के बजाय, मंडियां खोलने के बजाय और लोगों को कहते हैं कि हमने भाव तय कर दिये। क्या भाव तय कर दिये आपने?

गुड़ का भाव २०० रुपया क्विन्टल तक पहुंच गया था, आज वही पचास, साठ, सत्तर रुपये तक मिलता है। किसानों की चर्खी से गुड़ निकलने लगा तो पचास-साठ रुपया गुड़ का भाव हो गया। उस वक्त रोक नहीं लगाई जब २०० रुपया क्विन्टल का भाव हो गया था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की सारी उम्मीदें सरकार के इस प्रकार के कारनामों से खत्म हो जाती हैं।

बैलों के बारे में, पशु के बारे में आप कहते हैं कि हमारे यहां राजस्थान में बहुत अच्छे पशु पैदा होते हैं। अरे साहब नागौर, जोधपुर और जयपुर के पास देखे होंगे और कहीं नहीं हैं, असल नस्ल सुधार के बारे में आपने विभाग खोल रखा है, पर आपके इस विभाग ने कुछ भी काम नहीं किया है। आपके विभाग के लोगों को यह

(श्री हीराभाई)

भी मालूम नहीं है कि यह मालवी नस्ल है या कौनसी नस्ल है। सांड खरीदने के लिये अफसरों को भेजते हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार होता है; दो सौ, चार सौ, का सांड है तो १०००) रु० का लिखेंगे। १८००) रुपयों में हमारे यहां एक पाडा लाये। हम लोगों ने समझा कि १८००) रुपये का पाडा लाये हैं तो कोई बहुत बड़ा पाडा होगा……

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : आपने क्या कहा ?

श्री हीराभाई : पाडा लाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा:भीखाभाई लाये।

एक माननीय सदस्य : नागौर से ?

श्री हीराभाई : नहीं, महाराष्ट्र की तरफ से।

तो पाडा लाये साहब ….

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : वणीं पाडा रो नाम कांई हो ?

श्री हीराभाई : आदमी को भी सब छूट दे दो तो वह भी पाडा हो जाता है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपका मतलब मथुरादासजी माथुर से है क्या ?

श्री हीराभाई : नहीं।

मेरे यहां भी दो-तीन पाडे थे। मैंने देखा कि मेरे पाडों से बड़ा पाडा होगा, पर मैंने जाकर देखा तो मेरे पाडे से चार गुना छोटा था। उस वक्त मैंने सोचा कि चलो भाई, अच्छी नस्ल पैदा होगी, १२ महीना रहा, पर उससे एक भी भैंस ग्याभिन नहीं हुई, १८०० रुपये का पाडा, एक भी भैंस ग्याभिन नहीं हुई। पशु विभाग का डॉक्टर वहां मौजूद, डॉक्टर रोजाना उस पाडे की सेवा करे, पर वह पाडा आज बीमार होता है और कल मर जाता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब को, आपकी पशुओं के लिये चिकित्सा है, उसको क्यों नहीं काम में लेते हो तो वह कहने लगे एम. एल. ए. साहब हमारे पास कोई दवाई नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह पाडा मरा नहीं साहब, शहीद हो गया; उसका स्मारक बनाया जाय।

श्री हीराभाई : डॉक्टर साहब ने कहा इसको गले की बीमारी हो गई है, इसका इलाज हमारे पास कोई नहीं हमारे पास कोई दवाई नहीं; हम तो पशुओं में चेचक की बीमारी हो तो चेचक का टीका लगा कर रोक सकते हैं। पशु विभाग का डॉक्टर यह कहता है। १८०० का पाडा मर जाता है। हमारे यहां लाखों मवेशी दो साल पहले मर गये, हम चिल्लाते रहे, डॉक्टर वहीं बैठा रहा और इसके सामने दस-दस, बीस-बीस मवेशी मरते रहे, डॉक्टर को कहा तो वह कहता है कि चेचक की रोकथाम के लिये हमारे पास दवाई है, टीका लगा देते हैं,

(श्री हीराभाई)

और कोई दवाई हमारे पास नहीं है। पशुओं में कई बीमारियां हैं, फेफड़े में खराबी हो जाती है. गलबन्ध की बीमारी हैं, पैर सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है और मर जाता है; इन बीमारियों की दवाई आपके पास नहीं, फिर बिना मतलब क्यों इस विभाग पर खर्च करते हैं, विभाग रखते हैं तो अच्छा डॉक्टर रखो। पर आपने तो यह किया है कि कहां कहां हमारे रिश्तेदारों को नौकरी पर लगा दिया जाय, इस नीयत से आपने अपने इस विभाग का कार्य किया है।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप बोल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाडा खत्म हो गया, आपका भाषण समाप्त नहीं हुआ ?

श्री हीराभाई : अभी तो मेरे पास कहने को बहुत है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ क्या किया जा रहा है। किसानों के पास जमीनों का अभाव है। एक फेमिली में भाई भतीजे साथ साथ नहीं रह सकते, सरकारी जमीन में या अपने खेत में वे लोग मकान बना लेते है, गवर्नमेंट ने कानून निकाला था कि खेतों में किसान मकान बनाये तो कोई एतराज नहीं, वह बना सकते हैं, पर आज आप जानकारी ले लें कम से कम लाखों किसानों के खिलाफ तहसीलों में, पंचायतों में केस चल रहे हैं और किसान मारे मारे पेशियों पर फिर रहे हैं।

इसी तरह नवतोड़ जमीन के बारे में कह सकते हैं आप कि इतने लाख एकड़ जमीनें दे दीं पर आप यह नहीं कह सकते कि हमारे यहां इतनी जनसंख्या बढ़ गई है। कई जगह पैदावार ठीक नहीं होती है, जिन जंगलों में अच्छी जमीन है, ज्यादा पैदावार हो सकती है, वहां किसानों को खेती के लिये जमीनें दी जानी चाहिये। आज अगर किसी किसान के पास जमीन नहीं है और पेट की पुकार सुन कर, भूख मिटाने के लिये जबरदस्ती खेती कर लेता है तो आप उस पर २० गुना तक जुर्माना करते हो और सजा करते हो।

एक दूसरी बात यह है कि....

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोलने दीजिये।

श्री हीराभाई : अभी मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री हीराभाई : चरागाह में जितने जंगल थे, जंगली एरिया था, जहां पशु चरते थे, खेतों के अलावा जितनी जमीन थी पड़त उसमें पेड़ थे या नहीं, तमाम में जंगलात वालों ने पत्थर गाड़ दिये और तार लगा दिये। वन में मवेशी के पीछे एक बीघा

(श्री हीराभाई)

जमीन छोड़ने को कहा था पर कोई जमीन नहीं छोड़ी है। मंत्री महोदय चराई की लिस्ट बता दें तो मैं आभारी रहूंगा, पर आप नहीं बता सकते। तहसीलवाले चरागाह की जमीन बताते हैं और जंगलात वाले उसी पर तार लगा कर, पत्थर गाड़ कर बैठे हैं और कोई इन्तज़ाम पशुओं की चराई का नहीं है।

मैं समझता हूं कि आप जमीनों का बंटवारा कीजिये, जो खेत खोद नहीं करता उसको जमीन नहीं दें, केवल खेती करने वालों को ही जमीनें दें। जंगलात में हों या कहीं हों, जितनी जमीनें खेती करने के लायक हैं वे जमीनें खेती करने वालों को दे दें। यही मेरा निवेदन है।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव कृषि की मांगों पर और पशुपालन की मांग पर, दोनों ही पर हैं; पर मैं खास तौर से पशुपालन पर कहना पसंद करूंगा। इनकी रिपोर्ट में बताया गया है राजस्थान में बहुत बढ़िया पशुधन है और उसकी तादाद काफी है। इन आंकड़ों के माफिक ३३५ लाख मवेशी राजस्थान में है, १३१ लाख गायें, ७३ लाख भेड़ें, करीब ८० लाख बकरियां हैं, गधे, घोड़े दूसरे भी मवेशी हैं। जहां तक गायों का सम्बन्ध है, इस विभाग का प्रबन्ध है वह काफी संतोषजनक है। योजनाओं में इनके लिए फार्म्स भी खोले हैं, दूसरी योजनाएं भी है, उसके बारे में मैं ज्यादा निवेदन नहीं करूंगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकारी आंकड़ों के माफिक ४० लाख भैंसें हमारे राज्य में बताई गई हैं। हमारे इलाके में जो परिस्थिति चल रही है इस प्रकार की है कि उस इलाके में धीरे धीरे नहरों का जाल बिछाया जा रहा है। जो लोग मवेशी पालते हैं, जिनका धंधा ही मवेशी-पालन है उन्हें इन इलाकों से हटाया जा रहा है क्योंकि उस धरती पर किसान उनको नहीं पाल सकता। बारानी जमीन पर सिर्फ ४ महीने खेती हुआ करती थी। किसान जिस जमीन पर काश्त कर लिया करते थे, फसल काटने पर उस जमीन पर पशुओं को चरा लिया करते थे, वह जमीन उन्हें अपने पशुओं को चराने के लिये उपलब्ध हो जाती थी।

लेकिन अब नहर के आ जाने से कोटा के अन्दर अधिकतर क्षेत्र नहरी क्षेत्र में आ गया है, चम्बल के क्षेत्र में आ गया है, कालीसिंध से नहर आने वाली है तो धीरे धीरे बहुत बड़ा इलाका सिंचित हो जायगा और उसकी वजह से बारह महीने-फसल खड़ी रहेंगी। फलस्वरूप वहां पर स्टाल फीडिंग उस क्षेत्र में हो सकेगा। वहां के जो काश्तकार है उनके पास जो दूध देने वाले मवेशी हैं वह मवेशी अभी तक खेतों में चर लेते थे। लेकिन अब खेती के काम में आने वाले पशु ही वह रख लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो कैटल

(श्री जुझारसिंह)

इकोनोमी उस क्षेत्र में डेवलप होने वाली है उसमें भैंस का महत्वपूर्ण स्थान है। आज जो भैंसें मिलती हैं उनके नीचे अच्छा दूध नहीं होता है। इसलिए इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस तरफ ध्यान दें ताकि काश्तकारों के पास जो मवेशी है, गाय-भैंस कमजोर नस्ल की हैं, उनका अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट हो। उस डिस्ट्रिक्ट में जो कैटल हैं, उनमें से काफी भार खींचने के काम में आते हैं। बाकी के जितने मवेशी हैं उनके नीचे दूध बढ़ाने की गुंजाइश है, इसलिये जो कैटल इकोनोमी है उस क्षेत्र में वह डेवलप होने वाली है। इससे एक ओर काश्तकार खेती करेगा और दूसरी ओर दूसरे मवेशियों का डेवलपमेंट करके उनके लिए दूध का जरिया भी उपलब्ध करना है। इसलिए जो स्टाल फीडिंग करना चाहते हैं उसमें इस कैटल इकोनोमी का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): The House is short of quorum.

श्री जुझारसिंह: जो एनीमल हसबेन्ड्री का प्रोग्राम है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: There is no quorm in the House.

श्री जुझारसिंह: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एनीमल हसबेन्ड्री का जो प्रोग्राम है उसमें अच्छी नस्ल की भैंस बांटने का प्रोग्राम नहीं है। इसके साथ ही जो बुलस बांटे जाते हैं उसमें हमें यह देखना होगा कि ऐसे पेडिग्री बुल्स हों जो टैस्टेड हों....

श्री उपाध्यक्ष: कोरम होने दीजिये।

(गणपूर्ति के पश्चात्)

प्रारम्भ करिये।

श्री जुझारसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार की तरफ से योजना बननी चाहिये जिससे पेडिग्री बफेलो, बुल्स उस एरिया के अच्छी किस्म किस्म के हैं, के डिस्ट्रिब्यूट किये जा सकते हैं। परन्तु पेडिग्री बुल्स बांटने में यह ध्यान रखना चाहिये कि जिन पेडिग्री बुल्स के लिये यह साबित होता हो कि उनके पेरेन्ट्स के नीचे काफी दूध रहा है, उनको ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाय तो उस एरिया में बहुत सा फायदा हो सकता है।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि जिस तरह से हमारे गांव मैकेनाइज्ड हो रहे हैं, तो आगे के जमाने में यह जरूरी होगा कि छोटे छोटे ट्रेक्टर्स उस एरिया में होंगे। लेकिन आज नहीं हैं, तो पांच-दस वर्ष के अन्दर वे इन्ट्रोड्यूस होंगे। उस वक्त इस डिस्ट्रिक्ट में जो बैलों की इकोनोमी है वह धीरे धीरे आउट ऑफ प्लेस हो जायगी। इसलिए जो अच्छे भैंसे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके अच्छे भैंसों को बढ़ावा देना जरूरी है।

इसी तरह से एनीमल हस्बेन्ड्री के प्रोग्राम के अन्दर घोड़ों की ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(श्री जुझारसिंह)

राजस्थान में करीब, जैसा कि इन आंकड़ों में बताया गया है, ६८७८३ घोड़े हैं। यह सही नम्बर हो सकता है या थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। लेकिन पचास प्रतिशत अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। आज जो देश के अन्दर डिफेन्स इकोनोमी चल रही है, उसके अन्दर डिफेन्स डिपार्टमेंट दूसरी जगहों से घोड़े इम्पोर्ट कर रहा है, कई लाख के घोड़े हिमालय की लड़ाई के लिये और दूसरी जगहों के लिए इम्पोर्ट किये जा रहे हैं। इसलिए हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिये, और एनीमल हस्बेन्ड्री अपने प्रोग्राम में इसकी ब्रीड को इम्प्रूव करने की ओर ध्यान दे और मल्टीप्लीकेशन के द्वारा घोड़ों की ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास किया जा सकता है, वह करे।

यह तो मैंने निवेदन करा घोड़ों के लिए। बाकी गाय, भैंस और दूसरे पशु हैं उनके बारे में सरकार और सरकारी विभाग एनीमल हस्बेन्ड्री है, वह काफी जागरूक है इसलिये उनके बारे में निवेदन नहीं करूंगा।

दूसरा निवेदन है वह पॉल्ट्री फार्म के बारे में है। पॉल्ट्री फार्म के बारे में अभी तक सरकार द्वारा अजमेर, जयपुर में पॉल्ट्री मल्टीप्लिकेशन फार्म खोले गये हैं। मैं इसके सम्बन्ध में जरा निवेदन करता हूं कि पेसीकोर के लोग अमेरिका से आये हुए हैं, उसके आने के बाद में प्राइवेट ब्रीडर्स हैं, उनको पॉल्ट्री फार्म चलाने में उनकी पर्सनल केअर और पर्सनल अटेन्शन की वजह से काफी प्रोत्साहन मिला है। उसके मुकाबले में जो डिपार्टमेंट के फार्म हैं, उनमें बहुत कमी है और पर्सनल केअर और अटेन्शन की बिल्कुल कमी है। इन पॉल्ट्री ब्रीडिंग फॉर्म से जो चूजे और बच्चे दिये जाते हैं वे अच्छे नहीं होते हैं और वे कई तरह की डिर्जीजेज के शिकार होते हैं जो पाल्ट्री फॉर्म से बच्चे लाये हैं, उनका अनुभव है कि उनको लाने के बाद वे खत्म हो गये हैं। इस तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जो पेसीकोर के आदमी आये हैं, वे लोग इन्डिविजुअली फॉर्म पर जाकर वेक्सीनेट करते हैं और कोई बीमारी होती है तो उसको दूर करते हैं। वे पर्सनल केअर करते हैं और अटेन्शन देते हैं। इसका नतीजा यह है कि जयपुर, कोटा और अजमेर के अलावा भी बहुत सी दूसरी जगहों पर ज्यादा फार्म शुरू हुए हैं और इस प्रकार जो प्राइवेट फार्म्स चालू हुए हैं वे सक्सेसफुल्ली चल रहे हैं। उसके मुकाबले में जो सरकार की तरफ से चल रहे हैं, उनकी हालत वाकई संतोषजनक नहीं है और क्रेडिट देने लायक स्थिति में नहीं हैं। इन दोनों के कम्पेरीजन से मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जिस तरह पर्सनल अटेन्शन और केअर पॉल्ट्री ब्रीडिंग के लिए दी जानी चाहिये, उसमें कमी है। इसके लिए उचित यह होगा कि हम इस तरह के आदमी तैयार करें और प्रोग्राम ऐसे लें आइटम वाइज जिससे हर तरफ ध्यान दिया जा सके। अभी जो गवर्नमेंट के, एनीमल हस्बेन्ड्री के फॉर्म हैं, वह स्पेश्येलाइज्ड फॉर्म नहीं है। वहां एक डॉक्टर होता है वही सभी बातों को देखता है। इसलिए स्पेश्येलाइज्ड फॉर्म होना चाहिये और पॉल्ट्री ब्रिडिंग के सब सेक्शन्स पर ध्यान देना चाहिये। और कर्मचारी पर्सनल केअर लें इसका ध्यान रखना चाहिए। जो दो-चार ऑफिसर रखे जायें वे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अन्दर एक्सपीरियेन्सड हों और अलग अलग विषयों में वे

(श्री जुझारसिंह)

स्पेश्येलाइज्ड हों। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह कैटल ब्रीडिंग और पॉल्ट्री ब्रीडिंग फार्म है इनके लिये स्पेशल एरिया के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देकर स्पेशल आदमी रखें जायं जो पर्सनल केअर दे सकें और अच्छी तरह पर्सनल अटेंशन देकर इस ओर ध्यान दे सकें।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं मत्स्य के बारे में निवेदन करूंगा। इसके लिए बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहां पर है और हमारे यहां पर नदी-नाले हैं, जहां पर मछलियां बहुत पैदा होती हैं। फिशरी में बहुत बड़ा स्कोप है। आज तक आपने इसके लिए जो कुछ किया है वह नदी और नालों व तालाबों का ठेका दे दिया जाता है और किसी तरह से छोटी-मोटी इन्डस्ट्री फिशरी की है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इसको साइन्टिफिक बेसिस पर किया जाए तो ज्यादा लाभ हो सकता है। फिश-रीज़ के अलावा हमारे यहां मगर भी बहुत हैं। इनको पकड़ कर रखा जा सकता है और क्रोकोडाइल कल्चर भी हो सकता है। इसका मार्केट भी हमारे यहां पर गवर्नमेंट को मिल सकता है, क्योंकि इसकी भी बहुत बड़ी इन्डस्ट्री बन सकती है। यदि इसके लिए एक्सपेरीमेंट किया जावे तो यह सक्सेसफुल हो सकता है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और आर्टीफि-शियल तरीके से उनके बच्चों का पालन भी किया जाता जा सकता है। नेचुरल वे में उनके अन्डे ७५ परसेंट से ६० परसेन्ट तक मर जाया करते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

इसके बाद मैं पॉल्ट्री फीड के बारे में कहूंगा और इतना कहूंगा कि इसके लिए कोई प्राइवेट तौर पर चलाया जाना चाहिये क्योंकि सरकार की तरफ से यह बहुत एक्सपेन्सिव पड़ता है। इसलिये सर-कार की तरफ से नहीं चलाया जावे, इसलिये इस दिशा में भी ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है।

अब मैं अपनी कॉन्स्टीट्यून्सी की बात करूं कि हमारे यहां पर पशुधन बहुत है और सरकार पशु चिकित्सालय ३६ नये खोलने वाली है और १२ को अपग्रेड करने वाली है। हमारे चेचट क्षेत्र में पशुधन बहुत ज्यादा है और वहां पर उन पशुओं के लिये किसी प्रकार की चिकित्सा का साधन नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी वहां पर पशु-चिकित्सा के लिए मांग हमारी है उस मांग को पूरा किया जावे और वहां पर पशु-चिकित्सालय का प्रबन्ध किया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : stop please.

श्री जुझारसिंह : एक और बात कहनी है और वह यह कि हमारे यहां पर कोटा और झालावाड़ में कमजोर नस्ल के मवेशी हैं।। इसलिए उस क्षेत्र में खास तौर से मवेशियों की नस्ल सुधार का काम होना चाहिये। आपने कॉन्स्टीरेशन का प्रबन्ध किया है और आपने २० हजार स्ट्रे बुल्स

(श्री जुझारसिंह)

का केस्ट्रेशन किया है। वहां तीन करोड़ की आबादी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हाडा (रायसिंह-नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुधन इन पर आज वाद-विवाद है। हमारे राजस्थान की आमदनी का ४८ परसेन्ट केवल इन दो विभागों से प्राप्त होता है, इसलिये राजस्थान के विकास की दृष्टि से यह विभाग पैसा देने वाला विभाग है और हमारे एक्सचेकर पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिये हमें इस दृष्टि से भी इस पर विचार करना होगा।

सारे भारतवर्ष में, मध्यप्रदेश को छोड़ कर, सबसे अधिक पशुधन यानी देश का १० परसेन्ट हमारे केवल राजस्थान में है। कृषि के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि पिछड़े हुए देशों में इसकी आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिये कृषि की आवश्यकता होती है। वैसे तो देश की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति में इन्डस्ट्री का बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन पिछड़े हुए देशों में कृषि को नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता और इसका महत्व रहता है और काफी समय तक रहा है। आज राष्ट्रीय पूंजीपति जिनको कच्चे माल की आवश्यकता है दिलचस्पी कृषि सुधार में ले रहे हैं। किसानों की लूट का जो तरीका था वह परम्परागत है और वे चाहते हैं कि उनको कच्चा माल मिल सके और किसान देश में ज्यादा माल पैदा कर सके। इसलिये धन जो पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, वे चाहते हैं कि वह उनके पास जाए और कृषि का विकास हो। लेकिन हमारी यह राष्ट्रीय पूंजीपतियों की सरकार जो समाजवाद का नारा देती है और जिस पर मोनोपोलिस्टों की नीतियों का भी असर है, वे यहां पर एक रोल प्लेकर रहे हैं और पूंजीपतियों के साथ हमारी सरकार समझौता करके चलती है। वही सरकार आज कृषि के मामलों में असफल रही है और विशेष कर राजस्थान की सरकार। हमने किसी भी दिशा में हमारा टार्गेट रखा, चाहे वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हो, चाहे दूसरी योजना में हो, चाहे वे इम्प्रूव्ड सीड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हों, चाहे और किसी संबन्ध में हों, चाहे कॉमर्शियल क्रोप के संबन्ध में हो, चाहे केश क्रोप या अन्य पैदावार के सम्बन्ध में हो, हम इस सम्बन्ध में असफल रहे हैं और मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है और किसी भी टार्गेट को एचीव नहीं कर पाये हैं और हम इस बात की डींग हांकते हैं कि हमने सिंचाई के क्षेत्र में इतना बढ़ाया।

राजस्थान, जिसमें ६ लाख एकड़ की सिंचाई होती थी वहां १.७५ मिलियन एकड़ हो गई। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आया आपने पैदावार और फसलें भी बढ़ाई हैं। आपने आय-व्ययक अध्ययन की जो पुस्तिका दी है उसमें से मैं आपको कोटेशन पढ़ कर सुनाता हूं जिसमें आपने इस बात को स्वीकार किया है कि पर-कं पिटा इनकम की कमी को पूरा करने के लिए हमारी कृषि ही मुख्य चीज रही है। आपने कहा है :

"द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थिर कीमतों पर राज्य आय की कुल वृद्धि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

१४.६१ प्रतिशत अर्थात् २.६२ प्रतिशत प्रति वर्ष रही। परन्तु स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय मुख्यत: कृषिय उत्पादन में कमी के कारण १९६२-६३ की तुलना में १९६३-६४ में २.०५ प्रतिशत घट गई"

मुख्य रूप से कृषि के उत्पादन को इस बात के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है कि हमारी आमदनी इस कारण से घट गई। अध्यक्ष महोदय, पिछली तीन योजनाओं में हमने हमारे यहां एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये ज्यादा से ज्यादा परसेन्टेज अलॉट किया और रिवाइविंग ऑर्डर में भी अधिक फन्ड अलॉट किये जाने चाहिये, थे मगर आप देखेंगे कि जहां ५२.४७ करोड़, ३.२४ करोड़ अलॉट किया मगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये हमने २.७१ परसेन्ट धन अलॉट किया। दूसरे जहां ११२.१० लाख था, कुल का १०.६७ परसेन्ट वहां पर हमने २.५१ परसेन्ट कर दिया। इसी प्रकार तीसरी पंच वर्षीय योजना में जहां हमने ६.७५ परसेन्ट अलॉट किया था वहां पर एमर्जेन्सी के कारण जब कमी की गई तो कम अलॉट किया गया। और उस समय, मैं यह आपको निवेदन करना चाहता हूं कि, यदि कमी करने के संबन्ध में सबसे ज्यादा निर्दयता दिखाई गई और हृदय पर चाकू चलाया गया तो एग्रीकल्चर विभाग पर चलाया गया। मैं यह कहूंगा कि आपको इस प्रकार से कट नहीं करनी चाहिये थी। यह ठीक है, संकटकालीन स्थिति, जैसा आप कहते हैं, आपने उसको बढ़ा—चढ़ा कर सामने रखा है और इस बहाने आपने आधा धन काट कर कोर में डाल दिया।

(गणपूरक घण्टी)

मैं यह कहूंगा कि जो धन-राशि मिलती थी उसका भी आपने आधा कर दिया। जो ४.७० करोड़ दिया उसको भी आपने १.६ करोड़ या दो करोड़ के करीब कट कर दिया और कोर में पटक दिया है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एनीमल हस्बेन्डरी में भी आपने कट की है, वह भी इसी अनुपात में आती है।

इसलिये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारा प्रोडक्शन घटा है, उपाध्यक्ष महोदय, घटा है और लगातार घटता ही जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े घटते हुए के आपके सामने रखूंगा कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पहले क्या रहा है और अब क्या है। सन् ५६–६० में ५४.८० था वह घट कर ६३-६४ में ३६.१ रह गया और इस वर्ष तो इन आंकड़ों में बहुत ही ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ।

इन सब अनाजों की प्रोडक्शन में बड़ा ड्रास्टिक रिडक्शन आया है। मक्का के अन्दर सबसे ड्रास्टिक रिडक्शन आया है; मक्का का प्रोडक्शन १४.८ घट गया है। जौ २०.७२ घट गया है, गेहूं का प्रोडक्शन ०.८३ घटा है। दालों का प्रोडक्शन २६.०२ घटा है। इस तरह से इनमें रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा जो व्यापारिक फसलें थीं उनमें भी रिडक्शन हुआ है। तिलहन में ४८.६३ रिडक्शन हुआ है, गन्ने का प्रोडक्शन २२.३६ घटा है, आलू का प्रोडक्शन ३२.६७ घटा है, अदरक का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

प्रोडक्शन ३१.७१ घटा है । इनके अलावा मिर्ची और तमाखू के प्रोडक्शन में उत्पादन जरूर बढ़ा है । कपास और दाल एक ही फसल की है, मिर्ची और दाल एक ही साथ की साख एक है, एक ही टाइम की फसल है, लेकिन मिर्ची के प्रोडक्शन में बढ़ोत्तरी और दालों के उत्पादन में घटोत्तरी हुई है । मक्का के प्रोडक्शन में घटोत्तरी, ज्वार के प्रोडक्शन में घटोत्तरी, इसका कुल एम्पेक्ट आपकी नीति पर आधारित है ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : कपास और मिर्ची, ये दोनों तो सिंचित हैं, दूसरे सब अनइरिगेटेड हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सब इरिगेटेड है । मक्का इरिगेटेड है, गन्ना सबसे ज्यादा पानी मांगता है । गंगानगर कैनाल एरिया का आपको तजुर्बा नहीं, गन्ने और दाल को साथ बीजने का वहां आम रिवाज है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : दालें बहुत ज्यादा तादाद में अनइरिगेटेड एरिया में बोई जाती हैं, वह बहुत बड़ा रकबा है । दालों का जहां ५ परसेंट इरिगेटेड रकबा है उसके मुकाबले में ६५ परसेंट रकबा अनइरिगेटेड है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कृषि मंत्रीजी कैनाल माइन्डेड नहीं हुए हैं, उन्होंने कैनाल के पैटर्न्स को नहीं अपनाया है । वे तो कपास में दाल की बिजाई नहीं करते, पर जहां नहरों से सिंचाई होती है वहां कपास के साथ दालों को बीजते हैं, जो लोंग स्टेपल्ड कपास है उसमें नहीं बीजते पर जो शोर्ट स्टेपल्ड कपास है उसके साथ में दालों की बिजाई करते हैं । लोंग स्टेपल्ड कॉटन है वहां नहीं पर शोर्ट स्टेपल्ड कॉटन में दाल की बिजाई करते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने मिश्रित क्रॉप का रखा है, मैं यह निवेदन करूं कि मिश्रित क्रॉप के रूप में जो दालें बोई जाती हैं, उनकी बहुत ऊंची औसत नहीं होगी । ६५ परसेंट एरिया में बल्कि I should say ६८ परसेंट अनइरिगेटेड एरिया में ज्वार, बाजरा के साथ दालें बोई जाती हैं । बरसात कम होगी तो नेचुरली उनकी औसत बहुत कम होगी । हमारे यहां राजस्थान में अक्सर बारिश कम होती है, कभी अच्छी बारिश होती है, कभी कम होती है तो इसका असर नेचुरली इनके प्रोडक्शन पर पड़ेगा, यह तो किसी के हाथ की बात नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय कृषि मन्त्रीजी की दलील से मैं सहमत नहीं हूं । वे मुझे इस दलील की तरफ ले जा रहे हैं कि राजस्थान में अकाल पड़ गया । मेरे पास आंकड़े हैं, यह सारा इम्पेक्ट रिडक्शन का अकाल पर नहीं डाला जा सकता, इसके लिये आपका विभाग जिम्मेदार है ।

शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया, जहां शुगर का प्रोडक्शन गुजरे सालों में १३.६, फिर दूसरे साल ७.२, उसके बाद फिर थोड़ा बढ़ता है, १२.३ हो जाता है, उसके बाद

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

१५.५ हो जाता है, फिर घट कर १३.७ पोइन्ट हो जाता है और आखिर में ६३–६४ में वह प्रोडक्शन घट कर ६.६ हो गया।

फर्टीलाइजर्स के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं। हमने १ लाख टन नाइट्रोजिनस फर्टीलाइजर्स देने का निश्चय किया, ३४.५ हजार टन फॉस्फेट फर्टीलाइजर्स देने का निश्चय किया। ६५ हजार टन की पब्लिक डिमाण्ड थी, पर आप इस टार्गेट को एचीव नहीं कर सके। इसके लिये सरकार की तरफ से दलील दी जाती है कि नाइट्रोजिनस का प्रोडक्शन कन्ट्री में है नहीं, इसके लिये यह बहुत बड़ी दलील है पर एक तरफ हमारे राज्य के अन्दर बाकायदा खनिज सलाहकार बोर्ड में मन्त्री महोदय इस बात की घोषणा करें कि हमारे अध्ययन दल ने तय कर लिया है कि तीन जगह पर इसके कारखाने लग सकते हैं, राजसमंद में लगा सकते हैं। ४ जुलाई, ६१ में घोषणा की है कि हनुमानगढ़ में खाद का कारखाना खोल रहे हैं, पांच साल पूर्व घोषणा की गई वह बेडमिन्टन की शट्ल कॉक बन कर रह गया। उसे आज राजसमंद, कभी कोटा लाने की बातें करते हैं, कहते हैं कि हमने जालान को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने की बात कही, वह और सहूलियतें मांग रहा है।

यह एक उसूल की बात है कि राजस्थान में जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सिंचित एरिया है, उस डिस्ट्रिक्ट में खाद का कारखाना खोला जाना चाहिये, आर्थिक दलील के पहलू से उस डिस्ट्रिक्ट में खाद का कारखाना खोलना इकोनोमिक पड़ता है, पर आर्थिक दलील को लेकर उसे हटा दिया जाता है तो हमारे पास यही दलील रह जाती है कि हमें भारत सरकार से हमारी मांग के अनुसार खाद प्राप्त नहीं हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राप्त हुआ उसका भी वितरण उचित रूप से नहीं हो सका। फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स की जगह नमक डालना शुरू कर दिया। इसे बहुत उचित और लाभदायक समझा गया। वह कौनसा ब्रेन था, कौनसा स्पेशलिस्ट था, जिसने इस डिवाइस को सोचा। गंगानगर में, नाइट्रोजिनस और फॉस्फेट्स की जगह १०८२ बोरियां नमक पड़े हुए खाद की गंगानगर के वेअरहाउस में पड़ी हुई पाई गई। २५ सितम्बर, १९६२ को वहां के कलेक्टर, गौरीशंकर, डी. एस. पी. टंडन को साथ लेकर पहुंचे वेअरहाउस पर और देखा कि हजार बोरियों में नमक मिलाया जा चुका है। एक महीने तक ए. एस. पी. कानून देखते रहे कि जिससे वेअरहाउस को सील किया जा सकता है, वहां के कलेक्टर साहब कानून देखते रहे कि किस कानून के तहत इसे सील किया जा सकता है। कोई कानून उन्हें नजर नहीं आया। बार एसोसियेशन का एक आदमी गया और उसने कहा कि यह तो सीधा सा साफ ४२० का मामला है।

यह ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को सस्पेन्ड कर दिया, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एन्क्वॉयरी चल रही है। लेकिन वह ए० एस० पी० और एस० डी० एम० एक महीने तक लगातार खेतों के अन्दर जाते रहे। आप उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं, जिन खेतों में नमक पहुंच

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गया, यह कृषि विभाग के विशेषज्ञ जानते हैं कि वहां की क्या दशा हुई होगी ! इतना ही नहीं कृषि विभाग की तरफ से एक नोटिस निकाला गया

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जिला गंगानगर का ८ पाउण्ड बी० एस० सी०, ३० पाउण्ड व्हीट सीड और ग्राम सीड खेतों में डाल दीजिए । मुझे आश्चर्य हुआ यह कोई तरीका नहीं है । एक सीड का डाइरेक्ट ट्रीटमेंट बी० एस० सी० से किया जाय, जगह जगह कृषि विभाग के बोर्ड लगे कि इतना फॉस्फेट डालिए, इतना नाइट्रोजन डालिए । मैं धन्यवाद देता हूं । हर फसल शुरू होने के बाद उनका कागज बाकायदा पहुंच जाता है लेकिन जिला कृषि अधिकारी का नोटिस जब मैंने पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया । मैं गांवों में पहुंचा । कृषि विभाग के मन्त्री महोदय बैठे हैं । मैं इनसे कहता हूं कि वह जांच कर लें । २० हजार एकड़ के अन्दर गंगा-नगर जिले में गेहूं का बीज नहीं उगा, चने का बीज नहीं उगा; लोगों ने ८० रु० प्रति क्विंटल पंचायत समितियों से लेकर डाला । उत्पादन नहीं हुआ लोगों को दुबारा बुआई करनी पड़ी । बी. एस. सी. का डाइ-रेक्ट ट्रीटमेंट करवाया । आप ट्रीट भी करना चाहें तो उसको ईरिगेट करने के बाद, रीकल्टीवेट करने के बाद जर्मीनेशन करना पड़ेगा, डाइरेक्ट इम्पेक्ट सीड को नुकसान पहुंचता है । यह एक एस्टेब्लिशड साइंटिफिक फैक्ट है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

कृषि मन्त्री यह कहेंगे कि हमने यह किया, वह किया । मैं उनकी सारी दलीलों को मानता हूं जिनकी वजह से उत्पादन कम हुआ, लेकिन एक बात की जानकारी चाहता हूं कि पहली योजना से आज तीसरी योजना पर हम आ गए और चौथी योजना के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, आपका प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा ? प्रति एकड़ उत्पादन घटा और उस सम्बन्ध में जो मेरे पास पुस्तक है वह कृषि मन्त्री को भेट करता हूं ।

अन्त में बहुत समय न लेते हुए एक अर्ज करूंगा कि कृषि के सम्बन्ध में हमारी दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है, बहुत हानिकारक तरीका है । आज हमारे देश का सबसे बड़ा फॉर्म सूरतगढ़ है, वह १२-१३ लाख के घाटे में है, गंगानगर और दूसरी जगहों के एग्री-कल्चरल फॉर्म्स घाटे के अन्दर हैं । आप किस एग्रीकल्चरल फॉर्म पर चले जाइए, चाहे वह गंगानगर में हो, चाहे उदयपुर में हो, रायसिंहनगर में हो, पास में किसान की खड़ी हुई फसल को भी देखिए....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह असत्य है कि सब फॉर्म्स घाटे में हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सब फॉर्म्स पर चले जाइए, गंगानगर में देख लीजिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : गंगानगर का फॉर्म कई वर्षों से मुनाफे में चल रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुनाफे पें ही चलाना पर्याप्त नहीं है । नहरी क्षेत्र में सारे काश्तकार पांच हजार एक मुरब्बे में से पैदा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करते हैं । प्रश्न यह है कि आप क्या पैदा करते हैं और आपके पड़ोसी की फसल लाइनपुरा फॉर्म या करनीसिंह की फॉर्म, वह आपसे अच्छी है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन दोनों फॉर्म्स के उद्देश्य अलग हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप कहेंगे कि हम एक्सपेरीमेंट्स करते हैं । मैंने भी गंभीरता से इस दलील को सोचा है । मैं एक्सपेरीमेंटल ब्लॉक्स की बात नहीं करता, मैं टैस्टेड की बात करता हूं । आपके फॉर्म्स् सेंट परसेंट एक्सपेरीमेंट्स नहीं करते, आपको फॉर्म का ५० परसेंट पोर्शन उत्पादन भी करता है । मैं उस पोर्शन की बात करता हूं जिसमें उत्पादन होता है । संसार का सबसे बड़ा फॉर्म सूरतगढ़ जहां १२-१३ लाख की मशीनरी लगी हुई है वह घाटे में है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह भी गलत है । इसकी इकोनोमी भी आपको पिछले दो सालों से मालूम नहीं है । यह मुनाफे में है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बैलेंस शीट आ चुकी है, प्रेस स्टेटमेंट को रिफ्यूट नहीं किया । मैं इन फॉर्म्स के विरोध में नहीं हूं । मैं चाहता हूं कि किसानों का शेयर इन फॉर्म्स में रखिए लेकिन इसके साथ उत्पादन करिए । आप समाजवाद और सहकारिता को बदनाम न करें जिससे कि लोगों को उनके नाम से एलर्जी हो और आने वाले युगों के अन्दर समाजवाद और सहकारिता के प्रति घृणा पैदा न हो ।

श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्पादन के सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन करता हूं । सबसे पहले थोड़ा सा अखबार वालों के लिये निवेदन करूं कि इनकी बड़ी मेहरबानी है जो छोटे वर्कर्स बोलते हैं विधान सभा में, उनके लिए पब्लीसिटी बहुत जोरों की करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अखबार वालों की बात न करें ।

श्री गंगासिंह परिहार : हमारी राजस्थान सरकार ने वास्तव में उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए हैं, वे बहुत अच्छे और माकूल हैं । यह कहना पड़ेगा कि जगह जगह बांध और नहरें डाल कर उत्पादन बढ़ाया । उनमें जो कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, वे श्रीमान् के सामने रखना चाहता हूं । कोटा डिवीजन में चम्बल की नहर है ।

वहां गुढ़ा बांध, घोटरा बांध और कई बांध ऐसे हैं, छोटे छोटे बांध और बड़े बड़े बांध, उन बांधों से काफी उत्पादन बढ़ा है । गन्ने की अधिक फसलें हुई हैं और अन्न का भी अधिक उत्पादन बढ़ा है । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे सामने शक्कर की समस्या आने वाली है । ऐसे क्षेत्रों में अधिकतर दो-चार शुगर फैक्ट्रीज़ अगर लगाई जायं और जो छोटी छोटी लगी हुई हैं, उनके आवागमन के साधन बन जायं तो शुगर की समस्या, जो हमारे सामने आती है, वह कभी नहीं आने वाली है । राजस्थान में अगर

(श्री गंगासिंह परिहार)

यह व्यवस्था की जाय तो गुड़ और शक्कर की समस्या आगामी ५-१० वर्ष में खत्म हो जायगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्न की समस्या के लिए मैं निवेदन करूं । खास कर उन नहरी एरिया में और पहाड़ी एरिया में आवागमन के साधन नहीं हैं इसलिये समय पर अन्न मंडियों में नहीं पहुंच पाता है । किसानों को बड़ी भारी दिक्कतें आती हैं । इस साल हमारे यहां अन्न की समस्या आयी । उधर बैठने वाले माननीय सदस्य बहुत चिल्लाते थे, वे कहते थे कि हम तो किसानों की ओर से प्रतिनिधि बन कर आये हैं, बड़े हमदर्द हैं, लेकिन वास्तव में उनको किसानों का कोई दर्द नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्न कमाने वालों को ही पता है कि किस तरीके से अन्न पैदा किया जाता है, किस तरह से अन्न पैदा किया जाता है । हमारे यहां अन्न की कमी क्यों हुई, इसके लिए भी उन्हें सोचने और समझने की जरूरत है । मैं निवेदन करूंगा कि आम तौर से पंजाब अन्न का भंडार था । आधा एरिया तो पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान से जो लोग यहां आये अपने उस हिस्से को छोड़ कर, वह आम तौर पर व्यापारी वर्ग ही आया । अन्न खाने वाले आये, अन्न कमाने वाले नहीं आये । इस तरह से अन्न के कितने ही क्षेत्र थे वे दूसरी जगह चले जाने से हमारे देश में अन्न की कमी हुई । दूसरा कारण यह भी था कि प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया । कहीं अधिक वर्षा और कहीं हुई ही नहीं । तीसरी बात मैं यह समझता हूं कि अधिक पैदावार मनुष्यों की बढ़ती जा रही है । हमारे यहां परिवार नियोजन योजना चल रही है । मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यदि यह परिवार नियोजन योजना शहरों में ही चलायें तो ठीक है । शहरों में दर्जन के दर्जन बढ़ते जाते हैं, वे सब अन्न खाने वाले ही बढ़ते जाते हैं, अन्न कमाने वाले नहीं बढ़ते हैं । लेकिन देहातों में आपके इस परिवार नियोजन की योजना की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि देहात में मनुष्यों की पैदावार बढ़ेगी, किसान के अधिक बच्चे होंगे तो वे अधिक से अधिक अन्न ही उपजायेंगे । इसलिये आप महरबानी करके यह योजना शहरों तक ही सीमित रखिये । तो शहरों के अन्दर बढ़ती हुई मनुष्यों की पैदावार के कारण भी यह समस्या आयी है । शहरों के अन्दर बड़े बड़े प्लॉट्स पड़े हुए हैं, बाग-बगीचे लगे हुए हैं, जिनमें गधे चराने के लिए दूब लगायी जाती है । मेरी समझ में पहले यह कभी नहीं होता था । "आया था जयपुर में मिर्जा नामी ऊंट, पेड़-पेड़ सब खा गया रह गये खाली ठूंठ ।" रामनिवास बाग में बड़े बड़े फलदार वृक्ष थे उन सबको कटा कर कई इंगलिश पेड़ लगा दिये जो किसी काम में नहीं आते हैं । दूब लगा दी जो गधे चरने में काम में आती है । दूब और फुलवाद के सिवाय और कुछ नहीं । कहीं सब्जियां लगायी जातीं, कहीं फलदार पेड़ लगाये जाते तो काम तो आते । कई जगह इस प्रकार के बाग और बगीचे बेकार पड़े हुए हैं ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य-प्रशासन) : पब्लिक पार्क में भी फलदार वृक्ष होते हैं क्या ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ये तो मिर्जा इस्माइल की बुराई कर रहे हैं, आपकी नहीं।

श्री गंगासिंह परिहार : मैंने यह कहा, "जयपुर में आया था मिर्जा नामी ऊंट, पेड़-पेड़ सब खा गया, बाकी रह गये सूखे ठूंठ।" आपके लिए नहीं कहा है। आपने नहीं कटवाये, लेकिन आपकी श्रेणी के ही वे लोग थे। इनमें यदि सब्जी वगैरह लगायी जाय तो अन्न की समस्या में काफी मददगार हो सकते है।

जयपुर के आसपास सब्जियों का एरिया था। फलदार दरख्त लगे हुए थे। हमारे बूंदी एरिया में भी कई बाग इस वक्त खाली पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं। कई बार प्रार्थना की कि सरकार उनको सम्हाले। सरकार आबाद नहीं करती है तो आबाद करने वालों को नीलाम कर दे जिससे वे लोग फलदार वृक्ष वगैरह लगा कर उसको आबाद करें और उसके जरिये से अपना गुजारा भी चलाये। इससे गवर्नमेन्ट को भी आमदनी होगी और किसान को भी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ी देर।।

मैं आपके द्वारा श्रीमान् एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि पंचायतों में कैसे कैसे प्रसार अधिकारी होते हैं। आपको बताऊं कि एक प्रसार अधिकारी मिले थे। हमारी बिल्डिंग पर आये थे; बोले, कृषि प्रसार अधिकारी हूं। मैंने पूछा आप बतायें कि बीघा में बाजरा कितना बोया जाता है ? कहने लगे कि दस सेर से तो कम नहीं बोया जाता है। ऐसे प्रसार अधिकारी होते हैं ! फिर मैंने पूछा कि एक बीघा में तिल कितना बोया जाता है तो कहने लगे बीघे का पांच सेर। वास्तव में स्कूल से पढ़-लिख कर आ गये। उनको तजुर्बा नहीं है। पुरानी कहावत है :

ऊंट रबड़क (अश्रय)

किसान लोगों की यह पुरानी कहावत है। ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई तजुर्बा नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ी देर और।

श्री उपाध्यक्ष : बस अब आप कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कृषि विभाग और पशु-पालन विभाग पर दो कट मोशन्स हैं। पशु पालन विभाग के अन्दर पशुओं की जो संख्या दी गई है वह ३,००,३५ ६१४। जिसमें गायें १,३१,४० २५५ ; भैंसें ४०, १६, ६७७। इसके अलावा गधों की संख्या भी दी गई है वह है २,०६, ३२६ के करीब। इन पर हमारी सरकार बहुत बड़ा खर्चा करती चली आ रही है। सरकार की तरफ से बहुत सी कुक्कुटशालायें, प्रजनन

(श्री श्रवणलाल)

शालायें खोल रखी हैं। यह कुटुम्ब पालन केन्द्र मान कर चलना चाहिये; जिसमें भाई, भतीजा, जीजा, साला इनको रोजी का धन्धा मिल जाय। इस विभाग के अन्दर जितना गोलमाल होता है वह शायद किसी दूसरे विभाग में नहीं मिलेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आप जिम्मेदार आदमी हैं। इस तरह की बात न बोलें। किसको कुटुम्ब का पालन हो रहा है ?

श्री श्रवणलाल : वह मैं बता रहा हूं। आप सुनते जाइये, साफ ही कह रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि सांडों के लिए जो खर्च किया जाता है, वह कितना और किस रूप में किया जाता है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पूरे राजस्थान में ?

(३.० म० प०)

श्री श्रवणलाल : आपके यहां राजस्थान में ३६८ सांड हैं जिनका खर्चा ४६,६,१८१ रुपया सालाना है। आपको यह मालूम होना चाहिये सांड वैसे भी जिस इलाके में वह रहता है अपना पेट भर सकता है। सरकारी तौर पर एक सांड पर सालाना खर्चा करीब तीन हजार रुपया आता है। तो क्या यह वास्तव में सांडों पर ही खर्च होता है ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य-प्रशासन) : आप बतलाने की कृपा करेंगे: सांडों की संख्या आपने बतायी और उसके साथ ही उस पर होने वाला खर्चा भी बताया जो आपने ४६ लाख के करीब बताया वह कहां से लाये ?

श्री श्रवणलाल : ४६ हजार बताया है। मैं कहना यह चाहता हूं कि यह खर्चा जो आप कर रहे हैं वह उचित नहीं है।

कुक्कुट शालाओं को ले लीजिये। उनके आंकड़े उठा कर देखे जायं तो आपको अजीब बातें मिलेंगी। मैं आपके सामने कुक्कुट शालाओं के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पर कुल अन्डे ६३-६४ में १ लाख ४७ हजार १०७ थे और जो बेचे गये उनकी संख्या ३ लाख २५ हजार ५७६; इस तरह से यह मालूम होता है कि अन्डों में से अन्डे पैदा हो गये। इस तरह झूठे-सच्चे आंकड़े बताकर सदन को गुमराह किया जाता है। इसके अलावा इस पर जो खर्चा होता है वह भी नाजायज तौर पर किया जाता है।

मैं अपनी पंचायत समिति का उदाहरण देता हूं। हमारे यहां के पशु-पालन अधिकारी हैं वे चालीस मुर्गियों को मार कर खा गये। और वहां के रेकॉर्ड में यह दर्ज कर दिया कि मुर्गियां बीमार थीं इसलिये मर गईं। इस तरह से अधिकारियों ने यह कुक्कुट शालायें अपने खाने-पीने का साधन बना रखा है। मैंने इस विषय में प्रश्न भी उठाया था, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मुर्गियां कौन खा गया ?

श्री श्रवणलाल : पंचायत समिति हिन्डौन में जो एनिमल हस्बेन्ड्री के डॉक्टर हैं वे खा गये।

एक माननीय सदस्य : कितने दिनों खायी, कैसे खाई ; यह तो बतलाइये।

श्री श्रवणलाल : आपने जो इस प्रकार के अधिकारी जानवरों की देखभाल के लिए लगा रखे हैं वे क्या काम करते हैं ? हमारे इलाके में एक सरपंच की भैंस बीमार हो गई, उसने लिखा डॉक्टर को कि मेरी भैंस बीमार है और वह ऐसी हालत में है कि यहां नहीं ला सकता इसलिये आप चलकर इसका इलाज कर दीजिये। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे सौ रुपया दिया जाय तो मैं वहां जाकर इलाज कर सकता हूं। सरपंच खुद दुबारा आये उनके पास तब कहीं वे चलने के लिए तैयार हो गये। वे वहां गये और उस भैंस को ऐसा इन्जेक्शन लगाया जिसकी वजह से वह भैंस तुरन्त वहीं खत्म हो गई। जो आपके विभाग के डॉक्टर हैं जिनका व्यवहार इस प्रकार का हो तो उनसे जानवरों की देख-भाल करने की क्या आशा की जा सकती है ? इस समस्या के बारे में भी आपको सोचना चाहिये और इस तरह से कोई जानवर ऐसा हो जो आने की हालत में न हो उसका घर पर जाकर इलाज किया जाय, यह प्रबन्ध होना चाहिए।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसी तरह से हमारी योजना किसी तरह से फलीभूत नहीं हो सकती। हम अनाप-शनाप खर्च किये जा रहे हैं। चुगारे के लिए खर्चा किया

६३-६४ में ६२ हजार ६३६ रुपये

६२-६३ में ६० हजार ४२६ रुपये

खाद का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है।

६२-६३ में १०,७७४

६३-६४ में ३७,४६१

इसमें भी प्रगति हुई। इस तरह से खर्चा तो दिन-रात बढ़ता जा रहा है, पर अफसोस तो इस बात का है कि जितना खर्च होता है उतना फल नहीं मिलता। कुक्कुट शालाओं में जो खाद्य था सरकारी योजना के अनुसार, वह यों ही बर्बाद हो जाता है, इस-लिए इन कुक्कुट शालाओं की अच्छी तरह से देख-रेख होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द डागा।

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, कृषि विभाग के सम्बन्ध में मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं, उनको प्रस्तुत करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

हर देश का भविष्य, उनका उतार-चढ़ाव, उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। जहां तक इस देश की उन्नति का सवाल है जब तक यहां पर शिक्षा की प्रगति नहीं होगी वह देश आगे नहीं बढ़ता है। हमारा दिमाग जो ढाई सौ साल पहले से गुलामी से चलता आ रहा है आज उसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा यहां पर चल रही है। बाबुओं की फौज जो कॉलेज से निकल कर आती है वे

(श्री बालचन्द डागा)

किसान की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं; कोट पेंट पहिन कर वे कृषि का काम करना चाहते हैं। उनसे कृषि का काम होने वाला नहीं। किसान की तकलीफ किसान ही समझ सकता है; किसानों को आगे बढ़ाने की योजना बनी नहीं। किसान के घर में जो बालक पैदा होता है उसको अपने पेशे का ज्यादा ज्ञान होता है। किसानों के लिए हमारी सरकार करोड़ों रुपयों का बजट रखती है। मैं यह मानता हूं हमारे किसान नेता के हाथ में यह कृषि मंत्रालय है। हम तो इस बारे में कम जानते हैं, हम तो बिजनेस के मामले में ज्यादा कह सकते हैं। किसान नेता होने के कारण, किसान के घर में पैदा होने के कारण मंत्री महोदय किसान की तकलीफ को ज्यादा महसूस करते हैं। थोड़ी सी बातें और जो दिक्कतें हम किसानों के सामने देखते हैं उनके बारे में मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं।

कई तालाब पुराने स्टेट के टाइम के थे। आज वे टूट-फूट गये हैं, सरकार की निगरानी नहीं है। उनकी मोरियां बरसात में खोल देते हैं तो पानी नहीं भरता। तो इनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

दूसरा तकावी का वितरण ठीक नहीं है। जो अच्छे सम्पन्न हैं, साधन जिनके पास ऑलरेडी हैं उनको मिल जाती है, जरूरतमन्द को नहीं मिलती। पाइप की तकावी वे ले जाते हैं, ट्रेक्टर वगैरह की तकावी वे ले जाते हैं। बीज वगैरह की तकावी वे ले जाते हैं। तो उनका सही उपयोग भी नहीं होता। पंचायत समिति को इन्स्ट्रक्शन्स दे दी जानी चाहिए कि नल है, पम्पिग सैट है ट्रेक्टर वगैरह हैं, जो तकावी दी जाय उनका सही उपयोग हुआ या नहीं इसकी जांच और देखभाल रखे। मैं एश्योरेन्स कमेटी में था दो साल पहले तो कागज आये सामने उस समय ७ लाख ट्रेक्टर के लिए ५३-५४ में दिये गये थे तो न उनका ट्रेक्टर आये न पम्पिग सैट आये। तो ऐसी गलत तकाबियां खेतों की तरक्की में हमें आगे ले जाने वाली नहीं हैं।

उन्नत बीज नहीं मिलता। हमारे इलाके में चना का बीज मिला। पर वह उगा ही नहीं। आपका लम्बा-चौड़ा महकमा है। उसको आप हिदायत दें कि वह अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करके बीज भेजे।

पशु पालन है। मैं बढ़ गया था। वहां भारत सरकार का अस्पताल है। ५० हजार के घोड़े थे और २५ हजार के खच्चर थे। वहां उनका अच्छा प्रबन्ध है। उनके जो बच्चे होते हैं भारत सरकार ले लेती है। बड़ी अच्छी नस्ल वहां तैयार होती है। तो इसी तरह से राजस्थान सरकार भी नागौरी बैल अथवा हरियाना बैल की नस्ल तैयार करने का प्रबन्ध करे और हमारे किसानों को वे बैल दे तो किसानों को अच्छी नस्ल के पशु मिलेंगे और अच्छा उत्पादन होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मैं बोलूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप श्री गोविन्दसिंह हैं ?

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गोविन्दसिंह ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : पशु पालन पर, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। राजस्थान में १ करोड़ और २१ लाख की संख्या पशु धन की है ।

राजस्थान द्वारा स्वीकृत नस्ल में एक मालवी नस्ल भी शामिल है । यह झालावाड़ में पाई जाती है। खास कर पंचायत समिति पिड़ावा और डग तथा कुछ झालरापाटन के हिस्से में । सात जिलों में इस नस्ल के बैल व सांड भेजे जाते हैं; कोटा, बूंदी उदयपुर, डूंगरपुर, बासवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़ ।

नागौरी बैलों के बाद मालवी नस्ल के बैल ही उपयोगी साबित हुए हैं। इनका नम्बर उपयोगिता की दृष्टि से दूसरा है। मालवी नस्ल राजस्थान में बहुत कम जगह है । इसकी जो देख-रेख होनी चाहिये थी वह नहीं हो रही है । सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। इसके कैटल ब्रीडिंग फॉर्म के लिए कई दिनों से कहा जा रहा है । झालावाड़ जिले में डग पंचायत समिति में खोलने की बात भी है । पिछले छः, सात साल से रिपीट भी की जा रही है। अब के भी अगले साल खोलने की बात है । तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं पर जैसा किताब में लिखा है वैसे कार्य रूप में भी इसको कार्यान्वित करें तो है।

इसके बाद झालरापाटन में हर साल होने वाले मेले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मालवी नस्ल के जानवरों का वहां बड़ा मेला लगता है। वह सरकार ने नगरपालिका से लेकर अपने हाथ में ले लिया है। इससे चालीस हजार की आमदनी होती है जिससे नगरपालिका झालरापाटन का सारा काम चलता था। अब सरकार ने इसमें से एक पैसा उस नगरपालिका को नहीं दिया । यह नहीं होना चाहिये। उसको उचित हिस्सा मिलना चाहिये । इसके बिना उस नगरपालिका का सारा काम बन्द हो जावेगा। इसलिए निवेदन है कि कम से कम जितना पैसा देना चाहते हैं जल्दी देने की कोशिश करें । तीन साल की औसत ले लें तो ४४ हजार रुपये का औसत होता है। तो कम से कम जितनी आमदनी सब खर्चे निकाल कर नगरपालिका को होती आती थी उतनी रकम नगरपालिका को अवश्य देनी चाहिये। यह नहीं कि आठ-दस हजार पकड़ा दिया। अगर पैसा कम मिला तो यह नगरपालिका अपनी सफाई भी नहीं करा सकेगी।

अभी मेले में अच्छे जानवरों को इनाम देना शुरू किया है। पंचायत समिति पिड़ावा को सबसे ज्यादा इनाम मिले हैं। सबसे अच्छी नस्ल के लिए वहां आपको अच्छा प्रबन्ध करना चाहिये। वहां आज एक भी शफाखाना नहीं है, दो छोटी छोटी डिस्पेन्सरियां हैं। तो आप इसके लिये एक शफाखाना भी वहां खोलें ।

इसके साथ साथ निवेदन करूं कि जिस तरह यह इलाका मालवी नस्ल के गाय बैलों के लिए मशहूर है, वैसे ही घोड़ों

(श्री गोविन्दसिंह)

के लिए भी मशहूर इलाका है। दो ढाई हजार की कीमत का एक घोड़ा या घोड़ी होती है पर यह नस्ल धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है बीमारी के कारण और राज्य सरकार इसका प्रबन्ध नहीं कर पाई है; जिस बीमारी से पहले मरे थे वह तो अब नहीं है। फिर भी अच्छी नस्ल खत्म होती जा रही है। इसलिए निवेदन करूंगा कि उन बीमारियों की जांच-पड़ताल की जावे।

झालावाड़ में इस वक्त पानी की कमी है। आपकी जो बोरिंग मशीनें काम कर रही हैं, पहले दो काम कर रही थीं और अब आपने ३ कर दी हैं और पानी कम होने की वजह से सारे जिले में यह आवश्यक है कि अगर कुओं को नहीं खोदा गया और ब्लास्टिंग बोरिंग नहीं होता है तो गांव वालों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम एक एक पंचायत समिति में एक एक ब्लास्टिंग बोरिंग की मशीन होनी चाहिए। वहां पर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अकाल वहां पर नहीं है और सब कुछ भगवान ने दे रखा है और आपसे जो मांगते हैं वह तो कम से कम उनको दे दीजिए।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग बोरिंग कराना चाहते हैं लेकिन आपने जो रेट्स रखी हैं बोरिंग के लिए वे कम से कम ५८ फिट का पैसा चार्ज करते हैं और उसकी रेट ४० रु० फीट के हिसाब से है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने मिनिमम चार्जेज ५८ फुट तक के रखे हैं और वह भी ४० रुपये फीट के हिसाब से रेट है। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब काश्तकार किसी भी कुएं में बोरिंग नहीं करा सकते हैं। इसलिए मिनिमम जो ५८ फुट का रखा है उसको कम करना चाहिए। हमारे यहां पहाड़ी इलाका है और ८-१० फुट की चट्टान तोड़ने पर ही पानी निकल आता है....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि-मंत्री) : आप ब्लास्टिंग की बात कर रहे हैं या बोरिंग की ?

श्री गोविन्दसिंह : वह बोरिंग जो ६ इंच का या १२ इंच का करते हैं। वह कम से कम ५८ फीट का चार्ज करते हैं और वह भी ४० रुपये फीट के हिसाब से।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह : है।

श्री नाथूराम मिर्धा : गलत है।

श्री गोविन्दसिंह : गलत है तो बहुत अच्छी बात है। वहां पर आदमी बोरिंग कराने के लिए तैयार हैं और यदि ५८ फीट वाली पाबन्दी हटा दी जावे, जसी कि कृषि मन्त्री अभी कह रहे हैं, तो किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री गोविन्दसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। जहां तक पैदावार का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां झालावाड़ इलाके में कपास बहुत अच्छी होती है और काफी तादाद में होती है। इसके अलावा तिलहन भी अच्छी होती है इसलिए पैकेज प्रोग्राम में इस इलाके को लेने का ध्यान में रखा जाये। वह इलाका ऐसा है कि जिसमें तिलहन होती है और कैश क्रोप पैदा होती है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पैकेज प्रोग्राम में उसको लेना चाहिए। समय की कमी होने के कारण अधिक समय न लेकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह !

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि व पशुपालन पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान की अधिकांश जनता खेती-बाड़ी पर निर्भर करती है और उसको भारी कठिनाइयां हो रही हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार का लक्ष्य था कि खेती की तरक्की की जायेगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार का लक्ष्य था कि मोटे तौर पर उद्योगों की तरक्की करेंगे और तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों को सबल बना दिया जायेगा। लेकिन आज तीसरी पंचवर्षीय योजना जा रही है और अभी तक राजस्थान की जनता अनाज के बिना तरस रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार की करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद में भी ऐसी स्थिति है और सरकार कह रही है कि हम तरक्की कर रहे हैं। तरक्की जो आप कर रहे हैं वह जनता के सामने भी आनी चाहिए, जनता को भी मालूम होना चाहिए कि आपने इतनी तरक्की कर ली है। ठीक है, आप तरक्की करते रहे होंगे और जहां तक मैं समझता हूं कृषि मंत्रीजी के विचार अच्छे हैं। लेकिन जब तक वे विचार क्रियान्वित नहीं हों तब तक कैसे समझें ? हम भी समझते है कि आप जो कुछ करते हैं, ठीक करते हैं; तो जो आप ठीक करते हैं उसको हम ठीक ही मानते हैं। हम विरोधी पक्ष में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हमेशा आपका विरोध ही करते रहें। तो जैसा आप विचार करते हैं उसको कार्य रूप में परिणत कीजिए और किसानों को कितनी तकलीफ हो रही है उसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

किसानों को खेतों में बाढ़ लगाने के लिए कांटे नहीं मिलते हैं। किसानों को जंगलों से घास, लकड़ी, सोटा, कमड़ी आदि कोई लकड़ी नहीं मिलती है। यदि वह जंगल से यह चीजें लाता है तो उसको तंग किया जाता है। उसको एक-एक और दो-दो रुपये की चिट्ठी के लिए ४-५ बार फिरना पड़ता है। आपका सम्बन्ध जंगलात के विभाग के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि किसानों को जो तकलीफ होती है उसका ध्यान रख सकें। किसान जब जंगल में जाता है तो उसको वह तंग करते हैं। ७ आने की चिट्ठी के पीछे उसके ५ रुपये खर्च हो जाते हैं और कोई सुनने वाला

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

मिलता नहीं है। मैं आपको हमारे बेंगू रेंज की बात बताऊंगा। हमारे यहां इसी खेती बाड़ी की लकड़ी के लिए सन् २२ में बड़ा भारी आन्दोलन हुआ था; उसमें हजारों आदमी जेलों में गये और उस आंदोलन में हमारे यहां के कई आदमी मारे गये और सामन्तशाही लोगों से जीते और हमारी विजय हुई। लेकिन आज हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। आप तो समझते ही नहीं हैं कि ये क्या चीजें होती हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : तो फिर अब तानाशाहों के साथ कैसे हो गए ?

श्री चौसरसिंह बाबेल : उस समय हम राजाओं से मुकाबिला करते थे और मारते थे। आज हम किससे मुकाबिला करें, हमारी ही सरकार है। हम निवेदन करते हैं कि आप सुनते हैं। आप उन किसानों की ओर ध्यान दीजिए। आप उनकी तकलीफ मिटाने की कोशिश कीजिए। आज जमीनें उनके पास हैं, जो कि खेती नहीं करते हैं। आपने हमारे यहां पर रामकरण जी वकील को चरनोट की जमीन दी, आप इसकी जांच करें और इसी तरह के लोगों को बढ़ावा देते जा रहे हैं। जंगलात के मामले में जो जंगलों की सीमा है, वह किसानों के खेतों से बिल्कुल लगी हुई है। किसानों के मवेशी वहां चले जाते हैं तो सैकड़ों रुपया दण्ड के उनसे वसूल करते हैं। इसी तरह से वन में बहुत सी जगह जो जमीन खेती के योग्य है, उस पर वन विभाग ने कब्जा कर रखा है। उसके लिए तहसील लिखती है और आप सुनते नहीं हैं। इसलिए आप उस जमीन को वन विभाग से निकालने की कोशिश करें। आपका पहले भू-राजस्व ३ करोड़ का था सन् ५१ में और आज ६ करोड़ हो गया है। आप टैक्सेज बढ़ाते जा रहे हैं और कृषि पर आयकर लगा रहे हैं। वह ४ लाख के करीब कृषि आयकर लगा दिया है। इस तरह से आप टैक्सेज बढ़ाते जा रहे हैं। इससे आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसानों का शोषण हो रहा है और किसानों की सुनने वाला राज्य में कोई नजर नहीं आता है। आपने किसानों से वोट लिए हैं। एक सदस्य ने कहा था कि आप कृषि वालों के घर से आये हैं तो आपकी तारीफ करने के बाद भी आप इस विषय पर गौर नहीं करें तो आपकी इच्छा है। एक दिन वह आयेगा जब जनता आपसे पूछेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम राजोरिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट-मोशन कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में है। सरकार उत्पादन के आंकड़े बताती है और कृषि मंत्री महोदय भी आंकड़े कई बार बता चुके हैं। किन्तु जो आंकड़े बताये जाते हैं वे आंकड़े वास्तविकता (सत्यता) से ज्यादा हैं। सरकार इस बारे में नहीं सोचती कि पहले कितनी भूमि जोती जाती थी और अब कितनी भूमि जोती जाती है। उसका हिसाब कृषि मंत्री महोदय नहीं बताते....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : ये भी आंकड़े बताये हैं दो दिन पहले ही

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सदन में कि कितनी जमीन फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में थी और कितनी सेकिन्ड फाइव ईयर प्लॉन में थी ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : लेकिन वे सही आंकड़े नहीं हैं । अगर उसका अन्दाजा लगाया जाये कि जो पहले जमीन जोती जाती थी और वह कितनी बेकार पड़ी रहती थी, उसके बाद में कितनी भूमि का नया अलॉटमेंट होकर नई जोती गई । उसके बारे में केवल यह अन्दाजा लगा लिया है कि जिसके नाम पहले जमीन थी वह सब बोता होगा; यह अन्दाज सही नहीं है । उदाहरणार्थ किसी के पास यदि दस खेत थे तो उसमें से वह दो ही जोतता था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपके आंकड़े सच्चे साबित नहीं होते । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यदि सरकार उत्पादन के बारे में विचार नहीं करेगी तो मैं कहूंगा कि यह सारी उत्पादन की योजना बेकार हो जायेगी । सरकार जब तक ऐसे तरीके नहीं अपनाये कि जिससे उत्पादन बढ़े तब तक कोई खास उत्पादन के बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता है । जो बड़ी सिंचाई योजनायें हमने बनाई हैं उन योजनाओं के लिए यह नहीं सोचते हैं कि वह किस किस एरिया को कवर करेंगी और कितनी जमीन सिंचित हो सकेगी और जिन एरियाज में सिंचाई योजनाएं नही बनाई हैं उनके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ी योजनाओं के अलावा अगर सरकार छोटी सिंचाई योजनाओं को लेकर चले तो मेरे ख्याल से थोड़े समय में ही आपको उसका पता चल सकेगा और उत्पादन भी काफी बढ़ सकता है । वैसे तो सरकार ने कुछ तालाब वगैराह के द्वारा कृषि का उत्पादन बताया है और उसके कुछ आंकड़े दिये हैं कि छोटी सिंचाई के लिए कुछ दिया है, लेकिन वह बहुत कम है, उससे सारा एरिया कवर होने वाला नहीं है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आप छोटी सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक बड़ी सिंचाई योजनाएं सारे राजस्थान में उत्पादन के बढ़ाने में सफल नहीं हो सकती हैं । तालाब बनायेंगे तो उससे २-३ फायदे हो सकते हैं । पहला फायदा तो यह होगा कि उस क्षेत्र के कुंओं में पानी की कमी नहीं होगी । उदाहरणार्थ मैं अपने एरिया के लिए कहूं जमुवा रामगढ़ के लिए, वहां पर कुछ ढालू जमीन है, कुछ पहाड़ी जमीन है, वहां पर तालाब बनावें तो सिंचाई या जमीन कटाव में फायदा हो सकता है । सरकार जो कुओं को बिजली दे रही है तो जब कुओं में पानी ही नहीं होगा तब बिजली का देना भी बेकार होगा । छोटे छोटे तालाबों के निर्माण से कुओं में पानी बढ़ेगा जिससे सिंचाई में सहायता मिलेगी; दूसरे मवेशियों को भी फायदा हो सकता है जो कि आप उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं । मैं कहूंगा कि छोटी सिंचाई योजना से ज्यादा उत्पादन की बढ़ोत्तरी हो सकती है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र जमवा रामगढ़ में तालाब बनने चाहिए, वहां छोटे बान्ध बनाने चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

नये कुओं के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जो नये कुएं पंचायत समिति के मार्फत बनाये जाते हैं वह कम बनाये जाते हैं। उसका कारण यह है कि उनको तकावी कम मिलती है। यदि तकाबी पूरी देंगे तो ज्यादा नये कुएं होंगे और उससे कृषि को काफी फायदा हो सकता है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमेंट शहरों में न देकर गांवों में अधिक सीमेंट दें तो कुओं की ज्यादा तादाद बढ़ सकती है। अधिक मात्रा में सीमेंट शहरों में न दें तो वहां पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहां अधिक मकान नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर बड़े लोग ही मकान बनाते हैं और उनके २–२, ४–४ मकान होते हैं; तो आप सीमेंट कुओं के लिए अधिक दें तो फायदा हो सकता है।

जो सिवाय चक पड़े हुए हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें और अलॉट कर दें तो काफी फर्क पड़ सकता है। जैसा कि हीराभाई ने कहा कि कितनी ही जमीन वैसे ही पड़ी हुई है और जोती नहीं जाती है तो जो लोग जोतने के काबिल नहीं हैं और दूसरों से जुतवाते है तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार जब तक इस बात को नहीं देखेगी तो उत्पादन बढ़ने का सवाल पैदा नहीं होता है।

बीज–वितरण के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जमुवा रामगढ़ और आमेर इन दो पंचायत समितियों में गेहूं और चने के बीज के वितरण के बारे में पंचायत समिति में निर्णय हुआ तो विकास अधिकारी ने कहा कि जितना बीज चाहोगे देंगे। बीज के लिए हमने कह दिया कि इतना चाहिए, लेकिन बीज मिला ही नहीं। किसान सोच रहा था, कि बीज आयेंगे। इस तरह की व्यवस्था न करके ढंग से व्यवस्था करें और बीज समय पर दें। तो मैं कहूंगा कि इन दो पंचायत समितियों में टाइम निकलने के बाद बीज खेतों में डाला गया। जहां भी बीज मिला और जैसा भी मिला किसान खुद लाये। इसके उपरान्त भी कुछ खेत बाकी रह गये। यह बीज वितरण की व्यवस्था है वह गलत है। जब तक सही व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

जमवा रामगढ़ के बांध के बारे में कहना चाहता हूं कि जमुवा रामगढ़ के बन्धे से सिंचाई का पानी नहीं मिलता था। कुछ पानी ज्यादा हुआ तो जमुवा–रामगढ़ के बन्धे से पानी मिला लेकिन वह भी लेट मिला, इसलिये वह पानी काम में नहीं आ सका और उसका असर गलत हुआ है। इस तरह की व्यवस्था जो करें तो वह समय पर करें तो काफी फायदा हो सकता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक उत्पादन के बढ़ाने की बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे मन्त्रीजी कृषि मन्त्री भी हैं और शिक्षा मन्त्री भी। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में हायर सैकन्डरी स्कूलों में कृषि विज्ञान का सब्जेक्ट चालू करके बाहर स्कूलों के एरियाओं में

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

जमीन रोक कर कृषि शिक्षा दी जाय, तो मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं कि जो विद्यार्थी पढ़ कर निकलेंगे तो काफी फायदा उनको हो सकेगा। यह सब्जेक्ट जरूर लागू होना चाहिए। आज हायर सेकण्डरी पास करके निकलते हैं तो नौकरी मांगते हैं, किन्तु इस विषय के अभाव में नौकरी की मांग में कमी होगी और नये ढंग से उत्पादन बढ़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्षजी...

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं पशु-पालन के बारे में भी कहना चाहता हूं, वह यह है कि सरकार की नीति अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को यह देखना पड़ेगा कि जो पशु-पालन होगा उनको किस तरह से चारा पानी मिलेगा। चरागाहों के बारे में नहीं सोचेंगे, उनको चरने काबिल नहीं बनायेंगे तो पशु कैसे रहेंगे ? सरकार ने विकास के बारे में जो ग्राम-सेवक लगा रखे हैं उनके जरिये चराई के लिए ऐसी व्यवस्था कराई जाय कि जिससे ज्यादा चारा उत्पन्न हो तो उससे मवेशियों को बढ़ावा मिल सकता है। क्योंकि जब तक उनको पूरा खाना नहीं मिलेगा और पानी की ठीक व्यवस्था नहीं होगी और चरागाह नहीं बढ़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी...

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्षजी मेरी पार्टी का समय है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो गया।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं एक बात भेड़ों के बारे में कहता हूं क्योंकि हमारे मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी बाहर जाकर आये हैं, इस विषय में और उस पर जोर दे रहे हैं। हमारा राजस्थान भेड़ों के बारे में भारतवर्ष में पहला स्थान रखता है। इसके लिए सरकार ने फार्म भी खोले हैं, लेकिन आप लोगों के पास में जो भेड़ हैं उन भेड़ों में बीमारी का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। अगर सरकार बीमारी में रोक नहीं लगायेगी तो रेवड़ के रेवड़ खत्म हो जायेंगे। भेड़ों में २-३ रोग ज्यादा होते हैं; जैसे माता है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : That's all. Shri Dhabaria

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज यहां पर कृषि और पशुपालन की मांग पर चर्चा ही रही है। मैं समझता हूं कि राजस्थान जो कि

(श्री उमरावसिंह ढावरिया)

सबसे ज्यादा इन दो बातों पर निर्भर करता है, उस प्रान्त के लिए ये दोनों मांगें और ये दोनों विभाग बहुत ही आवश्यक हैं और बहुत ही अच्छे होने चाहिए।

जहां तक कृषि विभाग का सवाल है, मैं यह कहने के लिए तैयार हूं और इसके लिए मैं सरकार को बधाई दे सकता हूं और देना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले में कुछ कदम बढ़ाये हैं कि जिससे किसानों की हालत अच्छी हो, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, और बहुत सारे मामलों में हमने इसके अन्दर बढ़ोत्तरी की है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के जो ८० परसेन्ट व्यक्ति गांवों में रहते हैं और खेती का काम करते हैं उनकी आर्थिक हालत अच्छी करने में और उनके काम में उनको तरक्की मिले, इसमें हम अच्छा सहयोग कर सकते है।

राजस्थान के अन्दर जब से विकेन्द्रीकरण हुआ, पंचायत राज्य की स्थापना हुई, खास तौर से १९५९ के बाद, तब से पंचायत समितियों ने अपने अपने क्षेत्र में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसान को किन बातों की आवश्यकता है इस बात के लिए एक ग्रामवाइज़ नहीं, एक पंचायतवाइज़ नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि बहुत सारी पंचायत समितियों ने परिवारवाइज़ अपने प्रोग्राम तैयार किए हैं। और अभी जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष हैं, श्री अशोक मेहता, जो अभी यहां पर यूनीवर्सिटी में आये थे और वह जब वाइस चैअरमैन बने तब उन्होंने यह बात कही थी कि प्लानिंग का काम नीचे से शुरू होना चाहिए, ऊपर से नहीं होना चाहिए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को इस नीति पर ध्यान देना चाहिए और जो पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं और जिला परिषदें हैं, वह अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह से कृषि के विकास की योजनायें बनाते हैं, उन्हीं के आधार पर, जो फंड्स यहां से दिये जाते हैं वे दिए जाने चाहिए। आज होता यह है कि डिपार्टमेंट ऊपर बैठ कर और अपनी मर्जी से यहां बैठ कर जिस क्षेत्र के अन्दर, जिस काम के लिए पैसे की जरूरत होती है उस क्षेत्र को पैसे नहीं देता है और जिस क्षेत्र में पैसे की जरूरत जिस काम के लिए नहीं होती है उस क्षेत्र में वह पैसा जरूरत से ज्याया दे दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि यह आज की बात-नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि मेरा खुद का चार साल का अनुभव है एक पंचायत समिति के प्रधान होने की हैसियत से, यह आखिर महीना होता है फाइनेन्शियल ईयर का, जब इरिगेशन का पैसा, विकास विभाग का पैसा और एग्रीकल्चर का पैसा; इसके अलावा समाज कल्याण का जो डिपार्टमेन्ट है उसका पैसा जो बाकी रह जाता है, वह इस आखिरी महीने में आकर लोगों को एलॉट करते हैं और इस पैसे को देते हैं, जिनका यूटीलाइज़ेशन सही ढंग से पंचायत और पंचायत समितियां नहीं कर सकती हैं। जिन्होंने अपना सालाना प्रोग्राम बनाया हुआ है उनको अगर हर साल के आरम्भ में सारा पैसा मिल जाय, यह सारा पैसा उन लोगों के पास आ जाय तो मैं समझता हूं कि जिस किसान को जरूरत है अपने कुएं को खोदने के लिए पैसे की, जिस किसान

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

को जरूरत है अपनी खेती को सुधारने के लिए जिन चीजों की, चाहे औजार हों या चाहे दूसरी चीजें हों—ये सब चीजें उनको साल के प्रारम्भ में मिल जायं तो जो फसलें हमारे राजस्थान में आज होती हैं, केवल कुछ जगहों को छोड़ करीब करीब हर जगह हमारे राजस्थान में एक फसल होती है और कहीं कहीं दो फसलें होती हैं, एक गंगानगर का इलाका हो सकता है जहां तीन फसलें होती हैं; वैसे मैं समझता हूं कि ज्यादा फसल होने का एरिया है वह एक फसल का है—तो इन फसलों की कमी का कारण यह है कि राजस्थान में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी कमी है वह यह है कि समय पर उनको जरूरत की चीजें नहीं मिलती हैं। आज जो पंचायत समितियां हैं, ये एक सबसे बड़ी एजेंसी हैं जिनको सरकार ने मान्यता दी है और समाजवादी समाज व्यवस्था के आधार पर, मैं समझता हूं, यदि समाजवाद लाने के लिए कोई सबसे जरूरी चीज है वह है सहकारी समितियां, सेवा सहकारी समितियां, जो हर जगह बनी हुई हैं। उन्हीं के द्वारा किसान को खाद दिया जाता है, बीज दिया जाता है और सोसाइटी के सदस्यों को लोन भी दिया जाता है और इस प्रकार किसान को साल भर में जो कुछ भी मिले, उससे अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने में उसे काम में लाया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ कृषि मन्त्री को कहना चाहूंगा कि अगर वह कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो इस मामले में जो को-ऑपरेटिव्ज के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसका सही यूटिलाइजेशन हो, पंचायत समितियों और पंचायतों के द्वारा जो किसान को पैसा दिया जाता है उसका सही यूटिलाइजेशन हो और जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है उसी के अन्दर वह लगाया जाय—इसकी व्यवस्था करनी होगी। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि वे पार्टीबाजी से जरा ऊपर उठ जायं और इसमें राजनीति का ख्याल न रखें।

आज हमारे यहां जो सेवा सहकारी समितियां राजस्थान में हैं उन सेवा सहकारी समितियों में मेरे जैसे व्यापारी के लड़के, मेरे जैसे जो एग्रीकल्चर का काम नहीं करते हैं वे लोग सेवा सहकारी समितियों में आकर बैठे हैं, वे आकर वहां पर सेक्रेटरी बन जाते हैं, केशिअर बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। और को-ऑपरेटिव बैंक से जितना पैसा इस संस्था के लिए, इन सहकारी समितियों के लिए प्राप्त किया जाता है, वह इसलिए मिलता है कि वह पैसा उन किसानों में बांटें जो सेवा सहकारी समिति के मेम्बर हैं, पर उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते है, कृषि मन्त्रीजी भी जानते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य भी जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अस्सी परसेन्ट ऐसी सेवा सहकारी समितियां हैं कि जिनको जो लोन दिया जाता है वह लोन वास्तव में उन किसानों को नहीं मिलता है और मेरे जैसे लोग, जिनका मैंने उदाहरण दिया, वे लोग उस लोन को ले जाते हैं और अपने पास उस पैसे को रख लेते हैं। यही कारण है कि राजस्थान के अन्दर जितना लोन सेवा सहकारी समितियों को दिया गया उसमें से सत्तर परसेंट लोन ओवर ड्यू के रूप में आज

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

भी सेवा सहकारी समितियों में बाकी है। जो एक हजार रुपया किसान को अपनी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये दिया जाय और वह वास्तव में खेती पर खर्च हो तो कोई किसान ऐसा नहीं हो सकता, जो उसी खेती से वापिस एक हजार रुपया कमा कर सरकार को नहीं चुका सके। ऐसा राजस्थान में कोई किसान नहीं है क्योंकि राजस्थान के किसान बहुत मेहनती हैं और उनमें पैदावार बढ़ाने की क्षमता है। आज जमीन के बारे में, राजस्थान में सुनते है, एलाँटमेंट नहीं होता है तो कितना हाहाकार होता है। यह इस चीज को बताता है कि किसान की दिलचस्पी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ, एग्रीकल्चर फार्म बनाने की तरफ कितनी है। लेकिन जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका सही यूटिलाइज़ेशन सरकार भी नहीं कराना चाहती है क्योंकि इसमें सबका लाभ है। गांवों के अन्दर जो इनके कार्यकर्त्ता लोग रहते हैं उनको इन सेवा सहकारी समितियों में बैठा रखा है। मैं आपको उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि ऐसी सेवा सहकारी समितियां भीलवाड़ा में हैं, ऐसी सेवा सहकारी समितियां दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं और उनकी जांच करने के लिए माननीय मन्त्री तैयार हों तो मैं···

(३.४५ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

कह सकता हूं कि जिस सेवा सहकारी समिति को पन्द्रह हजार रुपया इसलिये लोन मिला कि वह उसे किसान को बांटे, लेकिन उस पन्द्रह हजार रुपये में से तीन हजार रुपया बांटा और बारह हजार रुपये का यूटिलाइज़ेशन किस तरह हुआ, वह १६५८ से आज तक बाकी है। यह सरकार न तो वसूल करना चाहती है, न उसका हिसाब ही लेना चाहती है। इस तरह से आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, किसानों की हालत अच्छी हो नहीं सकती। अभी आप उठ कर आंकड़े दे देंगे कि हमने इतना को-ऑपरेटिव सोसाइटी को रुपया दे दिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। मैंने हिसाब लगाया कि आपने काफी रुपया खर्च किया है लेकिन उसका यूटिलाइज़ेशन आपने अच्छी तरह से नहीं कराया है। आप लोन देते हैं ट्रेक्टर्स के लिए। किसानों को आप ट्रेक्टर के लिए लोन देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक किसान से आप ट्रेक्टर से खेती कराना चाहते हैं, वह ऐसे किसान से जिसके पास पन्द्रह बीघा जमीन है, बीस बीघा जमीन है, चालीस बीघा जमीन है, वह ट्रेक्टर से खेती कर सकता है क्या? क्या ट्रेक्टर से खेती करना उसके लिए लाभप्रद हो सकता है? लेकिन आज जो सरकार है और जो उसके कार्यकर्त्ता लोग हैं वे तो समझते हैं कि ये तो दिलाने वाले लोग हैं, चाहे इनके पास चालीस बीघा, तीस बीघा जमीन हो, लेकिन इन्हें ट्रेक्टर के लिए लोन देना और उस लोन को वे अपने काम में ले सकते हैं। मैं सरकार से, माननीय मन्त्री से नम्र निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे आदमी हैं कि एक एक आदमी को दो दो ट्रेक्टर के लिए लोन दिया

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया).

गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस आदमी के पास दो सौ, ढाई सौ बीघा जमीन है और जो सही ढंग से वास्तव में खेती ट्रेक्टर से कर सकता है और जिसके लिए ट्रेक्टर से खेती करना आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकता है उसको आप एक नहीं दो ट्रेक्टर दें-मुझे उसमें एतराज नहीं है। लेकिन जिन लोगों की कैपेसिटी नहीं है ट्रेक्टर से खेती करने की, माननीय सभापति महोदया, उन लोगों ने ट्रेक्टर ले लिया और खेती करना छोड़ दिया। उस ट्रेक्टर के पीछे ट्रोली लगाकर उसे मिट्टी ढोने के काम में ले रहे हैं। उनके खेत सूने पड़े रहते हैं, लेकिन वे लोग ट्रेक्टर से बांध पर काम कर रहे है, तालावों पर काम कर रहे हैं और इस प्रकार आपके द्वारा दिये हुए पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं, आज जहां बांध बना दिये गये है, जहां पर इर्रिगेशन की बड़ी योजनायें हैं, वहां पर आप मेहरबानी करके कुएं के लिए जो तकावी का पैसा देते हैं उसमें कटौती कीजिये। और उन जगहों के लिए आप ज्यादा पैसा दीजिये जहां पर इस प्रकार की इर्रिगेशन की फेसिलिटी लोगों के लिए नहीं हैं; उनको ज्यादा पैसा इस काम के लिए दीजिये।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, मैं यू० पी० में गया था। एग्रीकल्चर के मामले में आज जो सबसे बड़ी कमी राजस्थान में है वह यह है कि आज जो ट्रेनिंग देते हैं वह किसको देते हैं ? जो ग्राम सेवक की ट्रेनिंग देते हैं, बी० डी० ओ० के नीचे जो ई० ओ० रखते हैं उनको किन लोगों को आप ट्रेनिंग देते हैं ? मुझे इस बात का अनुभव है कि जो ई० ओ० आते हैं वे टेरेलिन की पेंट पहिन कर आते है, जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि पेंट पर धूल लग जाय तो उसे झड़काना पड़ेगा। वे खेतों के अन्दर जाकर खेती को बढ़ाने के लिए, गांवों के अन्दर काम करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वे अपने टेरेलिन के पेन्ट को साफ करने में ही लगे रहते हैं और वे यह चाहते हैं कि कहीं उनके पेन्ट के धूल न लग जाए। मगर मैं यह कहूंगा कि आज इस बात की जरूरत नहीं है। मैंने यू० पी० में देखा है। आपके रूरल एरिया में ट्रेनिंग सेन्टर खोले हैं। वहां पर आप देखेंगे कि लड़कों के लिये १८ ट्रेनिंग कॉलेजेज़ आपको मिलेंगे। उनमें मैंने देखा है कि ५० परसेंट लड़के उन आदमियों के हैं जो आसपास में एग्रीकल्चर में काम करते हैं और करीब ५० परसेन्ट लड़के ऐसे आदमियों के हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉईज़ है। वहां पर वे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नये तरीकों से किस तरह प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है और उसमें आज आप जो फालतू पानी जाता है वे कहते है कि यह पानी भी फालतू नहीं जाना चाहिये और इसका भी सही यूटिलाइज़ेशन कैसे करना चाहिये, यह सही तरीके से किसानों को, लड़कों को, वहां सिखाया जाता है। मैं समझता हूं कि यहां पर हमारी सरकार इसके लिये एक पैसा भी खर्च नहीं करती होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट और बोलूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सारे काम यदि आप यहां पर करने लगें तो किसानों का भला होगा जो आज देहातों में रहते हैं। आज हम देहातों में किसानों को कह सकते हैं। जब हम किसी किसान से देहात में कहते हैं तो वे यह बात कहते हैं कि अगर हमें भी कोई पूछे तो हम बताएं; हमारी बात चलती हो तो हम बात करें। हमको पैसे किसी काम के लिये मिलते नहीं। इस तरह की निराशा किसानों में नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात जो किसानों के प्रोडक्शन में अटक रही है, सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों पर लाखों ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जो बिना जरूरत के मुकदमे हैं। उन मुकदमों को आप खत्म कर दीजिये। इसलिये कि उनको सारा का सारा समय एस. डी. ओ. और कलेक्टर आदि की कोर्ट में खर्च करना पड़ता है, वह समय खेती में काम करने में बिता सकें। आपके किसी किसान ने एक झाड़ काट लिया तो आपके तहसीलदार ने उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी और पटवारी साहब की किसी से लड़ाई हो गई तो उस किसान के खिलाफ पटवारी ने मुकदमा लागू कर दिया। इस तरह से लाखों किसानों पर मुकदमे लगा रखे हैं। उन सारे मुकदमों को आपको चाहिये कि एक ही कलम से खत्म कर दें; उन पर से ऐसे सारे के सारे मुकदमें उठा लिए जावें ताकि वे लोग उस समय का उपयोग अपने खेतों की उपज को बढ़ाने में कर सकें। इस प्रकार के हजारों छोटे-छोटे मुकदमे आपने किसानों पर लगा दिये है; जैसे बिना नाम भूमि में किसी ने मकान बना लिया, खेत की जमीन पर मकान बना लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने आपकी पंचायतों को और म्युनिसिपेलिटीज़ को पैसा दिया है और उन्होंने उनको पट्टे कर के आपने दिये हैं लेकिन चूंकि वह जमीन हल्का आबादी में नहीं है आपने इस प्रकार के लाखों व्यक्तियों पर मुकदमा चला रखा है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने गरीबों पर तो इस प्रकार के मुकदमे चला दिये, मगर जिन लोगों ने बड़े बड़े एग्रीकल्चर फॉर्म बनाये हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या कोई कितने ही सेठ हैं, उन पर क्या आप बता सकते हैं कि किसी एक पर भी आपने मुकदमा चलाया है? इस संबन्ध में मैंने प्रश्न पूछा था कि भीलवाड़ा में दूदू कम्पनी वालों ने फॉर्म पर एक बड़ा शानदार बंगला बना लिया, कैसे उन्होंने कृषि की भूमि पर बंगला बना दिया। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर किसी एक किसान ने एक मकान से दूसरे मकान में अपने लड़के को सुलाने के लिये कमरा बनाया तो आप उसको बनाने नहीं देते। यदि उसने कोई झोंपड़ी बनाली तो फौरन तहसीलदार साहब उनके यहां पर पहुंच जावेंगे और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जावेगा। उसके बाद अगर उसने पैसे दे दिये तो ठीक अन्यथा यह कहा जाता है कि मकान गिरा दिया जावेगा। मैं यह कहूंगा कि इस तरह से किसानों को संतोष नहीं होता।

अब मैं एनिमल हस्बेन्ड्री की बात कहना चाहता हूं। आपके यहां दो-तीन इस

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

प्रकार के डिपार्टमेंट्स है जिनसे पैसे की आमदनी होती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपका मत्स्य पालन विभाग है जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपने बताया कि १९६२-६३ में ७ लाख २ हजार ४२६ और ६३–६४ में ५ लाख २ हजार २२० । इसका मतलब यह हुआ कि इस आमदनी में करीब १ लाख ५० हजार का नुकसान हुआ है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप मत्स्य पालन के लिये सेन्टर बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और एक ओर आमदनी कम क्यों होती जा रही है । इसका कारण है और वह यह है कि सबसे बड़ा सेन्टर है वह सेन्टर है जहां सबसे ज्यादा मछलियें होती है वह है जयसमन्द और वह है उदयपुर में जो इस काम के लिये मशहूर है । जिस प्रकार पानरवा के जंगल में एक ही ठेकेदार को ठेका दिया गया है उसी तरह से जहां आपका हर साल तालाबों का ठेका होना चाहिये क्यों नहीं ५० हजार से ज्यादा आमदनी इससे नहीं होती, क्या लगाव है माननीय मंत्री का और सरकार का और विभाग का इससे । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कलकत्ते में एक-दो वैगन मच्छी जाती है उस सारे जयसमन्द का ठेका ५० हजार का ही हो । अगर मंत्री महोदय चाहे तो इसका ठेका मैं ७ लाख में दिलाने को तैयार हूं, मगर मैं जानता हूं कि वे नहीं देंगे पानरवा जंगल में वे गुलाम अब्बास को निहाल करते है तो इसमें कपूर साहब को क्यों नहीं निहाल करेंगे ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप बतावें कि कपूर साहब कौन हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सभापति महोदया, समय की कमी है इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । मैंने जो कुछ कहा मैं समझता हूं कि मेरे पास उसके आंकड़े मौजूद हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि किस तरह आपके यहां गायों के लिये लोन देने की योजना है और किस तरह से खरीद होती है, उन सबको मैं जानता हूं क्योंकि मैं पंचायत समिति में रहा हूं । मैं इस बात को जानता हूं कि जहां एक करोड़ का खर्च होता है तो २५ लाख का वहां पर घोटाला मौजूद है । आप बताइये सुराण पंचायत समिति है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों को वहां पर पैसे दिये और कितने लोगों ने उस पैसे को पशुओं को खरीदने में काम में लिया । मैं कहूंगा कि जिसको गायें खरीदने के लिये ६ हजार रुपये दिये उसने गाये खरीदी नहीं मगर उसके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं लिया गया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह खादी के कपड़े पहिनता है, सफेद तीखी टोपी लगाता है । उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती । ऐसे आदमी को आपने रुपये दिये, ऐसे आदमियों को रुपये देने से मैं यह कहूंगा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कि आप क्या राजस्थान का भला कर सकेंगे और क्या इस तरह करने से राजस्थान का भला हो सकता है ? इनसे किसानों का भला नहीं हो सकता। चूंकि यह कृषि विभाग से सम्बन्ध रखता है इसलिए मैं सरकार से सभापति महोदय, आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यह आपकी जिम्मेदारी है और आप इसमें सुधार करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, हमारी पार्टी का ५ मिनट अभी बाकी है।

श्रीमती सभानेत्री : ४ बजे का समय मंत्री के उत्तर के लिये बंधा है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, आज इस सदन में मैंने जो दो-तीन मांगें कृषि और पशु पालन विभाग के बारे में प्रस्तुत कीं, उनके सम्बन्ध में सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां रखें। जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं....

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय सभानेत्री महोदया, रशिया के बारे में तो मैं ही बताऊंगा।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे प्रान्त में कृषि का और पशु पालन का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे राज्य की कुल आमदनी में से कृषि और पशु पालन के धंधे के जरिये से हमारे यहां के लोगों को करीब आधी आमदनी होती है। यहां इसलिये बहुत अहमियत रखते हैं ये विभाग। ये विभाग जो किसानों से सम्बन्धित हैं, इन विभागों का यह प्रयत्न है कि किसानों के कृषि के तरीकों में, पशुपालन के तरीकों में, अच्छे से अच्छे सुधार लायें, पुराने तरीकों में जल्दी से जल्दी परिवर्तन किया जाय और वैज्ञानिक आधार पर हमारे किसानों को नये साधन और सुविधाएं दी जाकर हमारे इस प्रान्त के किसानों की बहबूदी को बढ़ाया जाय और इसके साथ ही साथ आज देश की जरूरत की चीजें हैं कृषि का उत्पादन, वह हमारी बढ़ती हुई जन-सख्या के साथ में बहुत तेज गति से बढ़े, इन्हीं बातों का ख्याल रख कर हमने हमारी योजनाओं में इन्हीं उत्पादनों को बढ़ाने के लिये सबसे ज्यादा जोर दिया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन मदों में खर्च होने वाली धन-राशि को देखें तो १७३ लाख रुपया इन मदों के अन्दर जिसमें पशु पालन का मद शरीक नहीं है, कृषि की बढ़ोत्तरी के मद में खर्च किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४४७ लाख रुपया इस कृषि की बढ़ोत्तरी के मद में खर्च किया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के इन चार सालों में ५२६ लाख रुपया कृषि की बढ़ोत्तरी के इस मद में खर्च किया है। और चूंकि माननीय सभापति महोदया, हमारी भारत सरकार के सामने और देश के सामने आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बावजूद देश की सारी योजनाओं के आउटपुट्स के हमारा देश

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खाद्यान्न की गम्भीर समस्या में से गुजर रहा है। इसलिये चलती हुई योजनायों के नाम पर, आने वाली चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के नाम पर खास तौर से कृषि के मद में इसी बजट में एक अहम वृद्धि की है, जिस बजट पर कि हम बहस कर रहे हैं, इसमें यही अकेला मद ४१८ लाख का है। पिछले ४ सालों में जहां कृषि के मद पर ५२६ लाख रुपया खर्च किया, वहां इस एक ही बात में ४१८ लाख रुपया इस कृषि के मद पर खर्च करने जा रहे हैं।

इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य इसे स्वीकार करते हैं कि योजनाओं के इन अउटपुट्स के बाद में राजस्थान के कृषि के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है, यदि हम इसे तथ्यों के आधार पर देखें तो वह बढ़ोत्तरी बहुत तेज गति से हुई है। राजस्थान का उत्पादन ५०–५१ में २६ लाख टन खाद्यान्न का था वह उत्पादन जो हमारा तीसरी पंच-वर्षीय योजना का चौथा साल है, जिस सालमें हम गुजर रहे हैं, उसमें कृषि का उत्पादन जैसा कि मैंने कहा था करीब ५८–६० लाख टन के बराबर होगा। अगर इस बढ़ोत्तरी को देखें तो शत प्रतिशत २०० परसेन्ट की बढ़ोत्तरी इस मद में मिलेगी। मैं यह नहीं कहता कि यह सभी इन आउटपुट्स का प्रभाव है। इन आउटपुट्स के साथ साथ जो भूमि सुधार किये गये हैं, उन भूमि सुधारों से जो किसानों के दिमाग में स्टेबिलिटी आई है, जो जमीनों के हकूक तय हुए हैं, उसी का परिणाम है। जैसा कि मैंने इरिगेशन की मांग के सिलसिले में कहा था इरिगेशन का रकबा भी लगातार बढ़ता गया है। इरिगेशन के रकबे की बढ़ोत्तरी और इन आउटपुट्स का प्रभाव इस तेज गति से हुई बढ़ोत्तरी में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ है।

जहां पर राजस्थान में आज से १० साल पहले खाद्यान्नों का उत्पादन २६ लाख टन था वहां इस साल का उत्पादन ५८ से ६० लाख टन के लगभग आकर पड़ेगा। तो करीब करीब दुगुना हुआ है। फिर भी हम स्वीकार न करें और यह कहें कि राजस्थान में खेती की तरक्की नहीं हुई है, तो हम रीयलटीज से आंख मूंदने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): पर-एकड़ बताइये।

श्री नाथूराम मिर्धा: वह भी बता दूंगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर खाद्यान्नों में खास तौर से दूसरी सारी चीजों में; कपास, तिलहन, ऑयल सीड्स, इन सारी चीजों के अन्दर राजस्थान में इन योजनाओं के दौरान, भूमि की ज्यादा काश्त के द्वारा, एग्रीकलचर के सुधरे मेथड्स को अपनाने से, इन सारे मदों के अन्दर उत्पादन बढ़ा है।

माननीय सदस्य ने बताया कि राजस्थान में पर-एकड़ ईल्ड दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में अच्छी नहीं है, केरल से बहुत कम है, आसाम से बहुत कम है और मध्य प्रदेश से बहुत कम है। माननीय सभापति महोदया, मैं नम्रता से सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को दूसरे प्रान्तों की भौगोलिक स्थिति से मुकाबला करके ही हम किसी निर्णय पर पहुंच पायेंगे। आसाम में आप कहते हैं कि ३०० रुपये पर एकड़ रिटर्न है और राजस्थान में ८४ रुपये पर एकड़ रिटर्न है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि राजस्थान की क्या पोजीशन है। औसत रेनफाल कितना है, किस प्रकार की और फैसिलिटीज वहां पर हैं और किस प्रकार का क्रॉप पैटर्न है।

श्री विजयसिंह झाला : राजस्थान में गुजरे साल का क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जरा शांति रखें। आप अगर खुले दिमाग से सुनेंगे तो हो सकता है कि मेरी एक-दो बात आपके दिमाग में घुस जायें।

जिस समय हम केरल के पर एकड़ रिटर्न की बात करते हैं, उस समय यह ख्याल होना चाहिये कि वहां का औसत रेनफाल क्या है, और वहां के किसान जमीन पर क्या बोते हैं। उनके आंकड़े भी मुकाबले के लिये आपके सामने रखूंगा और आप अगर आंकड़ों का मुकाबला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान में जहां हम आम तौर से ज्वार, बाजरा, दालें बोया करते हैं, वहां केरल में वे लोग बहुत बड़ी मात्रा में रबर और चाय की फसलें पैदा करते हैं, कैश क्रॉप्स बोते हैं और आप जानते है कि कैश क्रॉप की पर एकड़ ईल्ड ज्यादा होता ही है।

राजस्थान के ८५ प्रतिशत इलाके में केवल १४ प्रतिशत इरिगेशन का रकबा है। उस ८५ प्रतिशत इलाके के अन्दर हम गेहूं, जौ, चने, बोते हैं। तो उनकी पर एकड़ प्रोडक्शन हम अन्य प्रांतों के मुकाबले में नहीं कर सकते, न ही पर एकड़ रिटर्न को कम्पेयर कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : कैश क्रॉप्स के लिये आप राजस्थान में फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कोई खुदा तो हूं नहीं जो एक ही दिन में सारी तब्दील कर दूं।

श्री विजयसिंह झाला : आप सारे प्रांत भर में एक जगह ही ले लें, एक एरिया ही ले लें, कोई भी एरिया ले लें और वहां पर यह करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं किसी एरिया विशेष के पक्ष में नहीं हूं। सब अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : आप अपने इलाके में करें। अपने फार्म पर ही करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अपने फार्म पर क्या कर रहा हूं, यह तो मैं आप को बता दूंगा। कभी मेरे साथ देखने की तकलीफ करें तो बता दूंगा कि ५० बीघा जमीन के अन्दर क्या क्या हो सकता है।

श्री विजयसिंह झाला : वह तो अध्यक्ष महोदय ने बता दिया कि आपकी अंगूर की फसलें अच्छी चल रही हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो माननीय सभापति महोदया, यह कहने से कि राजस्थान की पर एकड़ ईल्ड सभी से कम हैं, इस तरह की कम्पेरिज़न करने से न तो हम किसी सही नतीजे पर पहुंचेंगे, क्योंकि राजस्थान की स्थिति एक दिन में बदलना तो सम्भव नहीं है। राजस्थान बहुत समय से अंडर डेवलप्ड रहा है, यह बहुत समय से पिछड़ा हुआ है, सूखा रहा है। राजस्थान की सूखी धरती के लिए पानी की जरूरत है। जिस प्रकार हम करोड़ों रुपये योजनाओं में लगा रहे हैं उनके परिणाम आये हैं और आगे भी आयेंगे, राजस्थान के अन्दर ज्यादा रकबा सिंचित होगा। नरवदा का पानी लाने की सोच रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी योजनाएं हैं जिन पर करोड़ों रुपयों की धन-राशि खर्च होती है। इसलिए यह कहना कि प्रति एकड़ उत्पादन घटा है, सही नहीं है। हमको वहां और यहां के क्रॉप पैटर्न, इरिगेशन के तरीकों में जो कुछ अंतर है उनको सामने रखना पड़ेगा। मैं यहां कुछ आंकड़े भी दूंगा। राजस्थान के अन्दर बाजरे का रकबा ३७५ लाख एकड़ है वहां १०६ लाख एकड़ के अन्दर बाजरा पैदा होता है और केरल में एक एकड़ का बाजरा भी पैदा नहीं होता। ज्वार राजस्थान में २५ लाख एकड़ में पदा होता है, केरल के अंदर ०.४० लाख एकड़ में ज्वार पैदा होता है।

श्री विजयसिंह झाला : जो क्रॉप राजस्थान में पैदा होते हैं वही क्रोप्स दूसरे राज्यों में भी पैदा होते है। लेकिन उनके उत्पादन में तो फर्क है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो आपने नहीं समझाया।

श्री विजयसिंह झाला : राइस को ले लीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान में राइस केरल से ज्यादा होता है।

श्री विजयसिंह झाला : लेकिन उत्पादन प्रति एकड़ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : केरल से ऊंचा है। राजस्थान में दालें ४० लाख एकड़ में होती हैं, वहां केरल में ०.३६ लाख। केरल का मुकाबला करना बिल्कुल गलत होगा।

श्री विजयसिंह झाला : पोइंट ऑफ इन्फोर्मेशन। मेरा सरकार पर आरोप यह था कि जो कैश क्रॉप्स राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले में कम हुए व जिस प्रकार आपने अंगूर का फॉर्म लगाया उसी प्रकार और भी फॉर्म्स लगाए जा सकते हैं, चाहे ऐसा एक फॉर्म बनाया जाय सारे राजस्थान में आदर्श के लिए, हम उसको देख सकते हैं। ऐसे कदम सरकार क्यों नहीं उठाती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपके सुझाव को मानता हूं कि राजस्थान में ऐसे क्रॉप्स हों जिनके होने की यहां संभावना हो और जिसकी वजह से किसान को ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार स्वयं ने अपने कार्यक्रम हाथ में लिए हैं और जैसा मैंने कहा अंगूर उनमें से एक है।

श्री विजयसिंह झाला : किस किस जगह हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो ऐसा सोचते हैं जैसे कि सूरज उगा और उजाला हो गया । केरल में रबर कैश क्रॉप है जो दुनिया के अन्दर निर्यात किया जाता है । तो आपने जो सुझाव दिया कि कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दिया जाय उसके लिए कितने सरकार के साधन हैं, उन कार्यक्रमों को ले रहे हैं और उनको आगे भी ज्यादा तेज गति से लेने की कोशिश करेंगे । तो जैसा मैंने कहा, कैश क्रॉप राजस्थान के लिए स्वीकार किया है, खास तौर से फलों और सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हम कोशिश करेंगे ताकि किसानों की इकोनोमिक रिटर्न अच्छी हो ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जीरे की पैदावार बढ़ी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां । नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य की आलोचनाओं को उत्तर देने के बाद रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के लिए कहूंगा कि उन्होंने प्रति एकड़ पर जोर दिया है ।

(४.१५ म० प०)

(श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष पुनः पदासीन)

राजस्थान की कृषि की हालत अभी भी ८५ प्रतिशत बरसात और मानसून पर निर्भर करते हैं । जिस साल के अन्दर मानसून अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी । राजस्थान में सावनू फसल जो ८५ परसेंट एरिया में फैल जाता है चाहे मक्का, चाहे बाजरा, चाहे ज्वार, चाहे दालें, उनकी हालात बरसात पर निर्भर करती है । एक बरसात नहीं कम से कम तीन चार बरसातें एट रेग्युलर इन्टरवल्स इन रेग्युलर मात्रा तभी अच्छी फसल का आसार बनता है । इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान का उत्पादन १९६३-६४ से एक दम घट गया, क्योंकि उस साल के अन्दर ऐसे फैक्टर्स थे जो फसलों के लिए अच्छे नहीं थे । पांच हजार गांव अकाल में थे जहां बरसात हुई तो कम हुई । इस तरह से राजस्थान के अन्दर जब आम उत्पादन कम होता हो तो प्रति एकड़ उत्पादन में किसान का रकबा तो बहुत ज्यादा तादाद में कल्टीवेट करता है । कहीं पर तीन बरसातें हो गईं और चौथी नहीं हुई, फिर भी फसल के अन्दर कमी हो गई । इसलिये राजस्थान का उत्पादन मानसून की वेगरीज पर निर्भर करता है और उसके साथ साथ राजस्थान में जब मानसून कम होता है तो जो स्टोरेज टैंक्स हैं उनमें भी पानी कम आता है, कुए के पानी की मात्रा कम होती है । इसलिये जिस साल राजस्थान में बरसात कम होती है तो सारा औसत उत्पादन कम होता है, एकड़ेज बढ़ा रहता है । इसलिये जिस साल उत्पादन कम हुआ, साल खराब हुआ, कभी विन्टर से, कभी कीट की बीमारियां ज्यादा फैल गईं, ये फैक्टर्स उत्पादन पर ज्यादा असर डालते हैं । इसलिये उत्पादन कम होता है और एकड़ेज बढ़ता है । इसलिये यह कहना कि हर साल उत्पादन गिरता जा रहा है, मैं स्वीकार नहीं करता । आपको भी यह मानना चाहिये कि जिस साल राजस्थान में

Page No 113

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अच्छी परिस्थितियां होंगी उस साल राजस्थान में उत्पादन ज्यादा होगा, वह अच्छा होगा. इसके लिए उसका औसत प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ जायगा और जिस साल एकरेज ज्यादा होगा और उत्पादन के जो फैक्टर्स हैं उन पर असर पड़ेगा तो उत्पादन कम होगा और एरिया ज्यादा होते हुए भी उत्पादन गिर जायगा । मैं इलस्ट्रेट करना चाहूंगा । एक हेक्टर ढाई एकड़ का होता है । कई जगह ढाई बीघा का एक एकड़ होता है और कई जगह पौने दो बीघा का एक एकड़ होता है । खास तौर से मैं दो-तीन क्रॉप्स के बारे में निवेदन करूंगा जिससे आपको अन्दाजा होगा :

गेहूं १६५८-५६ में प्रति हेक्टर	राजस्थान में ३८५ किलोग्राम्स था ।	
१६५६-६० में	,,	८५४
१६६०-६१ में	,,	६४६

१६६१-६२ में, जो हमारा अच्छा साल था उस समय, ६८२ किलोग्राम था ।
इसी तरह से ६२-६३ में ८७३ । ६३-६४ में हमारा जो फर्स्ट ईयर था, इसलिए उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक था । कुओं में पूरा पानी नहीं होने से फसल को पानी पूरा नहीं मिल सकता था, इसी प्रकार चार पाण पानी में जहां अच्छी फसल पकती है वहां उस फसल को, बांधों में पूरा पानी नहीं होने से, दो पाला ही मिल सका........

एक माननीय सदस्य : उत्पादन कितना हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए गेहूं का उत्पादन गिर गया । यह जो बात कही गई है कि हर साल उत्पादन गिरता जा रहा है, लगातार कहते जाने से तो कोई काम नहीं चलता, लेकिन ये तथ्य जो मैंने सदन के सामने रखे हैं वे साफ यह प्रकट करते हैं कि इस एक साल के सिवाय हमारा उत्पादन गिरा नहीं है । इसलिये पर-एकड़ प्रोडक्शन को हमें इस दृष्टि से देखना होगा कि सारे राजस्थान में सोज़न्स फेवरेबल हैं और उत्पादन ज्यादा होता है तो निश्चित रूप से पर-एकड़ उत्पादन भी अधिक होगा । अब मैं अधिक आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आपको आंकड़े दिये हुए हैं । आपके पास पुस्तकें हैं और उनमें ये सब दिये हुए हैं । यहां पर इसकी बार-बार चर्चा होती है, इसलिए मैंने इसको विस्तार से कहना पसन्द किया ।

इस बारे में ज्यादा न कह कर और भी कई बातों का जवाब देना है जो कि माननीय सदस्यों ने अपनी बहस के दौरान में उठायी हैं : कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं उन पर ज्यादातर अंकुश डाल कर सही चीजों को; खाद, बीज आदि को काम में लाकर कराने की कोशिश की है, जिसकी एक तस्वीर मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा ।

सबसे जरूरी चीज आती है, खाद की व्यवस्था ठीक हो । मैंने सिंचाई की मांग

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के वक्त भी उन बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं, मध्यम दर्जे की योजनाओं और खास तौर से लघु सिंचाई योजनाओं की बात कहीं थी। अब मैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिनका कृषि विभाग से सम्बन्ध है, इन योजनाओं में क्या किया था और आगे क्या करना चाहते हैं, बताना चाहूंगा। नहरी इरिगेशन को कृषि में काफी महत्व दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (श्री परसराम मदेरणा, उप मंत्री के विरोधी पक्ष की सीट पर बैठने पर) आप उधर कैसे चले गये परसरामजी ! आपको तो इधर आना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इनके साथ आप भी आ जाइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि विभाग के जरिये माइनर इरिगेशन के काम में २६५.२१ लाख रुपयों की धन-राशि खर्च की थी। इसी तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना में ४६२.१ लाख रुपयों की धन-राशि खर्च करेंगे। यह वे योजनायें हैं जिनके जरिये नये कुओं को बनाना है, पुरानों की मरम्मत करानी है, छोटे रकबे के बांध हैं उनकी मरम्मत कराना, बनाना। बनाना हो तो आधा पैसा जनता देती है और आधा पैसा डिपार्टमेंट की ओर से सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। पम्पिंग सेट लगाना, बिजली के नये २ यन्त्र लगाना; तो ये जो चीजें हैं जिनके द्वारा खेती-बाड़ी को विशेष बल मिलता है, उनका विस्तार करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ साथ केमिकल फर्टीलाइज़र्स के बारे में एक-दो माननीय सदस्यों ने काफी कहा कि हमारा जो लक्ष्य था उसको हम पूरा नहीं कर सके। यह ठीक बात है, उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस साल के अन्त तक, तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष तक १ लाख टन नाइट्रोजन्स का टार्गेट माना था। उसी तरह फॉस्फेटिक फर्टीलाइज़र के लिए हमने ३५ हजार का टार्गेट रखा था। यह ठीक बात है कि हमारा यह फोर्थ ईयर था। अभी फिफ्थ ईयर बाकी है। फिफ्थ ईयर में हम ८० हजार टन नाइट्रोजन्स के प्राप्ति पर पहुंचना चाहते हैं और ३० हजार टन फॉस्फेटिक पर पहुंचना चाहते हैं। इस साल से पहले हमारे राजस्थान में एक स्थिति थी कि जितना फर्टीलाइजर हमको मिलता था हम उतना या उससे थोड़ा कम यूज कर पाते थे, लेकिन सदन को जानकर यह खुशी होगी कि इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए एक्सटेन्शन अधिकारियों, पंचायत के विकास अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा जनता का एक मानस बनाया गया। दूसरे फैक्टर्स भी फेवरेबल थे। अच्छी बरसात थी। कुओं और बांधों में पानी था। फर्टीलाइज़र्स की काफी अच्छी मांग राजस्थान में थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह साल ऐसा आया, आम तौर से हिन्दुस्तान में फर्टीलाइज़र्स के उत्पादन में कमी हुई; इम्पोर्ट्स हो रहा था, उसमें कमी हुई। जो भी उत्पादन हो रहा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

था उसकी भी मांग अधिक बढ़ी । नाइट्रोज़न जहां ८० हजार टन मिल जाय, वहां कम मिला । ५३ हजार के करीब । फर्टीलाइज़र भी कम मिला । पहली फसल को जहां फर्टीलाइज़र मिलना चाहिये था वहां न मिल सका और तीसरी और चौथी श्रेणी पर जाकर मिला । एक साल में जो परिवर्तन हुआ है उसका कारण माननीय सदस्यों का भी सहयोग रहा है, व्यक्तिगत तौर पर इन्ट्रेस्ट लेकर पंचायत समितियों में फैलाव करने की कोशिश की और उसके परिणाम स्वरूप पिछले साल २५ हजार टन, उससे पिछले साल १६ हजार टन ही काम में लिया गया, जहां १६५१ में ३०० टन ही था वहां १६६४–६५ में नाइट्रोजन्स ५३ हजार टन काम में लिया । इसकी मांग थी । और होता तो फैवरेबल सर्कमस्टान्सेज़ से काम में आ सकता था । लेकिन देश में कमी थी । भारत सरकार से कोशिश की । कहा कि लोग लाखों टन काम में ले रहे हैं, हमको भी कुछ और दे दीजिये । श्री नायडू, जो इसको डील करते हैं, उनके कृपापूर्ण तरीके से ३० हजार टन एडीशनल कोटा दूसरों का कट करके हमें दिया । फास्फेट जहां पहले ४५०० टन काम में लिया जाता था अब १५ हजार टन काम में लिया ।

दो-चार बातें इसके साथ साथ और जोड़ी गई हैं, उनका उल्लेख करना चाहता हूं । एक बात यह कही गई कि नमक मिला दिया गया और फर्टीलाइज़र मिलता है तो भी शुद्ध नहीं मिलता है, ठीक बात है । गंगानगर में यह हुआ है । एग्रीकल्चर विभाग के जिन अफसरों से इसका सम्बन्ध था हमने उनको सस्पेन्ड कर दिया है; जांच चल रही है और आगे ऐसी बात न हो, उसकी व्यवस्था की है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मेरा एतराज यह है कि एक महीने तक एस. पी. ने कुछ नहीं किया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सी. एम. साहब से कहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप ही कहिये । आपके महकमे का नुकसान हुआ है । हजारों बीघा में नमक डलवा दिया गया, वे बंजर हो गये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बढ़ा-चढ़ा कर कह रहे हैं । मैंने जांच करके कहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बागात में डाल दिया और पेड़ जल गये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, फटिलाइज़र में नमक की बात का एक केस हुआ है इन सारी तीन योजनाओं के अन्दर ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : गलत हुआ है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गलत का मैं नहीं कहता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने, बी० एस० सी०

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है, ८०० पौन्ड मिला दिया था उसकी जानकारी की है नरसिंहपुरा माजीवास में,.

श्री ...राम मिर्धा : आपने जिसका जिक्र किया उसके लिये मैंने कह दिया उसने गलत काम किया है तो उसके बारे में we will take action. उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब खास तौर से इस मुद्दे पर, जो कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा महत्व रखता है वह है प्लान्ट प्रोटेक्शन के मेथड्स कहूंगा।

राजस्थान जो सब मामलों में पिछड़ा हुआ था। जब राजस्थान बना उस समय रियासतों में दो-तीन रियासतों में ही कृषि विभाग था, बाकी की स्टेट्स में कृषि विभाग नाम की चीज तक नहीं थी। सिर्फ उस समय तक २०–३० अफसर थे और आज एक हजार कृषि अधिकारीगण काम करते हैं। तो ऐसी हालत में कृषि के लिये, इसको आगे बढ़ाने के लिये एक बड़े रिसर्च की आवश्यकता होती है। देश के अन्दर काफी रिसर्च सेन्टर्स थे। लेकिन यह जरूरी नहीं कि दूसरी जगह के रिजल्ट्स हमारे राजस्थान के अन्दर भी उसी प्रकार के आ जावें, यह नामुमकिन है। इसलिये राजस्थान में अपने पैरों पर हम स्वयं खड़ा होना चाहते थे, हमें रिसर्च का काम शुरू करना पड़ा। यह रिसर्च का काम दूसरी योजना के मिडल में शुरू किया गया है। पहली योजना में इसका कोई नाम तक नहीं था। दूसरी योजना के दो सालों में एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में कोई व्यवस्था नहीं थी। दूसरी योजना के तीसरे साल में हमने इसकी शुरुआत की, काफी बड़े पैमाने पर। हमने पांच रीजनल रिसर्च स्टेशन बनाये, किस प्रकार का बीज कामयाब होगा, कितना फर्टीलाइजर के डोजेज लगें तो सही रिटर्न दे सकता है, इस बारे में अनुसन्धान होना आवश्यक होता है। इसका काम जमा। जिसका परिणाम राजस्थान के किसानों के सामने है। आज से पांच साल पहले राजस्थान में कोई यह नहीं कह सकता था कि अमुक बीज अमुक इलाके लिये उपयोगी है। पिछले पांच सालों में जिस जिस प्रकार के बीजों की वैराईटीज को इवोल्व किया गया है जिनके नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

कितने उन्नत किस्म के बीज हमारी लेबोरेटरी से निकल चुके हैं और जो इफेक्टिव साबित हो चुके हैं। राजस्थान में ही नहीं, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं राजस्थान का एक गेहूं का बीज जो आर० एस० ३१–१ है, यह ऐसा बीज है जो चार बढ़िया किस्म के बीजों में, जो सारे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध हैं, उनमें एक हमारा यह बीज है। इसकी यह स्पेशल क्वालिटी है कि जिसको चार पानी देने के बाद, नाइट्रोजन डोज देने के बाद पर-एकड़ प्रोडक्शन किसी भी क्वालिटी से कम नहीं है। यह हमारे रिसर्च सेक्शन का फल है। इसके जोइन्ट डाइरेक्टर श्री भटनागर हैं जो माने हुए वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मेहनत करके गेहूं के आर. एस. ६ १११, जौ आर. एस. १७, बाजरा में आर. एस. ए. आर. एस. जे.। चने में आर. एस. १०। मक्का में भी वैराइटी इवोल्व की है। इन वैराइटीज को देश की अनुसधान परिषद् ने स्वीकार किया है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मूंग, अलसी, चावल आई. पी. १३० एच० आर० आई० जो पेडी के बारे में इवोल्व की गई है जो कोटा, गंगानगर इलाके के लिये बहुत अच्छी वैराइटी साबित हुई है, पर-एकड़ प्रोडक्शन ४५ से ५० मन तक आया है।

इसी प्रकार हमारे रिसर्च सेक्शन ने बीजों के अन्दर जो कीडे लग जाते हैं उनके बारे में भी अनुसन्धान किया है, कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन किया है, किस प्रकार की कीटनाशक दवाई किस प्रकार के कीटाणुओं को नाश कर सकती है, इसमें भी राजस्थान के अन्दर काफी प्रगति हुई है। राजस्थान की उदयपुर युनिवर्सिटी में इस बात का अनुसंधान किया गया है कि कौन से इन्सेक्ट्स फसल को फायदा पहुंचाते हैं और किन कीड़ों से नुकसान होता है। इस प्रकार की जानकारी के लिये राजस्थान में सबसे पहले रिसर्च स्टेशन कायम किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बाजरा में जो कीड़ा लग जाता है जिससे वह काला हो जाता है, जोगन लग जाती है, उसके लिये भी कोई इलाज है क्या ?

श्री विजयसिंह झाला : जोगन का इलाज जोगी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान सरकार ने बहुत पीछे काम शुरू किया लेकिन फिर भी हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने बीजों की कई वैराइटीज निकालीं उनको मल्टीप्लाइ कर रहे हैं।

जहां तक फार्म्स का ताल्लुक है हमारे राजस्थान में दो प्रकार के फार्म्स हैं, जिसके बारे में बड़े जोरों से कहा गया कि बड़े घाटे में चल रहे हैं। लायलपुर के मुकाबले में हमारे यहां कोई फार्म नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में दो प्रकार के फॉर्म हैं। एक तो हैं एक्सपेरिमेंटल फार्म और दूसरे सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म है। जिस गंगानगर के फार्म की आप बात कहते हैं वह एक्सपेरिमेंटल फार्म है।

दूसरे फॉर्म हमारे सीड मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म्स हैं जिसमें हमारी लेबोरेटरी से जो वैराइटी निकालते हैं उसको मल्टीप्लाइ उन फॉर्म्स में किया जाता है। सीड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में मैं छिपाना नहीं चाहता। राजस्थान के अन्दर ४०-४१ से ये फार्म्स पंचायत समिति के पास में है, वे फार्म्स उनको ट्रांसफर कर दिये गये। राजस्थान के अन्दर ये फार्म्स पहले ही हमने १०० एकड़ में रखे हैं जबकि हमारे पड़ौसी और अन्य प्रांतों में पच्चीस-पच्चीस एकड़ के ही रखे हैं, वे आज पछता रहे हैं सीड मल्टीप्लीकेशन के लिये वे छोटे हैं। हमने पहले ही १०० एकड़ का रख कर दूरदर्शिता की है। मैंने स्वयं ने इस बात के लिये जोर दिया कि किसानों की बढ़िया जमीन को, जो उन्होंने मेहनत के साथ तैयार की है, उसको न ली जाय और इस बिना पर हमने जितनी जमीन सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म्स के लिये ली है वह किसी भी किसान की जमीन को नहीं लिया है। इसके लिये जमीन का हमने स्वयं डेवलपमेंट किया, उन जमीनों को लिया जो बंजर थीं, उसको हमने डेवलप

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किया। इस प्रकार के फार्म्स को डेवलप करने के लिये राज्य सरकार को काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है।

श्री विजयसिंह झाला : तो बचने के उपाय हैं। आपको सक्सेस नहीं मिली, इसलिये आप किसानों पर डाल रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम अपनी कमी जहां है उसको स्वीकार करने में डरते नहीं। आप जरा पानी पीकर आ जाइये और ठंडे हो जाइये। इस प्रकार सीड मल्टीप्लीकेशन के लिये जो फार्म्स बनाये हैं उसके लिये बारानी जमीन ली है...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसे कितने फार्म्स हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ६० प्रतिशत हैं। नौतोड़।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां, नौतोड।

श्री नाथूराम मिर्धा : और वह भी पहाड़ पर होगा।

श्री विजयसिंह झाला : आप उनको समझावें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप आपस में समझ लें।

अब ये दिमाग कम रखते हैं। थोड़ा और चौड़ा करें आप।

श्री विजयसिंह झाला : आपसे तो चार गुना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सोइल कन्जर्वेशन, के दृष्टिकोण से, लेवल करने के दृष्टिकोण से, फेन्सिंग इत्यादि करने के दृष्टिकोण से मोडर्न प्लाऊ और ट्रैक्टर दिलाने के लिये हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। और इस साल करेंगे और उन फार्मों को जल्दी से जल्दी लेवल पर लाया जावेगा। इकोनोमिक दृष्टि से भी इनको ठीक किया जावेगा। इसके प्रति विभाग जागरूक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सीड मल्टीप्लीकेशन आपका टैक्निकल काम है और उससे सारा राजस्थान अफैक्टेड होता है। सीड मल्टीप्लीकेशन के आंकड़े कम होते जा रहे हैं तो यह गलती क्यों की कि इनको पंचायत समितियों को हैण्ड ओवर कर दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने देख लिया कि वे असमर्थ हैं इसलिये हमने वापिस ले लिया है। ६० परसेन्ट ट्रांसफर हो चुके हैं और बाकी जल्दी से जल्दी टेकओवर कर लेंगे। हम मैग्जिमम सीड अच्छी क्वालिटी का तैयार करेंगे और फिर उसे हम अपने रजिस्टर ग्रोअर को भेजेंगे ताकि वहां से वे आगे देकर सब जगह बांट सकें।

सीड डिस्ट्रिब्यूशन की बात कही। खास तौर से शिकायत की गई कि जमवा-रामगढ़ में देर से पहुंचा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सारी गलतियों को स्वीकार करता हूं क्योंकि लास्ट ईयर सीड के डिस्ट्रिब्यूशन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में राज्य सरकार की हालत काफी कमजोर थी क्योंकि पिछले साल अकाल का वर्ष था। फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने बावजूद सारी कठिनाइयों के पंजाब से एक लाख मन, राजस्थान में चने का ६३ हजार मन बीज इकट्ठा करके बांटा। गेहूं का बीज १६२ हजार मन बांटा, बाजरे का २३ हजार, ज्वार का २६ हजार मन बांटा। और कुल मिलाकर ३,५६,०६० मन बीज बांटने की कोशिश की।

और इस कोशिश में थोड़ा घटिया भी दिया, यह सोच कर कि कहीं किसान का रकबा पैदावार का घट न जावे, खेत पड़े न रह जावें। इस दृष्टिकोण से जितने साधन उपलब्ध थे सारे काम में लेकर बीज का वितरण किया।

श्री विजयसिंह झाला : आप बता दीजिये कि जो बीज वितरित करते हैं उसके लिये आप किसको रेस्पोन्सिबल ठहराते हैं। पंचायत समिति को पूछते हैं तो वे एग्रीकल्चर विभाग को बता देते हैं। कृषि विभाग को पूछते हैं तो वे पंचायत समिति को बता देते हैं। गांव वालों को यह पता नहीं किसको रेस्पोन्सिबल आप मानते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पंचायत समिति के भी एक्सटेन्शन ऑफिसर हैं, बी. डी. ओ. हैं, सही ढंग से बीज का वितरण हो, यह जिम्मेदारी उन पर भी है और यों तो सारी जिम्मेदारी सरकार की है ही।

श्री विजयसिंह झाला : मेरा एक सुझाव है इसके लिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह डुप्लीकेसी है। सीड पर्चेज में एन्टायर रेन्पोन्सिब्लिटी किसी की नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा टोटल रेस्पोन्सिब्लिटी बी. डी. ओ. और एक्सटेन्शन ऑफिसर की है।

श्री विजयसिंह झाला : पर टेक्निकल गाइडेन्स तो एग्रीकल्चरल विभाग की है। रेस्पोन्सिबल तो दरअसल आप हैं। पंचायत समिति की तो वितरित करने की रेस्पोन्सि-ब्लिटी है। आप खुद खराब खरीदते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बीज, खाद के मामले को लेकर बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ आलोचनाएं कीं। कहने लगे कि बीज का और खाद का पुराना हिसाब नहीं मिलता। है नहीं। मैं निवेदन कर दूं कि ऐसी बात नहीं है। राजस्थान के बनने के बाद पहली योजना से लेकर दूसरी तक खाद और बीज के वितरण के सिलसिले में उतार-चढ़ाव आये हैं। व्यवस्थाएं भी बदली हैं। तो इस पृष्ठ भूमि को हमें यह कहने से पहले ध्यान में रखना होगा। वितरण की व्यवस्था पहली योजना में हमारे विभाग की तरफ से होती थी। अब विभाग ने कितना बांटा इसके आंकड़े नहीं हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। हैं, पर उनको रिकवरी में जो तेजी करनी चाहिये थी वह नहीं की। इसलिये यह दिक्कत है। इसमें भी दो-चार जिले के आंकड़े मुख्य रूप से हैं बनते हैं, सवाई-माधोपुर है, गंगानगर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके विभाग का दोष इतना ज्यादा नहीं है पर दोष यह

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है कि लगातार तहसीलदार से आप वार्षिक रिपोर्ट मंगाते रहे और कई जगह तहसीलदार ने रिपोर्ट नहीं भेजी। गंगानगर में इससे अब गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। रेकॉर्ड डेस्ट्रॉय कर दिये गये हैं और लिस्टें सब्मिट नहीं कीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं है। आपको आगे मैं बता रहा हूं, उससे सन्तोष हो जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिन्होंने दे दिया, उनसे भी अब रेकॉर्ड के अभाव में दुबारा रिकवरी हो रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये मुझे खेद है। चाहता हूं कि इस स्थिति में सुधार किया जावे। इसलिये एडीशनल स्टाफ लगाकर भी पुराना अकाउन्ट्स, जो बिखरा पड़ा है, उसको ठीक करने के दृष्टिकोण से उनको लगाया है और जिनमें निकलता है उनसे वसूल करने की ताकीद भी की जा रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी एक अर्ज है वह गम्भीरतापूर्वक आप पहले सुन लीजिये। आपके विभाग का एटीट्यूट यह रहा है कि रिकॉर्ड देने से इन्कार कर दिया। तहसीलदार पदमपुर ने रिकवरियां निकाल कर दी हैं। लोगों ने पेमेन्ट कर दिया, रसीदें उनके पास हैं, फिर भी रिकवरियां हो रही हैं। तो पहले इनको आप रुकवाइये। आज किसान को डबल दे करना पड़ रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : रुपयों की और वसूली हो नहीं सकेगी यह तो तथ्य से परे है। यह वसूली पंचायत समितियों और तहसीलों के मार्फत होगी। अब कहां कितना क्या क्या निकल रहा है, इसकी जांच-पड़ताल हिसाब की हो रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो इस एन्क्वायरी के दर्मियान जो रिकवरी इस तरह हो रही है उसको तो रुकवाइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : रिकवरी तो सबकी एक आॅर्डर से रोक नहीं सकता। हां, ऐसा कोई हार्ड केस हो और आपके पास उसकी जानकारी हो तो आप बताइये, अगर ऐसा हार्ड केस हैं वाकई में तो उसकी वसूली रुकवा देंगे।

हिसाब करना तो बाप-बेटे का काम है। राज और किसान का भी हिसाब होगा तो जनरली तो आॅर्डर नहीं हो सकता। हार्ड केस में सोचा जा सकता है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से यह खाद और बीज के वितरण की व्यवस्था के बारे में कहा। विभाग से लेकर कोआॅपरेटिव और पंचायत समितियों के पास यह काम आया।

उनके अब जो कोआॅपरेटिव के मेम्बर नहीं हैं उनको भी खाद दिया जा सकता है। ग्राम सेवक दे सकता है। एक मियाद उसकी रखी है। बी० डी० ओ० २५० तक दे सकता है तो ज्यादा से ज्यादा किसानों

(श्री नाथूराम मिर्धा)

को और ठीक टाइम पर बीज और खाद मिल सके, इस तरफ हमारा पूरा पूरा ध्यान है। इसको ध्यान में रख कर गांवों में खाद और बीज के सुरक्षित रखने के भंडारों के लिये, १०० भंडारों की व्यवस्था उनके निर्माण करने हेतु अलग अलग हिस्सों में की है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाइम के ऊपर आपकी लिमिट है कि कम से कम खेती होने के पहले अमुक टाइम से उनको बीज दे दिया जाये, ऐसी लिमिट कर सकते हैं कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह किया है। खेती शुरू होने से पहले २० दिन, महीने भर पहले सबको मिल जाये, इसकी व्यवस्था है और वह ठीक ढंग से सब जगह है और उसके लिए जागरूकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय निकल जाने के बाद बीज के वितरण की व्यवस्था होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ इलाकों की आप कह सकते हैं।

श्री हीराभाई : हमारे यहां तो २० हजार रुपये आये थे......

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मंत्रीजी ने कहा कि कुछ एरियाज में इस प्रकार की कमी रही है और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के जो महत्वपूर्ण अंश हैं और जो कुछ बातें कहीं उसके बाद जो कुछ सरकार ने किया और भी सोइल कन्जर्वेशन के टार्गेट्स हैं उनको पूरा किया है।

एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में जो वर्कशोप हमने राजस्थान में बनाया है इस सदन के माननीय सदस्य महरबानी करके उसको देख सकें तो मैं उनकी बड़ी कृपा समझूंगा। इस वर्कशोप के जरिये हमने जो कुछ काम शुरू किये हैं, १६६०-६१ में इस वर्कशोप को सेट-अप किया था जिसमें हम काफी बड़े पैमाने पर काम चाहते हैं। इस वर्कशोप में पहली साल में हमने १ लाख रुपये के इम्प्लीमेन्ट्स बनाये और इस साल १२ लाख रुपए के औजार इस वर्कशोप में बनायेंगे और आने वाले सालों में जो हमने टार्गेट्स रखे हैं उसके मुताबिक २५ लाख के औजार बनाने का लक्ष्य रखा है। यह हमारा यंत्रालय हिन्दुस्तान में अपनी किस्म का एक ही है और राजस्थान इस बारे में काफी गर्व कर सकता है। जिसमें टेक्निकल अच्छे इन्जीनियर्स हैं और जो किसानों के प्रोसेसिंग करने के सिलसिले में, प्लोइंग करने के सिलसिले में, उनकी मशीनों के रिपेयर के सम्बन्ध में, उनके पुराने औजारों को रिपेयर करने के सिलसिले में, काफी काम होते हैं। इसलिए इस वर्कशोप को और ज्यादा तेज गति से बढ़ावा दिया जाये, ज्यादा से ज्यादा नये किस्म के औजार इसके द्वारा किसानों के हाथों में पहुंचे, कुट्टी के औजार पहुंचे विनोवर के औजार पहुंचे, इस प्रकार की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

व्यवस्था हमने अपने यहां इस यंत्रालय में की है और मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को निमंत्रण देता हूं और जो टैक्निकल औजारों में इन्टरेस्टेड हैं तो आपके सुझाव किसी भी वक्त में आप जाकर हमारे टैक्निकल इन्जीनियर को बता सकते हैं और उनमें किस प्रकार की कमियां हैं और आप कैसे औजार चाहते हैं, यह सब आप वहां जाकर अपने सुझाव के रूप में बता सकते हैं.......

श्री विजयसिंह झाला : यह ग्रामीण क्षेत्रों में जो औजार खराब हो जाते हैं...

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये इस यंत्रालय में सारी व्यवस्था है।

श्री विजयसिंह झाला : लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो मशीनें खराब हो जायें तो क्या उनको वहां से उठाकर यहां इस यंत्रालय में लायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, अभी हमारी पांच यूनिटें काम कर रही हैं और हम उनकी संख्या और बढ़ाना चाहते हैं और सब जिलों में करना चाहते हैं ताकि हम उनके ट्रैक्टर्स की, और दूसरे मशीनों की ज्यादा से ज्यादा रिपेयर कर सकें। पर सारे काम एक दिन में नहीं होते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपका आइडिया काबिले तारीफ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : फोर्थ फाइव ईयर प्लान के एण्ड तक सारी जगह ये यूनिट्स काम करने लग जायेंगे। छोटे ट्रैक्टर्स हमारे देश में नहीं बनते लेकिन जैसा आपने पढ़ा होगा कि छोटे ट्रैक्टर्स बनाने के बारे में भारत सरकार इसके लिए चिंतित है कि ५ होर्स पॉवर से लेकर १०-१२ होर्स पॉवर तक के ट्रैक्टर्स देश में ही ज्यादा से ज्यादा बनें.......

श्री विजयसिंह झाला : बाहर से मंगवा सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेहरबानी करके बैठे रहें तो अच्छा रहे। आप सदन का समय बहुत लेते हैं। मैं आपकी बुद्धि की बहुत तारीफ करता हूं। सूझ आप की बहुत तेज है और दूसरी दिशा में तो बहुत ही तेजी से काम करती है।

श्री दयाचन्द सोन (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, सुनते ही नहीं हैं। अभी टाइम खत्म हो जायेगा और मण्डियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप शांति रखिये। कुछ तो मण्डियों के बारे में सुबह कह दिया और कुछ अब कह दूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुछ पाडों के बारे में भी कह दीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सोइल, कन्ज़र्वेशन जो कि एक अहमियत का विषय है जिसमें खास तौर से चम्बल के रेवेजेज़ के रिक्लेमेशन का काम हाथ में लेना चाहते हैं, दूसरे कुछ सोइल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कन्जर्वेशन के प्रोग्रामों में गन्टूर बांध के सिलसिले में, टैरेस बांध के सिलसिले में और जमीन के दूसरे कटावों को रोकने के सिलसिले में काफी बड़े पैमाने पर तीसरी पंचवर्षीय योजना तक इसमें प्रगति हो रही है। जो कुछ रिपोर्ट हमने इस सम्बन्ध में सर्क्यूलेट की है उसके जरिये देख लें तो मालूम होगा कि राजस्थान की सरकार तेज गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसमें अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है....

श्री गिरधारिलाल व्यास (आसींद) : कॉटन पैकेज प्रोग्राम के बारे में कहें और पंचायत समिति आसींद में बीज का वितरण किया ही नहीं; न स्टाफ दिया, न साधन दिये, वह प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह पैकेज प्रोग्राम पाली के अलावा ६ जिलों में और शुरू किया है, जिसमें गेहूं का पैकेज भी है, बाजरे का भी है, कपास का भी है, ज्वार का भी है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने कॉटन के लिए कहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कभी तो शांति रखो। घर में ही पूछ लेना, सब बता दूंगा। बीज भी दे दूंगा, खाद भी दे दूंगा। जहां शुरू किया है सब होगा। तो खास तौर से पैकेज प्रोग्राम के जिलों के सिलसिले में कुछ तहसीलों में इस साल थोड़ा चला और कुछ पंचायत समितियों में अगली साल हो जायेगा। इस तरह से हम ६ जिलों के अन्दर खास तौर से जिन क्रॉप्स को लिया है उसके अलावा भी दूसरी क्रॉप्स में भी इन्टेन्सिव वर्क हो, जिसमें सिंचाई की व्यवस्था, फर्टीलाइजर की व्यवस्था विशाल पैमाने पर इन जिलों के अन्दर कृषि के उत्पादन के लिए करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से कृषि के बारे में रेग्युलेटेड मार्केटिंग की बात कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान के अन्दर आज से ३ साल पहले एक भी रेग्युलेटेड मार्केट नहीं था और आज राजस्थान के अन्दर करीब ५२ रेग्युलेटेड मार्केट राजस्थान में कायम किये हैं और वह कानून इस सदन ने पास किया है और पास किये हुए कानून के नीचे इस प्रकार की व्यवस्था की है कि इस प्रकार के मार्केट यार्ड्स का निर्माण किया जायेगा। जहां एक मार्केटिंग कमेटी होगी उसको हम लोन के रूप में धन एडवान्स देंगे और सब्सीडी के रूप में भी मदद करेंगे और वह कमेटी उन इलाकों में जहां इस प्रकार के रेग्युलेटेड मार्केट होंगे वहां यार्ड बनायेगी और फेसिलिटीज की व्यवस्था करेगी और किसानों को मार्केट के अन्दर जो पुरानी परम्पराओं के अनुसार जिस प्रकार की लागें लगती हैं उनको हटाकर, उन चीजों में कमी करके, जो किसानों की लूट होती है उसको बन्द करेंगे। यह उस कानून का मुख्य उद्देश्य था और इस कानून के नीचे ५२ मंडियों को रेग्यूलेट किया है। राजस्थान में १३२ मन्डियां हैं जिनमें से ११० मन्डियां 'ए' क्लास की हैं और आने वाले साल के अन्त में कम से कम ४०-५० मन्डियों को हम और रेग्युलेट कर देंगे, ऐसा

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमारा लक्ष्य है। जिसकी वजह से जो मन्डियों में तुलाई है, दूसरे लागत हैं, धर्मादा है, कटता है कि जिसके जरिये किसानों को काफी लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है उससे उनको बचा सकें...

श्री दयाचन्द सोन : बारां में किया या और भी कहीं किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोटा में किया, बारां में किया, बूंदी में किया, नागौर में किया, पीपाड़ में किया, जोधपुर में किया, मेड़ता में किया और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाये तब तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

(५. म. प.)

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिए बारां से आने वाले माननीय सदस्य काफी चिंतित हैं कि बारां की मंडी को क्यों रेग्युलेट कर दिया...

श्री दयाचन्द सोन : बिल्कुल गलत बात आपने कही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप हल्ला करेंगे उससे मैं मानने वाला नहीं हूं। आपको कह दिया कि यह हमारी नीति है रेग्युलेट करने की। इसलिए रेग्युलेट करते हैं तो हम्मालों ने हड़ताल कर दी, इसलिए हम्मालों का क्या हो रहा है, तो मैंने सूचना मंगाई है तो मेरे पास सूचना आई है वहां की मंडी के सेक्रेटरी और मार्केटिंग ऑफिसर की कि वहां पर किसानों ने यह कहा है कि यह हम्माल जिनको पहले वे ढुलाई का १० पैसा देते थे तो हम तो अब आठ ही पैसा देंगे। अगर ८ पैसे में काम करना है तो करें और अगर नहीं करते हैं तो हम हमारी बोरियां खुद ही उठा लेंगे और किसानों ने बोरियां खुद ही तोलना शुरू कर दिया। हम्माल हड़ताल करके बैठ जायें तो बैठे रहें। किसान अपनी बोरी उठाकर खुद ही ढो सकता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आप बिल्कुल गलत वक्तव्य दे रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमारे पास भी पत्र आते रहते हैं, तार आये हैं और टेलीफोन आते रहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके तार और टेलीफोनों को फाइल कर दिया है। किसानों ने कह दिया कि वे १० पैसा देंगे नहीं। अगर ८ पैसे में उनको करना है तो करें और नहीं करना है तो न करें।

श्री दयाचन्द सोन : आपकी बात सच नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ही सच्चाई के अवतार हैं और मैं झूठा हूं।

आप, आपकी ही बात समझायेंगे या मेरी बात भी समझेंगे। आपको ही जोश आ रहा है और सदन के सब माननीय सदस्य तो राजी हो रहे हैं।

तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मंडी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम्मालों की हड़ताल की धमकी देकर किसानों का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

शोषण करना चाहते हैं कि उनको १० पैसा बोरी दें तो किसान खुद ही इतना मजबूत है कि वह बोरी उठा सकता है।

श्री दयाचन्द सोन: आप भी उठा सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं आपके तार टेलीफोन की चिन्ता नहीं करता। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा कि मंडियों को रेग्युलेट किया जायेगा, कितना ही वे विरोध करें लेकिन उसको नहीं रोकेंगे, क्योंकि इस सदन का पास किया हुआ कानून है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बारां की मंडी को रेग्युलेट करने के बाद जहां किसानों पर लाट ढाई रुपया था...

श्री उपाध्यक्ष: (श्री दयाचन्द सोन और कुछ सदस्य के खड़े होकर बोलने पर) आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर स्पष्टीकरण का कोई पोइंट हो तो बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन भाषण के बीच में डिस्कशन करना, यह कोई परम्परा नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इनका भी विरोध सही है क्योंकि एक्स्प्लॉइटिंग क्लास पर चोट पड़ती है।

श्री नाथूराम मिर्धा: इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने कहा कि मंडियों में तुलाई वगैरह की लागतें १००) रु० पर ढाई रुपया के करीब थी कड़दा, धर्मादा, तुलाई, मजदूरी, हम्माली वगैरह के। तो मंडी कमेटी वहां पर बनी है तो उन्होंने इन सेसेज को कन्ट्रोल किया है और वहां अब १००) रु० के पीछे लागें डेढ़ रुपया है, और इस कटौती की वजह से उस मंडी के किसानों को एक साल में ३ लाख का फायदा हो गया।

इसके लिए शोषण करने वालों के प्रतिनिधि हल्ला करें तो....

श्री विजयसिंह झाला: उपाध्यक्षजी, मैं इसका घोर विरोध करता हूं, यह जो कृषि मंत्रीजी ने कहा कि शोषण करने वालों के प्रतिनिधि बैठे हैं, वे शब्द वे वापिस लें। उनके कहने का तात्पर्य यह नहीं था। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि....

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने कोई बुरा शब्द नहीं कहा है। उपाध्यक्षजी, इन सबको आप कन्ट्रोल करें, नहीं तो मेरा समय सुबह तक हो जायेगा।

(जनसंघ के कुछ माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज!

श्री हरिप्रसाद शर्मा: जागते चित्र हैं राजस्थान में...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): आपके कहने से १० पैसे दे दें?

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज!

श्री गिरधारीलाल व्यास : किसानों को कैसे लुटवा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! आप व्यवस्थित रहें ।

श्री विजयसिंह झाला : इनको निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : वह हो चुका है । ऑर्डर प्लीज !

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं सोचता हूं कि मुझे इस मसले पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप विचार कीजिये कि चोट मजदूरों को पहुंच रही है । अगर व्यापारियों पर...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मजदूरों को कौन पैसा देता है ? किसान !

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय गोकुलप्रसादजी । ऑर्डर प्लीज़ ! Please leave this to the Chair.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं बोलता हूं तो आप कह देते है, लेकिन इनकी तरफ कुछ नहीं किया जो कि घंटे भर से सेठों की दलाली कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं कहते हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सेठों की दलाली है या मजदूरों की पैरोकारी है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! आप भाषण सुनें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सारी जांच करके आपको निवेदन किया है । बिना जांच के मैं कोई बात नहीं कहता । पूरी जांच करके और पूरे फैक्ट्स मालूम करके आपसे यह निवेदन किया है । इसलिए मैं सोचता हूं कि मैंने कृषि की डिमाण्ड पर इतने तथ्य सदन के सामने रखना काफी होगा । बहुत सी बातें और कही जा सकती हैं । मैं एक एक योजना पर बहुत ज्यादा बातें कह सकता हूं, लेकिन उसका समय नहीं है, इसलिए मैं पशु-पालन के कटौती प्रस्तावों पर आना चाहता हूं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : एक प्रश्न है साधारण सा उसका आप बता दें । भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, चित्तौड़ की मंडियों को रेग्युलेट क्यों नहीं किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर करेंगे अगले साल में ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप भीलवाड़े के बारे में नहीं बोलेंगे । वहां ढाई रुपया सैंकड़ा किसानों से लेते हैं । उनको उनसे छुट्टी दिलायें ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसका भी इन्तजाम होना चाहिए । किसानों से धर्मादा ले लेते हैं लेकिन व्यापारी उसको खा जाते है । वहां पर इसका इन्तजाम होना चाहिए ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर को साथ में नहीं लगाते हैं । सुखाड़िया साहब के इलाके के लिए भी कुछ होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय गोकुलप्रसाद ! आप व्यवस्थित रहें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इधर वालों को कहें आप। मैं तो आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहस न करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, पशुपालन के सम्बन्ध में....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ओन ए पोइंट ऑफ इन्फोर्मेशन,....

श्री उपाध्यक्ष : I won't allow this point of information. आप भाषण के अन्त में जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ऑर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल व्यास : अन्त में आप इजाजत देंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं कृषि के बाद पशु-पालन की तरफ जो कुछ कटौती के प्रस्तावों के सिलसिले में यहां पर बहस में उठाये गये मुद्दे हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं।

खास तौर से पशु-पालन के बारे में बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य कुछ विशेष कृपा रखते हैं। मैंने आगे भी उनका भाषण सुना। अब तो वे चले गये पता नहीं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मैं सुन लूंगा और कह दूंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्हें इस बात से बड़ी नाराजगी रहती है कि पशु-पालन विभाग का फैलाव क्यों कर रहे हैं ? पहले वह एग्रीकल्चर विभाग के साथ जुड़ा हुआ था तो कम खर्चा था। अब १० गुना खर्चा बढ़ गया है। इस विभाग के पास मोटरें और जीपें क्यों हो गई हैं ? माननीय उपाध्यक्षजी, एक तरफ तो यह...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पशु ज्यादा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री नाथूराम मिर्धा : एक तरफ तो यह कहना कि डॉक्टर क्यों बढ़ा रहे हैं, मोटरें क्यों बढ़ा रहे हैं, एक तरफ यह कहना कि अधिकारीगण क्यों बढ़ा रहे हैं ? खर्चा क्यों बढ़ा रहे हैं ? दूसरी तरफ यह गिना जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन है। हिन्दुस्तान की कुल संख्या का राजस्थान में १० परसेन्ट है, उसमें सुधार होना चाहिए, उनकी नस्ल सुधारना चाहिए, उनका दूध बढ़ाना चाहिए, अंडे बढ़ाने चाहिए।

एक तरफ आप यह चाहते हैं और दूसरी तरफ यह चाहते हैं कि विभागों के पास मोटरें बढ़ें, नीचे विभाग के कार्यालय खोलें और जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट है वह रिसर्च का काम अपने हाथों में लें। मैं समझता हूं, यह कोई दलील नहीं है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा, आज भी हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा हमारे राजस्थान में पशुधन है···

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वह तो बूचड़-खानों में कट रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी आप शांति से विराजिये। जहां कट रहा है वहां जाकर भूख हड़ताल करिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : भूख हड़ताल क्यों करें? आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां जाकर भूख हड़ताल करें। वहां जाते नहीं हैं और यहां हल्ला करते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप उन बूचड़खानों को बन्द करवायें।

श्री नाथूराम मिर्धा : यहां तो कट नहीं रहे है, जहां कट रहे हैं वहां जाइये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपके सामने हम कहते हैं कि बूचड़खानों में पशु कट रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे यहां नहीं कटते हैं, न हम कटवाते हैं। राजस्थान में बिल्कुल नहीं कटवाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! बीच बीच में वार्तालाप न करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सदन के अन्दर जिस प्रकार चल रहा है उससे सदन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है। यह सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। पहले मन्त्री महोदय को शांति से सुन लिया जाय, ऐसा नहीं होता है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको व्यवस्था करनी है...

श्री उपाध्यक्ष : वह व्यवस्था में कर रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसका पालन पूरी तरह से करवा दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष आप हैं या ये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ऑर्डर !!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : (आश्रव्य)

श्री विजयसिंह काला : उपाध्यक्ष महोदय, गोकुलप्रसादजी को बाहर निकाल दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान में इतनी अहमियत है बैल की कि कृषि के विकास के लिए आज भी बैल राजस्थान के अन्दर खेती का एक मुख्य अंग है। तो बैलों के सुधार के दृष्टिकोण से, गाय और भैंस के सुधार के दृष्टिकोण से और अण्डों के विकास के दृष्टिकोण से, क्यों कि यह हमारा एक इम्पोर्टेन्ट फूड है, इसी तरह से ऊंटों के विकास के दृष्टिकोण से हमको हमारे इस महकमें का विकास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ऑफिसर्स के मानस का भी विकास करना जरूरी है। विकास के द्वारा सुधार लाने के लिए इन योजनाओं का फैलाव होना बहुत जरूरी है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय , बुनियादी तौर पर जब हम पशुधन के विकास की बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों को जो एनीमल हस्बेंड्री के बेसिक सिद्धान्त हैं उनसे भलीभांति परिचित होना चाहिए। जानवरों के सुधार का दृष्टिकोण है, उसमें हम किसी जानवर की नस्ल को ले लें, उसके लिए तीन-चार चीजों की मुख्य रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी; एक तो जानवरों को अच्छा खाने को मिले, दूसरे जानवरों को बीमारियों से अच्छी तरह बचाने का मौका मिले, तीसरे जानवरों की राजस्थान में जो कुछ हालत है उसमें नस्ल सुधारने के अच्छे तरीके काम में लाये जायं और चौथे मादाओं के साथ नरों का क्रॉस करवाया जाय ताकि नस्ल उन्नत हो और आखिरी तौर पर खराब जानवरों का सिलेक्शन किया जाय, उनको ब्रीड आउट किया जाय और उनके लिए अलग व्यवस्था करके, उनको अच्छे जानवरों से अलग कर दिया जाय ताकि उनके कारण जो किसान की आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ रहा है उससे उसे बचाया जा सके। इन तीन-चार सिद्धान्तों को हम अपनायें तो मैं समझता हूं कि हम पशु-धन को सुधार सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर गायों की संख्या, जैसा सदन के माननीय सदस्यों ने कहा, पिछले दस वर्ष पहले १ करोड़ ६ लाख थी, वहां १ करोड़ ३१ लाख नफरी में बढ़ोत्तरी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आठ किस्म की गायें हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं, जिसमें कांक्रेज नस्ल है, एक थरपारकर है। बैल के दृष्टिकोण से थरपारकर अच्छी नहीं है। हरियाना की नस्ल है, वह अच्छी है। खास तौर से दूध की दृष्टि से थरपारकर और राठी की नस्ल है। बैल के दृष्टि से नागौर की नस्ल है जो दूध की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो यह जो सब नस्लें हैं इनके अन्दर सुधार करें और जो घटिया किस्म के सांड हैं, जो शाम को बैल और सुबह सांड होते हैं-इस प्रकार के सांडों को हमें बधिया करना पड़ेगा। सबसे पहले बधिया करने का प्रोग्राम राजस्थान में हाथ में लिया गया और राजस्थान में दो साल से अलग अलग इलाकों में केस्ट्रेशन का काम हम कर रहे हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिए बधाई। नाकारा सांडों को बधिया करने का धन्धा शुरू किया है, इसलिए बधाई !

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दो-तीन सालों से टीमों का गठन होकर जो केस्ट्रेशन का प्रोग्राम राजस्थान के अलग अलग जिलों में हाथ में लिया है, तो हमारे राजस्थान में छब्बीस लाख इस प्रकार के घटिया जानवर हैं जिनको हमने बधिया कराया है...

श्री विजयसिंह झाला : खाली एक प्रश्न आपकी आज्ञा से पूछना चाहता हूं जिससे आप नाराज न हो जायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कतई नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप बाद में पूछें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यहां से उठूंगा नहीं जब तक आपके प्रश्न खत्म नहीं हो जायें। पहले आप मुझे कह लेने दें दिल भरके ।

इसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खराब किस्म के जानवरों को बधिया करने का प्रोग्राम एनीमल हस्बेन्ड्री ने एक बड़े पैमाने पर, एक विशाल पैमाने पर राजस्थान के सब इलाकों में लिया है, चाहे किसी किस्म के नर पशु हों, बैल, सांड, ऊंट, घोड़ा, बैल-इनमें जो भी खराब जानवर हैं उन सबको हम बधिया करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छे सांड वितरित करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से यहां पर कहा गया और खर्च के आंकड़े बताये गये। इस प्रकार सांडों पर खर्च करते हैं, इतना ज्यादा सांडों पर खर्च किया जाता है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो पाडे की बात कही कि अठारह सौ एक पाडे पर खर्च करते हैं। मैं समझता हूं कि इन बातों का तजुर्बा हमें करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में वह दिन जल्दी से जल्दी आये जब एक सांड की पांच हजार, दस हजार, कीमत हो, एक पाडे की कीमत तीन हजार हो और घोड़े की कीमत दस हजार, बीस हजार हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार की बढ़िया किस्म के सांडों को हम प्रोत्साहन दें, बढ़ावा दें। उनके पालन-पोषण पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें ताकि उनके जरिये से नस्ल उन्नत हो। इसके लिए हम कई स्कीम्स के अन्दर काम करते हैं।

इसके लिए अलावा हम जो गाय, भैंसों के लिए लोन देते हैं उसकी काफी आलोचना की गई है। यह कहा गया कि लोन का परिणाम वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए था। कई फॉर्म बने, वह ठीक से नहीं चले, वह घाटे में चल रहे हैं। इन सब बातों का जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सभी घाटे में चल रहे हों और कहीं पर भी कोई ठीक काम नही कर रहे हैं, यह सही नहीं है। लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि कहीं कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है और सारी बातें ठीक हुई हैं–इसका दावा मैं नहीं करता हूं। लेकिन आम तौर पर ठीक-ठीक और अच्छे परिणाम सामने आये हैं, जिसमें लोगों ने बैल और सांड अच्छे तैयार करके सरकार को दिये हैं।

गोशालाओं को जो एड दी जाती है उसके लिए कहा गया कि जो एड दी जाती है वह जैसी मर्जी में आवे वैसे दे दी जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एनीमल हस्बेन्ड्री द्वारा जिस काम के लिए भी एड दी जाती है उन सब के लिए नियम बनाये हुए हैं और उन नियमों के अनुसार ही एड दी जाती है और उसमें यह होता है कि अमुक साल में वसूल की जायगी या इतने किश्तों में ले ली जायगी। इसके परिणाम अच्छे रहे हैं। हमारे यहां पर सांडों की कमी है, राजस्थान में जरूरत पूरी करने के लिए करीब ४२–४३ हजार सांड चाहिये। जिनको हम पेडिग्री बुलस कह सकते हैं वह १६–१७ हजार उपलब्ध हैं। इसलिए हम मंजिल की ओर जा रहे हैं और सांडों के नम्बर में तेजी से विकास करना चाहते हैं।

Page No 131

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अब चराई के दृष्टिकोण से कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि चम्बल की नहर आ गई है और कई कारणों से इतना इलाका चराई के लिए नहीं रखा गया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने चराई के प्रश्न को लेकर, गोचर भूमि के प्रश्न को लेकर कई मुद्दे उठाये। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ साथ हमें भी सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। हमें अब वैज्ञानिक तरीकों को जानवर पालने के लिए अपनाना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि कहीं पर कोई पहाड़ी है तो गाय वहां पर सारा दिन चरे। सुबह उसका पाव, आधा पाव दूध दुह लिया जाय और बाद में उसके डंडा मार कर पहाड़ी पर निकाल दिया। वहां दिन भर चर कर आ जाय तो शाम को दूध ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बहुत से इलाकों में पशुओं की इस तरह दुर्दशा हो रही है। जो अपने आपको गौ भक्त कहते हैं, जो अपने आपको गाय के सेवक और हिमायती कहते हैं उनके यहां जो पशु हैं उनकी यह दुर्दशा हो रही है....

श्री विजयसिंह झाला : वह आपकी वजह से है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, सब कुछ हम ही करते हैं। आप तो सोने की बात करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : उन के बारे में आप योजना नहीं बनाते हैं, इसलिए हल्ला करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम कहना चाहते हैं कि अगर अच्छी तरह से जानवरों को पालना चाहते हैं तो हमें सब जानवरों को वैज्ञानिक तरीकों से पालने की ओर कन्सेन्ट्रेट करना पड़ेगा और हमें चराई के लिए अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। चम्बल के क्षेत्र में जो इलाके आ गये हैं वहां तो बहुत आसानी होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री फतेहसिंह (चोहटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सब को रोका है।

श्री फतेहसिंह : मैं अभी तक बोला नहीं हूं। पहली बार बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। अन्त में प्रश्न पूछ लें।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : भैंस का।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सब कह रहा हूं। मुझे कहने दें। मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार किसी पशुधन को सुधारने के लिए हमें अच्छा चारा खिलाना होगा और उसके लिए अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब हम गोचर भूमि के भरोसे पशुओं की नस्ल को उन्नत नहीं कर सकते हैं।

हम पहाड़ों के अन्दर फोरेस्ट की जमीन में अपने पशुओं को चरा कर उन्नति नहीं कर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकते। हमको हमारे जानवरों को स्टॉल फीडिंग करना होगा और इसके लिये किसानों को जहां तक हो सके अपने कुओं और खेतों पर घास लगा कर या पैदा करके अपने जानवरों को फीड करना होगा, यदि वे अपने पशुओं को मजबूत और निरोग रखना चाहते हैं। हमने अभी हाईब्रीड नेपीअर घास का एक्सपेरिमेन्ट किया है और यह बहुत सफल सिद्ध हुई है जानवरों को मोटा बनाने में। माननीय सदस्य ने स्वयं ने भी इसमें दिलचस्पी ली है। यह हाईब्रीड नेपीअर घास अफ्रीका में प्रयोग में ली जाती है। यह जानवरों के लिये बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है। अफ्रीका से हमने हमारे यहां मंगाकर इसका प्रयोग किया। यह घास बहुत फैलती है और इसको हमने बाजरा में डाल कर जानवरों को खिलाया है और इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला है। इसको सिवाय विन्टर को छोड़ कर महीने में दो पानी देकर पूरे साल भर के लिये ३ हजार मन चारा पैदा कर सकते हैं। आप इस घास को ज्यादा से ज्यादा कुओं पर और इरिगेशन केनाल्स पर लगा सकते हैं क्योंकि यह बहुत फैलती है। इसमें प्रोटीन और शुगर की मात्रा बहुत अच्छी है और जानवर इसको बड़े आनन्द से खाते हैं। अफ्रीका में जहां एक एकड़ में एक जानवर भी नहीं रख सकते थे वहां पर अब एक एकड़ में इस घास को पैदा करके बहुत से जानवर रखे जाते हैं और फीड किया जाता है। मेरे जितने भी एनिमल हस्बेन्ड्री के फॉर्म हैं जो काफी बड़े पैमाने पर हैं उनमें इस घास को काम में लिया जाता है। इसकी जड़ गन्ने की जड़ की तरह से बहुत फैलती है। इस लिये इसकी हमने हमारे सारे फॉर्मों पर व्यवस्था की है। आप उन फॉर्मों से ज्यादा से ज्यादा घास अपने इलाकों में ले जाकर जल्दी से जल्दी किसानों में इसका प्रचार करें और किसानों को इसका फायदा समझावें और उनको यह सुझाव दें कि यह घास बहुत अच्छी है जानवरों के लिये और उनको इसका प्रयोग करने के लिये आगे बढ़ावें और समझावें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विशियस सर्कल है। जिस गाय का दूध जो जंगल में चर कर आती है पाव लेते हैं उसी गाय का दूध वगैर उसको खिलाये—पिलाये कैसे बढ़ सकता है ? वह तो अच्छा खिलाने पिलाने से और उसको अच्छे नर के साथ लगाने से ही होगा और जब उसका दूध बढ़ेगा तो हमको भी ज्यादा फायदा होगा और हम उस गाय को जो पाव दूध देती थी, जब ५ सेर दूध देगी तो उस दूध से मक्खन निकाल कर या उस दूध को बेच कर उसका घी निकाल कर उस गाय को भी अच्छा बांटा खिला सकेंगे और अपना भी फायदा हो सकेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अच्छा दूध देने के दिये उनको अच्छा घास और अच्छा बांटा खिलाने की ज़रूरत है और इसके लिये यह घास बहुत अच्छा है। इसके अलावा इस घास को आप बहुत समय तक कुतर करके भी रख सकते हैं और क्वालिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। इस घास की क्वालिटी को सभी दुनिया के देशों ने अच्छा पाया है और वे काम में ले रहे हैं। आप देखते हैं कि बाहर जो गायें पहले हमारे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

यहां की गायों से बहुत कम दूध देती थीं वे ही गायें वहां पर आज ३० सेर से १।। मन तक रोजाना दूध देती हैं। हमारे यहां बीकानेर की भेड़ें थी जो हमारे बीकानेर से आस्ट्रेलिया में जाकर मेरिनोभेड़ें बनीं और आज उन भेड़ों पर से १० पौंड से ३५ पौंड ऊन उतरता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इनका वर्गीकरण करना चाहिये और अधिक पशुपालन पर बल देना चाहिये। बिचोलियों का मार्जिन कम करना चाहिए। राजस्थान में ४८ मिलियन पौड ऊन पैदा होती है। यदि हम इसका ठीक तरह से वर्गीकरण करें तो मैं कह सकता हूं कि ३० पर्सेन्ट ऊन का यार्न के रूप में प्रयोग किया जा सकता है इसके अलावा राजस्थान में जानवरों के सुधार के लिए यूजलेस जानवरों को रोकने का प्रयत्न किया है और यूजलेस जानवरों को बधिया करने और उनको गौशाला में भेजने के लिये भी प्रबन्ध किया गया है। इस प्रकार के तरीके एनिमल हस्बेन्ड्री अपनावेगा तो बहुत लाभ हो सकता है मगर इसका मतलब माननीय सदस्य यह नहीं सोचने लगें कि एक ही दिन में ऊंटों का डबलीकरण, दूध का ट्रीप्लीकरण एक ही दिन में हो जावेगा। यह एक दिन में होना सम्भव नहीं है। इसके लिये हमें काफी अर्से तक प्रयत्न करने पड़ेंगे।

जानवरों की बीमारी की रोकथाम के लिए और उनके इलाज के लिए हमने ११५ औषधालय खोले हैं और नये हॉस्पिटल्स १५ हर साल के हिसाब से खोलते चलेंगे और चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में २५ की रफ्तार से खोलते हुए चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक जिले में करीब करीब एक चल पशु-चिकित्सालय हो। माता के टीकों का गांवों में जानवरों पर बहुत अच्छा असर पड़ा है। करीब करीब १ करोड़ और कई लाख जानवरों के माता की बीमारी होती थी जो हर गांव में देखते थे कि पुराने रूढ़ीवाद के अनुसार हर एक गांव में एक हड्डी सी लटकती रहती थी जिसके नीचे से जानवरों को निकाला जाता था और यह मानकर निकाला जाता था कि माता को दूर जानवरों को इसके नीचे से निकाल कर दूर की जा सकती है। इस बीमारी से लाखों जानवर मर जाया करते थे। इसलिये तीसरी, चौथी योजना में कोई भाई-भतीजावाद इसमें नहीं आता, कोई मोटरों में घूमने की बात इसमें नहीं है। मगर राजस्थान के किसानों की सेवा करने की दृष्टि से इस महकमे का विकास हुआ है और आगे भी करना जरूरी है। एक करोड़ की धनराशि को दूसरी योजना में, दो करोड़ की धनराशि को तीसरी योजना में और ३।। या ३।।। करोड़ खर्च करेंगे और चौथी पंचवर्षीय योजना में १६ करोड़ रुपयों का फोलो-अप प्रोग्राम पशुधन के लिये काम में लेना चाहते हैं। इसमें समय लगेगा। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो शीप एक दिन में नहीं; लगातार १५० वर्षों के प्रयत्नों के बाद कम से कम १० पौंड और ज्यादा से ज्यादा ४० पौंड ऊन देती है। इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आलोचना करने की दृष्टि से आलोचना आपको करनी है, करें। मगर सही आलोचना करें। आपका कर्त्तव्य है कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आप उनको सही सलाह दें लेकिन मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि आप जानते हुए भी जनता में इस प्रकार का गलत प्रचार न करें। हमारे यहां ज्यादा लोग अनपढ़ हैं और हमको उनको आगे बढ़ाना है। उसके लिये आप और हम कोशिश करेंगे। ऐसा न हो कि आपके इस गलत प्रचार से कहीं वे लोग पिछड़ न जावें। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आलोचना करें, मगर सही आलोचना करें।

इसी प्रकार से पोल्ट्री के बारे में कई बातें कही गईं। यह कहा गया कि इतने अन्डे बच्चे हो गये और इतना रुपया इस पर खर्च होता है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोल्ट्री में सरकार ने काफी तरक्की की है। आज जयपुर में राउन्ड अबाउट १५ या २०, जोधपुर में राउन्ड अबाउट १५ या २०, उदयपुर में राउन्ड अबाउट १५ या २० अन्डे बेचने के लिये कोऑपरेटिव स्टोर हैं और इतनी मात्रा में राजस्थान में अन्डे पैदा होने लग गये हैं कि एक एक कोऑपरेटिव स्टोर के पास ८ हजार अन्डों का स्टोर पड़ा रहता है। अन्डों की कीमत भी बहुत कम है। अन्डे की कीमत बहुत कम रखी है फिर भी बिकते नहीं। हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। आपने सस्ते फीड की बात कही, इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सस्ता फीड है।

(श्री मोतीलाल चौधरी व माननीय मंत्री द्वारा परस्पर वार्तालाप के पश्चात्)

यह दूसरी बात है।

महंगा फीड की बात आपने कही, इसके लिये हमें इस बात की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिये कि इस प्रकार के फीड को हम सस्ता कर सकें। हमने एक एक मशीन लगा कर इस काम को चालू रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मच्छियों के बारे में कहा गया कि राजस्थान में फिशरीज के लिये बड़ा स्कोप है। मैं मानता हूं कि वास्तव में फिशरीज के लिये बड़ा स्कोप है और फिशरीज से लगभग १ करोड़ की आमदनी राजस्थान के राजस्व में कुछ ही प्रयत्नों से बढ़ाई जा सकती है। फिशरीज के बारे में दो साल के आकड़े रखे हैं कि पिछले साल से पिछले साल ७ लाख की आमदनी थी वह पिछले साल ५॥ लाख की आमदनी हुई तो एक साल में १॥ लाख की कमी हो गई, उन्होंने जयसमन्द के ठेके का कहा, मैं समझता हूं जयसमन्द के ठेके के मामले के सम्बन्ध में मैं बहुत अच्छी तरह से सदन में एक्स्प्लेन कर चुका हूं। जो उसका एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेन्ट के जो क्लॉजेज थे उनको समझ लीजिये, इस ठेकेदार को ठेका दिया था ३१ हजार में। ५ साल के लिये ठेका गया था उसमें यह शर्त थी कि ५ साल खत्म होने के बाद अगर ६ महीने पहले ही यह महानुभाव ठेके को रिन्यू करने की दर्ख्वास्त दे देते हैं तो उन्हें वह ठेका उन्हीं शर्तों पर दिया जायगा ?

श्री विजयसिंह झाला : क्यों ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं, उदयपुर दरबार को पूछिये।

श्री विजयसिंह झाला : दो साल पहले योजना मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इस साल यह ठेका नीलाम किया जायगा, फिर यह ठेका उसे क्यों दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस प्रश्न पर गया ही नहीं हूं और बोलने लग गये । शर्त को समझ लीजिये । उसमें यह शर्त थी कि ५ साल उनके खत्म होते हैं, उसके पहले ही, ६ महीने पहले वही ठेकेदार अगर अपने ठेके को रिन्यू करने के लिये दर्ख्वास्त दे देगा तो ठेका उसको दिया जायगा, उसने ६ महीने पहले ही दर्ख्वास्त ठेके को रिन्यू करने के लिये दे दी और उसको ५ साल के लिये ठेका देना पड़ा, इस तरह ठेके के दस साल हो गये, फिर उसको ऑक्शन करना था । दस साल के बाद रिन्यूवल का प्रश्न हाथ में लिया तो सैकन्ड एक्स्टेन्शन के वक्त में जो ऑर्डर लिखा गया था उसमें यह लिखा गया कि उन्हीं टर्म्स पर ठेका दिया गया । उन्हीं शर्तों का उसने यह इन्टरप्रिटेशन लिया कि जिस तरह ६ महीने पहले दर्ख्वास्त देने पर ५ साल के लिये ठेका दिया गया था उसी तरह फिर ५ साल के लिये दिया जाय ।

श्री विजयसिंह झाला : सैकन्ड ठेका तो आपने किया था, फिर उसमें यह क्यों किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने शर्त थोड़े ही डाली थी । गवर्नमेंट ने शर्त डाली ।

श्री विजयसिंह झाला : गवर्नमेंट भी तो आपकी ही है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, गवर्नमेंट हम हैं, हमने यह लिखा कि उन्हीं टर्म्स पर यह ठेका एक्स्टेन्ड किया जाता है । हमने देखा कि १० साल खत्म होते ही ठेका खत्म हो गया । जब हम तालाब को ऑक्शन करने गये तो ठेकेदार कोर्ट में चला गया और उसी प्रश्न को वहां उसने उठाया कि उन्हीं टर्म्स और कन्डीशन्स पर ठेका दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि ६ महीने में रिन्यूअल की दर्ख्वास्त अगर वह दे देता है तो ठेका उसी के नाम दिया जाय । स्टे ऑर्डर कोर्ट ने दिया । कोर्ट की ओर लॉ डिपार्टमेंट की यह सलाह रही कि ३० हजार के बजाय ५० हजार पर पांच साल के लिए उसी को और ठेका दे दिया जाय । लॉ डिपार्टमेंट की सलाह से यह एग्रीमेन्ट किया...

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इन्टरप्रेटरीज कौन थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने समझा दिया, जो कुछ आपके दिमाग में है वह है । कोर्ट ने उन्हीं टर्म्स और कन्डीशन्स का इन्टरप्रेटेशन यह लेकर यह फैसला किया उसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं । यह ठेका खत्म होने पर यदि माननीय सदस्य ५ लाख रुपया मिलायेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी; आप सब लोगों में घूम घूम कर प्रचार कीजिये, ऑक्शन में जितना ज्यादा धन दिलायेंगे उतना ही राजस्थान को लाभ होगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप उस आदमी का नाम बता दीजिये,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जो इस प्रकार की टर्म्स को डिसाइड करने के लिये जिम्मेदार है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हुक्म एनीमल हस्बेन्ड्री का है।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : अगली दफा एग्रीमेंट हो तो हाउस में आप यह कह दें कि अगली दफा यह नहीं होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब कोई एग्रीमेंट का प्रश्न नहीं है, उनकी मयाद खत्म होने जा रही है, दूसरे ठेकों की तरह इस ठेके का भी ऑक्शन किया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला : सिग्नेटरी कौन थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सिग्नेटरी बी. एन. हांडा, एक्स डाइरेक्टर एनिमल हस्बेन्डरी थे।

श्री विजयसिंह झाला : उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री नाथूराम मिर्धा वे आपकी कृपा से चले गये।

श्री विजयसिंह झाला : इतना बड़ा लोस राजस्थान को लाखों रुपयों का कर गये और आपने कुछ भी एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया और अब कहते हैं कि चले गये।

श्री नाथूराम मिर्धा : कॉन्ट्रेक्ट सर्विस पर थे वे चले गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रामगढ़ के बन्धे का क्या है, बन्ध आपका और मछलियां महाराजा की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे मामले आज ही क्यों कर रहे हैं,....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : महारानी गायत्री देवी पर महरबानी क्यों है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में मत्स्य की बढ़ोत्तरी का काफी स्कोप है, नर्सरी फॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा बनाकर रिसर्च के जरिये, पोन्डलिंग्स के जरिये विकास किया जाय तो १० साल के बाद में फिफ्थ प्लान के अन्त तक एक करोड़ तक की आमदनी राजस्थान की आमदनी में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। इसके लिये सरकार और विभाग जागरूक है। इसके लिये २० लाख का प्लान रखा था, उसके बजाय ६-७ लाख हो गया, कोर का सबसे ज्यादा हिट मत्स्य विभाग पर रहा।

अब मैं थोड़ा पिगरीज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पिगरीज का एक यूनिट खोला है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बड़ा अन्याय किया है जो सूअरों का यूनिट खोला है, जनसंघ वाले कोई बोलते नहीं; माननीय अब्दुल जब्बार को यह बहुत बुरा लगेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : श्री अब्दुल जब्बार कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे, मुसलमान ऐसी गलती नहीं करते।

श्री नाथूराम मिर्धा : पिगरी फूड का एक बहुत बड़ा जरिया है। पिगरी को बढ़ावा देने के लिये चार-पांच साल पहले हमारे राजस्थान में एक यूनिट चालू किया था, बस्सी में उसका सेंटर है, ७५० सूअर वहां हैं, जिनमें मादाएं भी हैं। जो छोटे लोग इस धन्धे को करते हैं, उनके लिये यह एक काफी अच्छी आमदनी का सोर्स है, पुरानी ब्रीड का परम्परागत रूप से ये लोग यह काम करते रहे हैं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप तो यह धन्धा शुरू मत करो साहब, औरों से करवाओ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो ब्राह्मण हैं. आपको गिला हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : आप करो।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो करूंगा, मुझे सब वर्गों के लोगों का ख्याल है। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को इससे आमदनी मिले, धन्धा मिले; यह सरकार की नीति है। पिगरी हमारा इम्पोटेन्ट फूड मेटिरियल है। मैं आपको बताऊं, यदि एक जानवर को ६ महीने तक अच्छी तरह से खिलाया-पिलाया जाय तो उससे ७००, ८०० रुपयों की आमदनी होती है, कम से कम एक जानवर २५०–३०० पाउन्ड का निकलता है। इससे इस तरह सात सौ, आठ सौ रुपयों की आमदनी होती है इसलिये हम चाहते हैं कि लोगों को इससे फायदा मिले।

एक माननीय सदस्य : आपको कितना फायदा मिला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने शुरू किया है, मैं शुरू नहीं करूंगा तो लोगों का उत्साह कैसे बढ़ेगा ?

इसलिये सरकार चाहती है कि हमारे यहां पिगरी का कारखाना लगे, हमारा डेढ़, दो साल में शुरू करने का इरादा है, ताकि पिगरी का फैलाव राजस्थान में हो जाय। ५-६ साल हो गए हैं। हमारे करीब ८०–६० अच्छे सांड और ऊंट तैयार हो रहे हैं। आज सात साल के बाद उनकी कीमत हो रही है, काफी अच्छे जानवर हैं जो नस्ल सुधारने के लिए वितरित करेंगे। घोड़ों के बारे में आपने कहा कि सांड घोड़े होने चाहिए। मैं खास तौर से चम्बल इलाके वालों से कहना चाहता हूं कि आपके इलाके में घोड़े और घोड़ियां ज्यादा हैं, अगर आप नस्ल बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छी घोड़ियों के लिए ओस्ट्रेलियन घोड़े और छोटी घोड़ियों के लिए अच्छे गधे दे सकता हूं, ये सब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम आ सकते हैं। ६ महीने का जानवर काफी अच्छी रकम देता है। करीब ७५० रुपये एक घोड़ा देता है। ४० घोड़े और नौ घोड़ियां यदि एक इलाके में रजिस्टर करवा लें तो हम आपके यहां सांड घोड़े और गधे भेजने को तैयार हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसका उद्घाटन कौन करेगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सांड, गधे आपके पास काफी हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, हैं। खास तौर से झालरापाटन से आने वाले माननीय

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सदस्य ने उस इलाके के अन्दर चेचट और सुनेलपुरा के लिए कहा कि एक फार्म शुरू कर रहे हैं और म्युनिसिपैलिटी से कुछ मिलना चाहिये। मेलों का विकास भी स्थाई तरीके से करना जरूरी है। एक माननीय सदस्य ने सुझाया कि मेलों के अन्दर आने वाले व्यापारियों को, किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, पीने के पानी की बिजली की ताकि किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो। इसलिए मैं म्युनिसिपैलिटी वालों से कह सकता हूं हम उनको कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनकी इन्कम पर भी असर पड़ेता है लेकिन वे आकर हम से बात करें। झालरापाटन के मामले को सुलझाने की हमारी नियत है। इस तरह से पशुपालन के बारे में जो स्कीम्स हैं उनका मैंने थोड़ा सा ब्योरा जिक्र किया। मैं चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य दिलचस्पी लें सदन में सही जानकारी रखें और सदन के बाहर भी सही जानकारी लोगों के पास पहुंचाएं तो उससे राजस्थान के लोगों का भला होगा। इस लिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्तावों को समेट लें और इन मांगों को पास करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : Point of information...

श्री उपाध्यक्ष : No point of information.

श्री अल्दाराम मीणा (सुमेरपुर-सु.) : यह जो बताया....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डरप्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३१-कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ३,५६,८८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृति)

मांग संख्या १८ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३३--पशुपालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,९७,५७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

मांग संख्या १९ स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३९ मुख्य शीर्षक ९५–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबध में ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

Page No 139

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को १८,०५,००० रु० तक की धन-राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित की जाती है

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.४७ बजे कल दिनांक २६ मार्च,१६६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५१४ का उत्तर देखिये)

जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों की सूची

(१)	श्री मोतीलाल बोराज (जयपुर) उप सरपंच	गिरफ्तार हुए।
(२)	श्री रामस्वरूप मालपुर (झुंझुनूं) सरपंच	,, ,,
(३)	श्री हरदीन (नागौर) उप सरपंच	,, ,,
(४)	श्री धनराज आमेट (उदयपुर) पंच	,, ,,
(५)	श्री फसनखां खुईला (जैसलमेर) पंच	नजरबंद हुए
(६)	श्री गनीखां खेरूवाला ,, सरपंच	,, ,,
(७)	श्री भोलूराम, प्रधान, पंचायत समिति, करणपुर (गंगानगर)	,, ,,
(८)	श्री पतराम रोहड़ा थला, गंगानगर सरपंच	,, ,,
(९)	श्री अजीतसिंह, २७ जी. सी., गंगानगर सरपंच	,, ,,
(१०)	श्री अमरचन्द, विजय नगर सरपंच	,, ,,
(११)	श्री भागीरथ, देलवा (गंगानगर) सरपंच	,, ,,
(१२)	श्री सादुलसिंह, नग्गी (गंगानगर) सरपंच	,, ,,
(१३)	श्री केसरीसिंह, पंचायत समिति, बीकानेर का कोऑप्टेड मेम्बर	,, ,,
(१४)	श्री हरिकिशन राठी, महदेव वाली, बीकानेर सरपंच	,, ,,
(१५)	श्री नोसराराम, करणीसर सरपंच	गिरफ्तार हुए
(१६)	श्री करतारसिंह चोपलावली (गंगानगर) पंच	,, ,,
(१७)	श्री हुकमीचन्द जैन, सदस्य, नगरपालिका, सिरोही	,, ,,
(१८)	श्री हरिराम चौहान, राजस्थान विधान सभा सदस्य।	नजरबन्द हुए।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ का उत्तर देखिये)

वर्ष	अल्प आय गृह निर्माण योजना			स्लम क्लियरेंस			सबसीडाइज्ड औद्योगिक गृह निर्माण योजना			रु० लाख में ग्राम गृह नर्माण योजना धनराशि
	रु० ऋण	ग्रान्ट	योग	ऋण	ग्रान्ट	योग	ऋण	अनुदान	योग	
१९६१–६२	२०–७१	—	२०–७१	२–००	१–००	३–००	५–००	५–००	१०–००	१९–००
१९६२–६३	३०–४२	—	३०–४२	१–३३	०–६७	२–००	०–८१	११–९०	१२–७१	१३–००
१९६३–६४	१२–९९	—	१२–९९	०–७५	०–७५	१–५०	१०–२६	०–८६	११–१२	३–००
योग:—	६४–१२	—	६४–१२	४–०८	२–४२	६–५०	१६–०७	१७–७६	३३–८३	३५–००
अनुमानित										
१९६४–६५	७–५५	०–४५	८–००	—	०–०७	०–०७	३–००	३–००	६–००	२–००
१९६५–६६	९–२५	०–७५	१०–००	०–७५	०–७५	१–५०	२–७५	२–७५	५–५०	२–५०

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२३ का उतर देखिये)

निर्णय साधारण सभा दिनांक १०-६-६३ बाबत श्री ज्ञानचन्द पिगोलिया सहायक सहकारी प्रसार अधिकारी का पत्र। श्री पिगोलिया जी ने लिखित में बताया कि मैं दि० २३-५-६३ को ग्राम सभा कराने टोडा मीणा पंचायत गया था। वहां सार्वजनिक स्थान टोडा के कुंड हैं जिनमें मैंने पानी पिया और स्नान किया। इस पर वहां के बहुत से लोगों ने अमानवीय व्यवहार करने की कार्यवाही की। पंचायत सचिव के सहयोग से मैं गांव में आया था। इस घटना पर समिति ने खेद प्रकट किया। श्री भैरूलाल भारद्वाज ने कहा कि आज के इस युग में एक शिक्षित व्यक्ति और समिति के अधिकारी के साथ ऐसी घटना घटे इससे दुख है। हम सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिससे समाज में छुआ-छूत की भावना दूर हो। श्री छीतरमलजी अध्यक्ष समाज कल्याण ने कहा कि जब अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार हो, जन-साधारण के साथ तो क्या होता होगा। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे भविष्य में दूसरों में सीख मिले। श्री विकास अधिकारी ने श्री सरपंच टोडा मीना से जानकारी चाही कि आप इस मामले में जो कुछ जानते हैं स्पष्ट करें। उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। निर्णय लिया कि श्री सहायक सहकारी प्रसार अधिकारी कानूनी कार्यवाही कराना चाहते हैं। अतः इस हेतु उच्च अधिकारियों को लिख दिया जावेगा। एस० डी० प्रधान पंचायत समिति, ज० रा० ग०।

———

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

राणा प्रताप सागर डेम के निर्माण कार्य का एग्रीमेन्ट

५२७. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री उत्तर देने का कष्ट करें:—

(१) राणा प्रताप सागर डेम के निर्माण हेतु सरकार व मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के मध्य जो इकरार हुआ था, उसे सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उक्त एग्रीमेन्ट को अन्तिम रूप कब दिया गया व कब विधि विभाग की सहमति प्राप्त हुई ?

(३) सीमेन्ट की सप्लाई के संबंध में सरकार का कम्पनी से क्या समझौता हुआ था ? क्या कम्पनी उस समझौते का पालन कर रही है ?

(४) खाली बोरियों के बाबत क्या इकरार था ?

उत्तर

(१) राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण हेतु सरकार व मॉडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के मध्य जो इकरार हुआ है उसकी एक प्रति साथ में संलग्न है।

(२) कम्पनी व राज्य सरकार के मध्य प्रोवीजनल एग्रीमेन्ट १-५-६२ को हुआ था एवं विधि विभाग की कानूनी सलाह सितम्बर १९६४ में प्राप्त हुई।

(३) सीमेन्ट की सप्लाई के सम्बन्ध में सरकार का कम्पनी से यह समझौता हुआ था कि यदि कम्पनी चाहेगी तो उसे सीमेन्ट कोटा रेल्वे स्टेशन सीमेन्ट फेक्ट्री की दर जो १५-२-६१ को लागू थी; दे दिया जावेगा और ऐसा करने पर कम्पनी को सीमेन्ट कोटा से रावतभाटा गोदाम तक अपने खर्चे पर ले जाना होगा या यदि कम्पनी चाहेगी तो सीमेन्ट रावत भाटा स्टोर्स से भी निर्धारित दर अनुसार जो कि एग्रीमेन्ट में बताई हुई है ले सकेगी। कम्पनी इन समझौतों का पालन कर रही है।

(४) खाली बोरियों के सम्बन्ध में कम्पनी से कोई इकरार नहीं किया गया था।

प्राचीन मूर्तियां चुराने वालों का गिरोह

५२९. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर के आसपास प्राचीन मूर्तियां चुराने वालों का कोई गिरोह कार्य कर रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि नागदा के प्राच्य मंदिर से छेनी से काट काट कर मूर्तियां निकाल कर चुराई गई हैं ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(३) यदि हां, तो कितनी मूर्तियां चुराई गई ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस संबंध में अहमदाबाद के एक सेठ की जीप पकड़ी गई, जिसका व्यापारिक संबंध अमेरिका में है ?

(५) पुलिस ने इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की ?

(६) क्या यह सही है कि केन्द्र के आर्कियोलोजी विभाग ने लिखकर यहां की पुलिस की मदद इस मामले में मांगी ?

(७) यदि हां, तो क्या राज्य की पुलिस ने उनको मदद दी ? तथा चोरों का पता लगाने के लिये क्या किया ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) केवल एक मूर्ति चुराई गई थी ।

(३) केवल एक ।

(४) जी नहीं ।

(५) अथक प्रयास के बाद भी चोर या मूर्ति का पता नहीं लगा तब अन्वेषण बंद कर दिनांक १८-११-६४ को अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया ।

(६) जी नहीं । किन्तु इस चोरी की सूचना केन्द्र के आर्कियोलोजी विभाग के अधिकारी ने ही दी थी और मंदिर भी उन्हीं की देख-रेख में था ।

(७) पुलिस ने मामले में पूरी छानबीन की किन्तु चोरों का या मूर्ति का पता नहीं लग सका ।

मांगरोल में नगरपालिका बनाने का विचार

५३०. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि ग्राम मांगरोल जिला कोटा की आबादी ८०००-१०,००० के करीब है ?

(२) क्या सरकार मांगरौल (जिला कोटा) में नगरपालिका बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जावेगी, और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जनगणना विभाग की सूचनानुसार जन-संख्या ८,१६४ है ।

(२) ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

खेडा जागीरी का पुनर्ग्रहण तथा भूमि का मुआवजा

५३१. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री उदयलाल वर्दिया)

(१) क्या यह सही है कि सलूम्बर तहसील, जिला उदयपुर में गांव केनर में राजकीय विला नाम जमीन का पांच सौ बीघा जंगल मय वृक्षों के जिसका फर्जी पट्टा भूतपूर्व जागीरदार खेड़ा से कुछ व्यक्तियों के नाम पर तहसीलदार सलूम्बर ने विक्रम संवत् २००५ का करा कर तथा उसका इन्तकाल तस्दीक करा कर हजारों रुपयों के राज के हरे वृक्ष काटने की कार्यवाही शुरू कर रखी है ?

(२) क्या यह भी सही है कि हजारों काश्तकार इस कार्यवाही के विरुद्ध तहसील सलूम्बर में कई बार आकर कार्यवाही को बदलने के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं ?

(३) क्या अब इस जमीन के लिए राजकीय स्तर से पट्टा नाजायज़ करार करने के लिये कोई कार्यवाही हो रही है ?

(४) क्या यह भी सही है कि खेड़ा के जागीरदार ने जागीर रिजम्पशन के वक्त सम्वत् २०११ में इस बात की जागीर विभाग को सूचना नहीं देकर इस भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लिया था ?

उत्तर

१. जी नहीं ।

२. जी नहीं ।

३ जी हां ।

४. जी नहीं ।

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

५३२. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि स्वतंत्रता दिवस १९६२ को कुचामन शहर के सार्वजनिक मैदान में उपाध्यक्ष नगरपालिका श्री हरिबक्ष मानधनियां ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया ?

(२) क्या यह सही है कि बरवक्त ध्वज फहराते श्री मानधनियां पर श्री गिरधारीलाल शर्मा ने हमला किया एंव इस प्रकार से की गई नाजायज़ हरकत से शांति भंग ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी किया गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि स्थानीय पुलिस अधिकारीगण भी उस वक्त जलूस में मौजूद थे किन्तु अपराधी के विरुद्ध जान-बूझ कर कोई कार्यवाही नहीं की ?

(४) क्या यह भी सही है कि शिकायत होने पर भी आज तक सरकार ने उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान नहीं किया गया क्योंकि श्री गिरधारीलाल शर्मा ने श्री मानधनियां पर कथित हमला राष्ट्रीय ध्वज के बंदन एव राष्ट्रीय गान के पश्चात् किया था ।

(३) जी नहीं । उक्त अवसर पर कोई पुलिस अफसर वहां मौजूद नहीं था ।

(श्री गृह मंत्री)

(४) उक्त मामले की रिपोर्ट पहुंचने पर मुकदमा स्थानीय पुलिस द्वारा कायम कर तफतीश शुरू की गई। मुकदमा अभी तक जेर तफतीश है जिसका शीघ्र ही निर्णय होने की आशा है।

हनी-ड्यू रेस्टोरेन्ट माउन्ट आबू

५३३. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि माउन्ट आबू पर हनी-ड्यू (Honey Due) रेस्टोरेन्ट की इमारत वहां की नगरपालिका की सम्पत्ति है ?

(२) यदि हां, तो यह रेस्टोरेन्ट १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में कितने वार्षिक किराये पर किस किस व्यक्ति को दिया गया है ? इसे किराये पर दिये जाने के क्या नियम एवं शर्तें थीं ?

(३) क्या उपरोक्त रेस्टोरेन्ट की इमारत में कुछ परिवर्तन भी किये गये हैं ? यदि हां, तो कब कब ? क्या ये परिवर्तन शर्तों के अनुसार हुए हैं ? तथा क्या ये परिवर्तन टाउन प्लानर द्वारा दी गई योजना के अनुसार थे ?

उत्तर

(१) जी हां। हनीड्यू रेस्टोरेन्ट की इमारत नगरपालिका की सम्पत्ति है।

(२) १९६१-६२, १९६२-६३ में श्री प्यारे लाल गुप्ता को ३,०००) वार्षिक किराये पर तथा १९६३-६४, १९६४-६५ में आधा भाग श्री के० डी० सदरंगानी (हनीड्यू रेस्टोरेन्ट) व आधा भाग राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट्स एम्पोरियम को क्रमशः १७२०) व २०००) वार्षिक किराये पर दी गई। अगस्त १९६४ से हनी ड्यू रेस्टोरेन्ट के भाग का किराया १७२०) से बढ़ाकर १८००) कर दिया गया है। किरायें के शर्तनामे की प्रति संलग्न है।

(३) उपरोक्त रेस्टोरेन्ट में अप्रेल-मई, १९६४ में कुछ परिवर्तन टाउन प्लानर की अनुमति से किये गये थे।

लगान की माफी

५३४. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नीम-का-थाना तहसील में ग्राम छाजा के नांगल के चारों ओर १५ मील के इर्दगिर्द व खास छाजा नांगल के ग्राम में कितनी बार लगान की माफी व कमी सन् १९५० के पश्चात् आज तक किन किन कारणों से की गई ?

उत्तर

नीम का थाना ग्राम छाजा के नांगल के चारों ओर १५ मील के इर्दगिर्द व खास छाजा के नांगल के ग्राम में वर्षा की कमी के कारण सम्वत् २०१३ में खरीफ डिमाण्ड में से ६ आने प्रति रुपया की माफी दी गई थी।

(श्री राजस्व मंत्री)

सम्वत् २०२० रवी की फसल जाड़े की वजह से खराब हो जाने के कारण लगान में छूट दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कोर्ट-ऑफ-वार्ड्स बीकानेर के ठिकाना महाजन के खाते से जागीरों का ऋण

५३५. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) सन् १९४८ से ५० तक कोर्ट ऑफ वार्ड्स बीकानेर ने ठिकाना महाजन के खाते से किन किन जागीरों को कितनी कितनी धनराशि कर्ज के रूप में दी ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त जागीरों के मुआवजे में से उपरोक्त धनराशि काट लिये जाने के बावजूद भी अब तक ठिकाना महाजन के जागीरदारों को नहीं लौटाई गई है ? अगर हां, तो उपरोक्त धनराशि मय ब्याज के उन्हें कब तक लौटा दी जायगी ?

उत्तर

ठिकाना महाजन के खाते से निम्न-लिखित जागीरों को उनके सामने अंकित धन-राशि कर्ज के रूप में दी:-

१-जागीर लोहा जिला चूरू ११००)
२-जागीर झरिया ,, ,, २४५०)
३-जागीर थिरपाली ,, ,, २५०)
४-जागीर सांरुड़ा जिला बीकानेर ६५००)
५-जागीर जैतपुर ,, ,, १५००)
६-जागीर डूंगराना जिला गंगानगर ११५५)
७-जागीर मोजेवाला जिला ,, १०००)
८-जागीर न्योलखी ,, ,, २०००)

[२] जागीर सांरुड़ा और मोजेवाला के कर्ज की रकम ठिकाना महाजन को लौटाई जा चुकी है। ठिकाना न्योलखी के मुआवजे की रकम में से ठिकाना महाजन के कर्ज की रकम काट ली है और अदायगी की कार्यवाही की जा रही है। डूंगराना, झिरिया व लोहा के मुआवजे से कर्जे की रकम काट ली गई है। परन्तु महालेखापाल कार्यालय ने एडजस्टमेन्ट स्लिप प्राप्त न होने के कारण ठिकाना महाजन को पेमेन्ट नहीं हुआ है।

थिरपाली का मुआवजा कम बनने के कारण कर्जे की रकम वसूल नहीं हो सकी। जैतपुर के मुआवजे की रकम सरकारी बकाया के पेटे जमा हो जाने के कारण कर्ज की रकम वसूल नहीं हो सकी।

तहसील मांगरोल की नगदा माइनर में आई भूमि का मुआवजा

५३७. श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील मांगरोल में नागदा माइनर में कितने लोगों की जमीन अवाप्त की गई ?

(श्री दयाचन्द सोन)

(२) क्या यह सच है कि जो जमीन अवाप्त की गई थी उसका अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला ?

(३) यदि हां, तो क्यों व कब तक मुआवजा मिल जायेगा ?

उत्तर

(१) तहसील मांगरोल में नागदा माइनर में ३० काश्तकारों की करीब ७२ बीघा बाराणी नहर के निर्माण में आई है।

(२) जी हां, भूमि अवाप्त होने की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण मुआवजा नहीं चुकाया जा सका है।

(३) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा पूर्ण न होने के कारण अभी तक अवार्ड प्राप्त नहीं हुए हैं। अवार्ड आते ही चुकारा कर दिया जायेगा।

———

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर देखिये)

उप-जिला धोलपुर में १९५७ से १९६४ तक डकैती व औरतों के भगाने के अभियोगों का विवरण

सन्	केस डकैती		औरतों के भगाने के केस	
	सजा	बरी	सजा	बरी
१९५७	३	१	१	—
१९५८	२	—	३	२
१९५९	४	२	२	१
१९६०	—	—	४	३
१९६१	२	—	३	२
१९६२	—	—	२	२
१९६३	३	—	—	१
१९६४	—	—	—	—
योग :-	१४	३	१५	११

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण–वृहस्पतिवार, दिनांक २५ मार्च, १९६५)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५३८६	शीर्षक	२५ मा ६५—	२५ मार्च, ६५–
५३९८	४	श्री रामप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	अन्तिम से ३	पमानेन्ट	परमानेन्ट
५३९९,			
५४०२			
५४०३	शीर्षक	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
५४००	अन्तिम से २	वताने	बताने
५४०४	,, ,, ,,	श्री निरंजननथा आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
५४०५	अन्तिम से ८	बिधान	विधान
५४०६	शीर्षक	२५ माच, ६५	२५ मार्च, ६५–
५४१०	३	पिरफ्तार	गिरफ्तार
५४२०	१७	एमर्जेसी	एमर्जेन्सी
५४२२	शीर्ष	(श्री	(श्री भैरोंसिंह)
५४२८	,,	(श्री निरंजननाय आचार्य)	(श्री निरंजननाथ आचार्य)
५४३१	अन्तिम	बंठे	बैठे
५४४३	अन्तिम से ६	अलाटमेन्ट	अलॉटमेन्ट
५४४७	१४–१५	गिरफ्तारी पर उन्हें निलम्बित न करने	गिरफ्तारी व उन्हें निलम्बित करने
५४४८	शीर्षक	राष्टपति	राष्ट्रपति
५४५०	,,	स्थ ,, । र-। । । –२३ मार्च, ६५–विषयक स्थगन प्रस्ताव	केरल में राष्ट्रपति –२५ मार्च, ६५–विषयक स्थगन प्रस्ताव
५४५२	,,	राष्टपति–२३ मार्च, ६५	राष्ट्रपति–२५ मार्च, ६५–
५४५४ से			
५५२१	शीर्षक	मांग	मांग सं०
५४६०	६	वीमारी	बीमारी
,,	१४	श्री चौंसरसिंह बावेल,	श्री चौंसरसिंह बावेल
५४६१ से			
५६७४ तक	स्कम्भ	५४६१ से ५६७४	५४६२ से ५६७५

१	२	३	४
५४६६	शीर्ष	(श्री दुर्गालाल बाड़दार)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
५४७४	११	मांग संख्या १६	मांग संख्या १८
,,	१६	श्री दलपालसिंह	श्री दलपतसिंह
५४८१	१२	दुधरू	दुधारू
५४६८	शीर्षक	२६ मार्च, ६५-	२५ मार्च, ६५-
५५१५	अन्तिम से ८	'कालालादल'	'कालाबादल'
५५१७	शीर्षक	एबं	एवं
,,	२३	'कालाबादल'	'कालाबादल'
५५१६	१४	भ्रष्टचारी	भ्रष्टाचारी
५५२४	शीर्षक	१८, १६ व ३६-२५ मार्च, १६५	मांग सं० १८, १६ व ३६-२५ मार्च, ६५-
५५२६ से			
५५३२	शीर्षक	मांग	मांग सं०
५५३४	,,	१८, १६ व ३६-	मांग संख्या १८, १६ व ३६
५५३६ से			
५५६०	,,	मांग	मांग सं०
५५३७	,,	कृ।	कृषि
५५३६	शीर्षक	पशु-पालन	पशु-पालन
५५४५	,,	आाद	आदि
५५४७	अन्तिम से ४	है। ।'	हैं।
५५४८	४	श्री योगेन्द्रनाथ हाडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
५५५०	स्कम्भ	५४४६	५५५०
,,	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हाडां)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
५५५६	शीर्षक	२५ माच	२५ मार्च,
,,	१०	क्विटल	क्विंटल
५५६२	शीर्षक	१८, १६ व ३६-२५ मार्च १६५—	मांग सं० १८, १६ व ३६-२५ मार्च, ६५
५५६४ व			
५५७४ से			
५६५८	,,	मांग	मांग सं०

१	२	३	४
५५७६	१५	श्री चौंसरसिंह ब्राबेल	श्री चौंसरसिंह बावेल
५५८३	१०	श्री डूंगाराम राजोरिया	श्री डूंगाराम राजोरिया
५५६८	१४	अउटपुट्स	आउटपुट्स
५६०१	शीर्षक	प[ु-पालन	पशु-पालन
५६०२	,,	२५ मार्च,	२५ मार्च,
५६०४	स्कम्भ	५५०३	५६०४
,,	अन्तिम से ५	(श्री नारायणसिह, उपाध्यक्ष पुनः पदासीन)	(राव श्री नारायणसिह उपाध्यक्ष, पुनः पदासीन)
५६११	स्कम्भ	५५१०	५६११
,,	२१	फटिलाइजर	फर्टिलाइजर
५६३६ व			
५६४०	१६ व १	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
५६५२	५	(कोटपूतली)	(कोटपुतली)
५५५४	२१	इम्पोटन्ट	इम्पोर्टेन्ट
५६६७	शीर्ष	(श्री उदयलाल वर्दिया)	(श्री उदयलाल वर्दिया)
५६६८	१२	एव	एवं